Tuesday, 13 February, 1968

# लोक-सभा वाद-विवाद

## संक्षिप्त अनूदित संस्करण

## SUMMARISED TRANSLATED VERSION
## OF
## 4th
## LOK SABHA DEBATES

[ चौथा सत्र
Fourth Session ]

Preservation 6-7-92
Fumigated On 9-1-84
Parliament Library

[ खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XII contains Nos.1 to 10 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price* : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

13 फरवरी, 1968 । 24 माघ , 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ संख्या | शुद्धि |
| --- | --- |
| X | पंक्ति चार के बाद निम्नलिखित पढ़िये : `उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई ) |
| XI | पंक्ति ग्यारह के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िये : `खाद्य , कृषि , सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री एम.एस.गुपदस्वामी ) |
| 931 | ऊपर से 16 वीं पंक्ति |

## विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 13 फरवरी, 1968/24 माघ, 1889 (शक)

No. 2, Tuesday, February 13, 1968/ Mahga 24, 1889 (Saka)

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

*S.Q. Nos.



| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| 1. | उड़ीसा में राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की खरीद | Purchase of Jute by STC in Orissa | 7—10 |
| 2. | सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने | Public Sector Steal Plants | 10—12 |
| 3. | सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने | Public Sector Steel Plants | 12—18 |
| 4. | भाषा संबंधी आन्दोलन के दौरान रेलवे को हानि | Loss to Railways during Language Agitation | 18—21 |



### प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | राज्य व्यापार निगम के पास गन्धक | Sulphur with State Trading Corporation | 21—22 |
| 7. | कपड़े के दाम | Prices of Cloth | 22 |
| 8. | माडल वूलन मिल्स, बम्बई | Model Woollen Mills, Bombay | 22 |



* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 9. | मैसर्स साराभाई मर्क, बड़ौदा द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग | Misuse of Import Licences by M/s. Sarabhai Merck of Baroda | 23 |
| 10. | छोटी कार का निर्माण | Manufacture of Small Car | 23 |
| 11. | सरकारी क्षेत्र का कोयला उद्योग | Public Sector Coal Industry | 23—24 |
| 12. | राष्ट्रीय कोयला विकास निगम | National Coal Development Corporation | 24—25 |
| 13. | इस्पात कारखानों में मजदूर संघ | Trade Unions in Steel Plants | 25 |
| 14. | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, लिमिटेड | Hindustan Machine Tools Ltd. | 25—26 |
| 15. | हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में क्षमता का उपयोग | Utilisation of Capacity in H. E.C. Ranchi | 26 |
| 16. | थाईलेंड से पटसन का आयात | Import of Jute from Thailand | 27 |
| 17. | छोटी कोयला खानों को एक दूसरी के साथ मिलाना | Amalgamation of Small Coal Mines | 27 |
| 18. | उद्योगों में मन्दी | Recession in Industries | 27—28 |
| 19. | रेलवे की आय में कमी | Shortfall in Railway earnings | 28 |
| 20. | द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन | Second UNCTAD Conference | 28—29 |
| 21. | ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के विशेषज्ञ | British Steel Corporation Experts | 29 |
| 22. | रूस के साथ व्यापार | Trade with USSR | 29 |
| 23. | टायर ट्यूब उद्योग | Tyre and Tube Industry | 30 |
| 24. | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड | Hindustan Steel Ltd. | 30—31 |
| 25. | ट्रैक्टर उद्योग पर से लाइसेंस हटाना | Delicensing of Tractor Industry | 31 |
| 26. | रेलवे विस्तार योजनायें | Railway Expansion Schemes | 31—32 |
| 27. | तालचेर मे उद्योग समूह | Industrial Complex at Talcher | 32 |

ग्ता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 28. | मद्रास पत्तन पर लौह अयस्क की हानि | Loss of Iron Ore at Madras Port | 32—33 |
| 29. | दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्व एशिया में भारतीयों को व्यापार से हटाने का चीन का प्रयत्न | Chinese bid to oust Indians from Trade in South East Asia and East Asia | 33 |
| 30. | एशियाई साझा बाजार | Asian Common Market | 33—34 |


अतारांकित प्रश्न संख्या

Unstarred Q. No.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | समवाय सचिवों की संस्था | Institute of Company Secretaries | 34—34 |
| 2. | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रेलवे में रिक्त पदों का आरक्षण | Reservation of Vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Railway | 35 |
| 3. | शराब बनाना | Manufacture of Liquor | 35—36 |
| 4. | रेलवे माल डिब्बों का निर्माण | Manufacture of Railway Wagons | 36 |
| 5. | राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशों में बनी कारों की बिक्री | Sale of Foreign made Cars by State Trading Corporation | 36—37 |
| 6. | औद्योगिक उत्पादन | Industrial Production | 37 |
| 7. | अंदी रेलवे स्टेशन पर सिर-कार एक्सप्रेस गाड़ी का रुकना | Stopping of Circar Express at Undi Railway Station | 38 |
| 8. | मध्य प्रदेश में हेमाटाइट अयस्क | Hematite Ores in M. P. | 38 |
| 9. | पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति | Indian Property seized by Pakistan | 38—39 |
| 10. | राज्य व्यापार निगम द्वारा कपड़ा बनाने की मशीनरी का आयात | Import of Textile Machinery by S. T. C. | 39 |
| 11. | ताम्बरम रेलवे स्टेशन पर तूतीकोरिन एक्सप्रेस | Tuticorin Express at Tambaram Station | 39 |

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 12. | रूरकेला से कटक, भुवनेश्वर और पुरी तक सीधी रेल-गाड़ियां | Direct Trains from Rourkela to Cuttack, Bhuvaneshwar and Puri | 40 |
| 13. | ताज एक्सप्रेस रेलगाड़ी जैसी गाड़ियों का विभिन्न राज्यों में चलाया जाना | Running of Trains like Taj Express in States | 40 |
| 14. | रेलवे के सेवा आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व | Representation to S. C. & S. T. on Railway Service Commissions | 40—41 |
| 15. | तालचेर और विमलगढ़ के बीच रेल लाइन | Talchar Bimalagarh Railway Line | 41 |
| 16. | आयातित कारों की बिक्री | Sale of Imported Cars | 41 |
| 17. | रूरकेला इस्पात कारखाना | Rourkela Steel Plant | 41—42 |
| 18. | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड | Hindustan Steel Ltd. | 42 |
| 19. | भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रामचन्द्रपुरम | Bharat Heavy Electricals, Ramachandrapuram | 42—43 |
| 20. | संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन | UNCTAD | 43 |
| 21. | इस्पात के मूल्य | Price of Steel | 43 |
| 22. | भारतीय रेलवे रेखा चित्र (ड्रांइग) कर्मचारी संख्या | Indian Railways drawing staff Association | 43—44 |
| 23. | सुराकाचार कोयला खान से तारों के गुम होने के बारे में जाँच | Enquiry into Missing Cables from Surakachar Colliery | 44 |
| 24. | पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्ध | Trade Relations with Pakistan | 44—45 |
| 25. | तुर्की के साथ व्यापार समझौता | Trade Agreement with Turkey | 45 |
| 26 | भारत का विदेश व्यापार | India's Foreign Trade | 45—46 |
| 27. | निर्यात बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र की सहायता | U. N. help in Export Promotion | 46 |
| 28. | टसर सिल्क का निर्यात | Export of Tasar Silk | 46—47 |
| 29. | ऊन का आयात | Import of Wool | 47 |
| 30. | स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का निर्माण | Manufacture of Stainless Steel Utensil | 47—48 |

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 31. | विदेशी प्रबन्धक अधिकारी | Foeign Managing Agents | 48 |
| 32. | चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बमों का पाया जाना | Recovery of Bombs at Chittaranjan Locomotive Works | 48—49 |
| 33. | कारों की किस्म के बारे में पाण्डे समिति | Pande Committee on Car Quality | 49 |
| 34. | सीमेंट के वितरण और मूल्य पर नियंत्रण | Controls on Price and Distribution of Cement | 50 |
| 35. | चाय का निर्यात | Export of Tea | 50—51 |
| 36. | रेलों की तोड़-फोड़ करने के लिये मृत्यु दण्ड | Capital Punishment for Sabotage on Railways | 51 |
| 37. | बन्द पड़े तथा कुप्रबन्धित चाय बागान | Closed and mismanaged tea Plantation | 51 |
| 38. | विमान द्वारा खनिज सर्वेक्षण | Aerial Mineral Survey | 51—52 |
| 39. | रेलवे गार्ड | Railway Guards | 52 |
| 40. | लखनऊ में ऐनक का सामान बनाने का कारखाना | Optical Instrument Factory, Lucknow | 52—53 |
| 41. | रेलवे कार्यालयों में संगणक | Computers in Railway Offices | 53 |
| 42. | दंगों के कारण रेलवे को हानि | Loss to Railways due to riots | 53—54 |
| 43. | टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी | Tata Iron and Steel Company | 54—55 |
| 44. | धागे के लच्छों का आयात | Import of Deniers | 55 |
| 45. | भारत जर्मनी व्यापार | Indo German Trade | 55—56 |
| 46. | रूस से व्यापार समझौता | Trade agreement with USSR | 56 |
| 47. | दक्षिण मध्य रेलवे में बिना टिकट यात्रा | Ticketless travel on South Central Railway | 56—57 |
| 48. | ट्रैवलिंग टिकट परीक्षकों की पदावनति | Reversion of Travelling Ticket Examiners | 57 |
| 49. | राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की खरीद | Purchase of Jute by S. T. C. | 57—58 |
| 50. | हावड़ा रेलवे यार्ड में माल डिब्बों का रुक जाना | Blocking of Wagons in Howrah Railway Yard | 58 |
| 51. | साबरमती-बम्बई रेलवे लाइन का विद्युतीकरण | Electrification of Sabarmati Bombay Railway Line | 58—59 |

अता० प्रश्न सं०

U.Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 52. गुजरात में शक्तिचालित करघे | Powerlooms in Gujarat | 59—60 |
| 53. पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीज़न के लोको विभाग में रिक्त पद | Vacant posts in the Loco Deptt. of the Danapore Division on the Eastern Railawy. | 60 |
| 54. जमालपुर लोको शैड | Jamalpur Loco Shed. | 60 |
| 55. गया का लोको शैड | Loco Shed at Gaya | 60—61 |
| 56. थेकर समिति का प्रतिवेदन | Thacker Committee's Report | 61 |
| 57. संकटग्रस्त कपड़ा मिलें | Sick Textile Mills | 61—62 |
| 58. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस | Strike Notice by Chittaranjan Locomotive works Railwaymen's Union. | 62 |
| 59. निर्यातकों को राज सहायता | Subsidy to Exporters | 62—63 |
| 60. तामिलनाड में रेलवे स्टेशनों पर नामपट्ट | Name Plates at Stations in Tamilnad | 63 |
| 61. हरियाणा और गोआ में खनिज सम्पत्ति | Mineral Wealth in Haryana and Goa | 63—64 |
| 62. लम्बे रेशे की रुई का उत्पादन | Production of Long Staple Cotton | 64 |
| 63. मुंगेर से दानापुर तक रेलगाड़ी | Train Service from Monghyr to Danapur | 64 |
| 64. लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल का आयात | Import of Raw Materials for Small Scale Industries | 65 |
| 65. कलकत्ता में चाय बोर्ड का माल गोदाम | Tea Board Warehouse at Calcutta | 65 |
| 66. लौह अयस्क का निर्यात | Export of Iron Ore | 65 |
| 67. टायरों के निर्माण के लिये लाइसेंस | Licences for Manufacture of Tyres | 66 |
| 68. छोटी कार | Small Car | 67 |
| 69. यात्री सुविधायें | Passenger Amenites | 67—68 |
| 70. अमरीका से खरीदा गया रेलवे का सामान | Railway Stores purchased from USA | 68 |
| 71. भारत के व्यापार समझौते | India's Trade Agreement | 68—69 |

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 74. यात्री सुविधा सम्बन्धी समिति | Committee on Passenger Amenities | 69 |
| 75. रेलवे वर्क्स यूनियन, वाराणसी | Railway Workers' Union, Varanasi | 69 |
| 76. कपड़ा मिलें | Cotton Mills | 69 |
| 77. काली मिर्च, मेवों आदि के निर्यात के लिये लाइसेंस | Licences for Exports of Black Pepper, Dry Fruits etc. | 70 |
| 78. लुधियाना में ऊनी हौजरी उद्योग | Woollen Industry in Ludhiana | 70 |
| 79. दक्षिण मध्य रेलवे के तिलाटी स्टेशन पर मालगाड़ी की दुर्घटना | Goods Train Accident at Tilati Station on S. C. Rly. | 70—71 |
| 80. हाथरस स्टेशन का लूटा जाना | Looting of Hathras Station | 71 |
| 81. राजस्थान के कोटा और अन्य स्टेशनों से फर्श की टाइलों का निर्यात | Export of Flooring Tiles from Kota and other Stations in Rajasthan | 71—72 |
| 82. कोटा रेलवे स्टेशन | Kota Railway Station | 72 |
| 83. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं के लिये आयात लाइसेंस | Import Licences for Deep sea Fishing Trawlers | 72 |
| 84. टायर कार्ड का निर्यात | Export of Tyre Cord | 72—73 |
| 85. इस्पात कारखानों का कार्य-संचालन | Operation of Steel Plants | 73 |
| 86. कूपर एलन कम्पनी, कानपुर | Cooper Allen Co. Kanpur | 73—74 |
| 87. पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति | Indian Property seized by Pakistan | 74 |
| 88. पटसन के माल पर निर्यात शुल्क समाप्त करना | Abolition of Export Duty on Jute Goods | 74—75 |
| 89. संयुक्त संयंत्र समिति | Joint Plant Committee | 75 |
| 90. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का चेयरमैन | Chairman of Heavy Engineering Corporation, Ranchi | 76 |
| 91. बोकारो इस्पात परियोजना | Bokaro Steel Project | 76—77 |
| 92. पांचवां इस्पात कारखाना | Fifth Steel Plant | 77 |
| 93. रेल दुर्घटनायें | Railway Accidents | 77—78 |

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 95. | कोयला ढोने वाली माल गाड़ियां | Goods Trains for Transportation of Coal | 78 |
| 96. | कपड़े पर उपकर | Cess on Cloth | |
| 97. | दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा डिवीज़न में रेलवे कर्मचारी | Railway Employees in Khurda Division of S. E. Railway | 78<br>79 |
| 98. | सीमेंट से नियंत्रण का हटाया जाना | Decontrol of Cement | 79 |
| 99. | खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा ऋण | Loans by M. M. T. C. | 79—80 |
| 100. | मोटर गाड़ियों की चोरबाजारी | Blackmarketing in Motor Vehicles | 80—81 |
| 101. | दिल्ली में राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यालयों के लिये इमारतें | Accommodation for S. T. C. and M. M. T. C. Officer in Delhi | 81—82 |
| 102. | रेलवे भोजन व्यवस्था समिति | Railway Catering Committee | 82 |
| 103. | बढ़िया इस्पात तथा मिश्रित धातु इस्पात का आयात | Import of Super Steel and Steel Alloys | 82—83 |
| 104. | कलकत्ता में वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे | Circular Railway in Calcutta | 83 |
| 105. | गुना मकसी रेलवे लाइन | Guna Maksi Railway Line | 83 |
| 106. | जूतों का निर्यात | Export of Footwears | 83—85 |
| 107. | खेत्री तांबा परियोजना | Khetri Copper Project | 86 |
| 108. | पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हानि | Loss sustained by M. & MTC. on account of Devaluation of Pound Sterling | 86—87 |
| 109. | संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन | UNCTAD Conference | 87 |
| 110. | मालाबार क्षेत्र में लौह-अयस्क के निक्षेप | Iron Ore Deposits in Malabar Area | 87—88 |
| 111. | संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात | Exports to UAR | 88 |
| 112. | फासफेट सम्बन्धी खोज कार्यक्रम | Exploration Programme for phosphate | 88—89 |

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.


| U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| 114. | रामेश्वरम रोड धनुषकोडी रेलवे लाइन | Rameswaram Road Dhanushkodi Railway Line | 89 |
| 115. | मुद्रण उद्योग | Printing Industry | 89—90 |
| 116. | राज्य व्यापार निगम द्वारा कागज का आयात | Imports of Paper by STC | 90—92 |
| 117. | मैंगनीज खरीदने के लिये ठेका | Contract for purchase of Manganese Ore | 92 |
| 118. | चाय की कीमतों में गिरावट | Fall in Tea Prices | 92—93 |
| 119. | अलाभप्रद रेलवे लाइनें | Unremunerative Railway | 93—94 |
| 120. | नजनगुड और चामराजनगर के बीच रेलवे लाइन | Railway Track between Nanjangud as Chamarajanagar | 94 |
| 121. | पटसन का निर्यात | Jute Exports | 94 |
| 122. | मशीनी औजारों का निर्यात | Exports of Machine Tools | 94—95 |
| 123. | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड | Hindustan Steel Ltd. | 95—96 |
| 124. | सरकारी पटसन मिल, कटिहार | Government Jute Mill Katihar | 96 |
| 125. | कागज बनाने के कारखाने | Paper Mills | 96—97 |
| 126. | कच्चे लोहे के कारखाने | Pig Iron Units | 97 |
| 127. | कोयला उद्योग और रेलवे बोर्ड के बीच कोयले के मूल्य सम्बन्धी करार | Coal Price Agreement between Industry and Railway Board | 97—98 |
| 128. | नई कोयला खान | New Collieries | 98 |
| 129. | कारों की उत्पादन लागत | Cost of Production of Cars | 98—99 |
| 131. | पूर्वी रेलवे की सियालदह डिवीजन पर यात्री सुविधायें | Passenger Amenities on the Sealdah Dn. of the Eastern Railway | 99 |
| 132. | रेत इकट्ठा करने वाले संयंत्र | Sand Gathering Plants | 99—100 |
| 133. | उद्योगों का विकास | Development of Industries | 100 |
| 134. | उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे अंग्रेजी में आरक्षण सूचियों तथा समय सारिणी | Reservation Lists and Time Table in English Language on the Northern and N. E. Rly. | 101 |
| 135. | पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन | Advertisement in Newspapers by N. E. Railway | 101 |
| 136. | घाघरा नदी पर एल्गिन पुल | Elgin Bridge over River Ghagra | 101—102 |
| 137. | रेलवे के फाटकों पर दुर्घटनायें | Accidents at Railway Level Crossings | 102 |

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/ AGES |
|---|---|---|---|
| 138. | भारत के व्यापार पर पोंड के अवमूल्यन का प्रभाव | Impact of Devaluation of Pound sterling on India's Trade | 102 |
| 139. | ट्रैक्टरों का निर्माण | Manufacture of Tractors | 102—103 |
| 140. | पूर्वोत्तर रेलवे के घोगरडीह और निरमाली रेलवे स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन | Halt Station between Ghogardiha and Nirmali Stations on the N. E. Rly. | 103—104 |
| 141. | संयुक्त राष्ट्र विकास तथा व्यापार सम्मेलन | UNCTAD Conference | 104 |
| 142. | रूपसा बांगरीपोसी लाइट रेलवे लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलना | Conversion of Rupsa Bangriposi Light | 104 |
| 143. | रेलवे की यातायात लेखा शाखा में पदोन्नति | Promotion in Traffic Account Branch of Railways | 105 |
| 144. | बंसपानी से जोसुरी तक रेलवे लाइन बढ़ाना | Extension of Railway line from Banspan to Joshuri | 105 |
| 145. | पुर्तगाल तथा दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भाग लेना | Participation of Protugal and South Africa in UNCTAD | 105—106 |
| 146. | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड | Hindustan Steel Ltd. | 106 |
| 147. | पटसन उद्योग सम्बन्धी गोष्ठी | Symposium on Jute Industry | 106—107 |
| 149. | ट्रैक्टरों का निर्माण | Manufacture of Tractor | 107 |
| 150. | दक्षिण रेलवे में अदोनी रेलवे स्टेशन पर विश्रामालय | Retiring room at Adoni Station on Southern Railway | 107—108 |
| 151. | सुरीगुप्पा करनूल रेलवे लाइन | Suriguppa Kurnool Railway | 108 |
| 152. | रायल सीमा मिल्स, अडोनी | Royae Seema Mills, Adoni | 108—109 |
| 153. | न्यू विक्टोरिया मिल्स का बन्द होना | Closure of New Vicotira Mills | 109 |
| 154. | टाइटेनियम उद्योग समूह | Titanium Complex | 109 |
| 155. | भारत श्रीलंका की चाय सम्बन्धी नीति | Indo Ceylon Policy on Tea | 110 |
| 156. | डीजल से रेलगाड़ियां चलाना | Dieselisation | 110—111 |

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| 157. | दुर्गापुर इस्पात कारखाना | Durgapur Steel Plant | 111 |
| 158. | काश्मीर घाटी में रेयन लुग्दी कारखाना | Rayon Pulp plant in Kashmir Valley | 111 |
| 159. | रेलवे के विजली विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ऊनी वर्दियां दिया जाना | Supply of Woollen Uniforms to Class IV Employees of the Railway Electricity Department | 111 |
| 160. | सांभर साल्ट लिमिटेड | Sambher Salt Ltd. | 111—112 |
| 161. | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची | H. E. C. Ranchi | 112 |
| 162. | मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें | Textile Mills in M. P. | 112 |
| 163. | मध्य रेलवे का दतिया स्टेशन | Datia Station on the Central Rly. | 113 |
| 164. | इस्पात का उत्पादन | Production of Steel | 113 |
| 165. | स्वेज नहर में रोका गया माल | Goods held up in Suez Canal | 113 |
| 166. | समाजवादी देशों के साथ निर्यात आयात व्यापार | Export Import Trade with Socialist Countries | 114 |
| 167. | गार्डों, वाणिज्यिक क्लर्कों, और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के वेतन क्रम | Pay Scales of Guards, Commercial Clerks and Assistant Station Masters | 114 |
| 169. | सिन्धिया स्टेट रेलवे के कर्मचारी | Employees of Scindia State Railways | 114 |
| 169. | पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेल डिब्बों का गुम होना | Missing Railway Wagons on N. E. and NEF Railways | 114—115 |
| 170. | दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों की मरम्मत देखभाल | Repairs and maintenance of Railway Quarters in Delhi | 115—116 |
| 171. | भारत से निर्यात | India's Exports | 116 |
| 173. | भारत का व्यापार भुगतान शेष | India's Balance of trade | 116—117 |
| 174. | कागज उद्योग का विकास | Development of Paper Industry | 117—118 |
| 175. | डीजल और बिजली की रेलगाड़ियां | Diesel and Electric Trains | 118—119 |
| 176. | मेरठ और गाजियाबाद के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां | Trains running between Meerut and Ghaziabad | 119 |

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 177. काजीपुरा रेलवे स्टेशन | Kajipura Railway Station | 119 |
| 178. केरल में रेलवे लाइनें | Railway Lines in Kerala | 119—120 |
| 179. खनन पट्टा | Mining Lease | 120 |
| 180. घरेलू काम काज के बर्तनों का निर्माण | Manufacture of Household Utensils | 120—121 |
| 181. घरेलू बर्तनों का निर्माण | Manufacture of Household Utensils | 121 |
| 182. कपास का उत्पादन | Cotton Production | 121—122 |
| 183. इंजीनियरी फर्मों को रेलवे के क्रयादेश | Railway orders to Engineering Firms | 122 |
| 185. आंध्र प्रदेश में सरकारी उपक्रम | Public Undertakings in Andhra Pradesh | 122—123 |
| 186. जबलपुर, पन्ना और रीवा रेलवे लाइन | Jabalpur, Panna and Rewa Railway Line | 123 |
| 187. बुंदेलखण्ड क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में उद्योग | Industries in Bundhelkhand Area (U. P.) | 123 |
| 188. मध्य प्रदेश में सीमेंट का कारखाना | Cement Factory in M. P. | 123—124 |
| 189. इंजीनियरी के माल का उत्पादन | Production of Engineering Goods | 124 |
| 190. उड़ीसा में खादी केन्द्र | Khadi Centres in Orissa | 124—125 |
| 192. उपभोक्ता वस्तु निगम | Consumer Commodity Corporation- | 125 |
| 193. राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी कारों की बिक्री | Sale of Foreign Cars by STC | 125 |
| 194. म्यूर कपड़ा मिल, कानपुर | Muir Textilse Mills, Kanpur | 125—126 |
| 195. विदेशी सहयोग | Foreign Collaboration | 126 |
| 196. इंजीनियरी उद्योगों द्वारा निर्यात | Exports by Engineering Industries | 126—127 |
| 197. कोयला खानो से कोयले का अधिग्रहण | Requisition of Coal from Collieries | 127 |
| 198. जापान को लोह अयस्क का निर्यात | Export of Iron Ore to Japan | 127—128 |
| 199. इस्पात चादरों की कमी | Shortage of Steel Sheets | 128 |

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 200. | रेलवे गैंगमैनों और सुपरवाइजरों के लिये प्रोत्साहन योजना | Incentive Scheme for Railway Gangmen and Supervisors | 128—129 |
| 201. | कोयला क्षेत्रों में रज्जुपथ | Ropeways in Coal Fields | 129—130 |
| 202. | माल डिब्बों का निर्यात | Exports of Wagons | 130 |
| 203. | रेलवे के माल डिब्बों के लिये अतिरिक्त मांग | Demand for Additional Railway Wagons | 130—131 |
| 204. | अलाभप्रद रेलवे लाइनों का बन्द किया जाना | Scrapping of uneconomic Railway lines | 131—132 |
| 205. | हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा ढलेवार इस्पात की बिक्री | Sale of Structural Steel by Hindustan Steel Ltd. | 132 |
| 206. | रेल दुर्घटनायें | Railway Accidents | 132—133 |
| 207. | मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योग | Public Sector Industries in M.P. | 133 |
| 208. | इटारसी स्टेशन के प्लेटफार्म पर शैड | Shed on Platforms on Itarsi Station | 133 |
| 209. | बरहानपुर स्टेशन पर जल देने वाले स्टेशनों का समाप्त किया जाना | Abolition of Watering Stations Burhanpur Station | 133—134 |
| 210. | कोसा कपड़े का निर्यात | Exports of Kosa Cloth | 134 |
| 211. | रेलवे में चोरी के मामले | Pilferage Cases on Railways | 134—135 |
| 212. | रेलवे प्रतिकर के दावे | Railway Compensation Claims | 135 |
| 213. | चलती गाड़ियों में लूट, हत्या और छूरा घोंपने की घटनायें | Loot, Murder and Stabbing cases in Running trains | 135—136 |
| 214. | जापान से कोकिंग कोयला | Coking Coal from Japan | 136 |
| 215. | होस्पेट गोआ और मिराज गोआ रेलवे लाइनें | Hospet Goa and Mirja Goa Railway Lines | 136—137 |
| 216. | पूना मिराज रेलवे लाइन | Poona Miraj Railway Line | 137 |
| 217. | मैसर्स हिन्द गैल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड | Ms. Hind Galvanising and Engineering Co. (P.) Ltd. | 137 |
| 218. | संसद् सदस्यों को कारों का नियतन | Allotment of Cars to M.Ps. | 137 |

अता० प्रश्न संख्या
U.Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 219. | बम्बई भुसावल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण | Electrification of Bombay Bhusawal Railway Line | 138 |
| 220. | बिना टिकट यात्रा | Ticketless Traval | 138 |
| 221. | कारें बनाने के लिये इस्पात का आयात | Import of Steel for Manufacture of Cars | 138—139 |
| 222. | रूमानिया के साथ व्यापार समझौता | Trade Agreement with Rumania | 139 |
| 223. | नरकटियागंज और गोरखपुर के बीच सीधी रेलवे लाइन | Direct Rail Link between Narkatiaganj and Gorakhpur | 139—140 |
| 224. | बटन बनाने के कारखाने | Button Factories | 140 |
| 226. | बिहार में बमें बनाने का कारखाना | Rig Eactory in Bihar | 140 |
| 227. | माधोपुर और अंगोला क्षेत्रों में रेलवे लाइन पर ऊपरी पुल | Over bridge on Railway Line in Madhopur and Angola Localities | 140—141 |
| 228. | पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में दुर्घटनायें | Accidents on N. E. F. Railway | 141 |
| 229. | लोहे तथा इस्पात की दुर्लभ वस्तुओं पर नियंत्रण का हटाया जाना | Decontrol of Scaree Iron and Steel Items | 141 |
| 230. | अरकोनम रेलवे वर्कशाप | Arkonam Railway Workshop | 142 |
| 231. | बम्बई हवड़ा जनता एक्सप्रेस, गाड़ी | Bombay Howrah Janata Express | 142 |
| 232. | महाराष्ट्र में सीमेंट फैक्टरियां | Cement Factories in Maharashtra | 142 |
| 233. | भटनी वाराणसी 71 अप गाड़ी में यात्रियों का लूटा जाना | Looting of Passengers in Bhatni Varanasi 71 UP Train | 142—143 |
| 234. | बीजापुर और कालावद रेलवे स्टेशनों के बीच बिना चौकीदार के फाटक पर ट्रक की टक्कर | Truck collision at Unmanned level Crossing between Vijapur and Kalvada Railway Station | 143 |
| 235. | हावड़ा बरौनी यात्री गाड़ी में डाका | Robbery in Howrah Barauni passenger Train | 143—144 |
| 236. | ऊन उद्योग में मन्दी | Recession in Woollen Industry | 144—145 |

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 237. | औद्योगिक विकास | Industrial Development | 145 |
| 238. | रूरकेला तथा दुर्गापुर स्थित कारखाने | Rourkela and Durgapur Plants | 145—146 |
| 239. | उगांडा में चीनी की मिल | Sugar Mill in Uganda | 146 |
| 240. | मन्दी | Recession | 146 |
| 241. | निर्यात नीति संकल्प | Export Policy Resolution | 147 |
| 242. | आसनसोल उपखण्ड की कोयला खानों में खनन कार्य | Collieries operations in Asansol | 147 |
| 243. | रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्क | Commercial Clerks on Railways | 147—148 |
| 244. | अजमेर में पार्सल कार्यालय | Parcel Officer, Ajmer | 148 |
| 245. | रेलवे का सतर्कता विभाग | Vigilance Wing on Railways | 148—149 |
| 246. | तुंगभद्रा इस्पात कारखाना | Tungabhadra Steel Products, Ltd. | 149 |
| 247. | अनधिकृत रूप से जजीरों का खींचा जाना | Unauthorised pulling of Chains | 149—150 |
| 248. | दक्षिण मध्य रेलवे में नीरा स्टेशन पर भोजन-घर (डाइनिंग रूम) | Dining Room at Nira Station | 150 |
| 250. | व्हिस्की और ब्राण्डी का बनाया जाना | Manufacture of Whisky and Brandy | 150 |
| 251. | इमारती लकड़ी उद्योग | Timber Industry | 151 |
| 252. | मुरादाबाद में घरेलू बर्तन उद्योग का विकास | Development of utensil Industry in Moradabad | 151 |
| 253. | विदेशों में भारतीय बिक्री केन्द्र | Indain Sales Centres in Foreign Countries | 151—152 |
| 254. | लिलूहा शाप स्पेशल नामक गाड़ी | Lilloah Shop Special train | 152 |
| 255. | डालमिया ग्रूप के सीमेंट कारखाने | Dalmia Group of Cement Factories | 152—153 |
| 256. | अव्यवस्थित कपड़ा मिलें | Sick Textile Mills | 153 |
| 256. | (क) आंध्र प्रदेश को कांग्रेस अधिवेशन के समय अलाट की गई कारों की बिक्री | Sale of Ambassador Cars allotted to Andhra Pradesh during Hyderabad Congress Session. | 153—154 |

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बारे में | Re. the Death of Shri Deen Dayal Upadhyaya | 154 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to matter of urgent Public Importance | 154—158 |
| गणतन्त्र दिवस पर गोहाटी में व्यापक उपद्रवों और अराजकता के समाचार और जिनमें करोड़ों रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई। | Reported widespread disturbances and lawlessness in Gauhati on Republic Day causing damage to property worth crores of rupees. | |
| श्री देवकी नन्दन पटोदिया | Shri D. N. Patodia | |
| श्री यशवन्तराव चव्हाण | Shri Y. B. Chavan | |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | 158—166 |
| विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति | President's Assent to Bills | 166 |
| सदस्य द्वारा त्यागपत्र (श्री बि० प्र० मंडल) | Resignation of Member (Shri B. P. Mandal) | 166 |
| केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक | Central Industrial Security Force Bill | 167 |
| संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य | Report of Joint Committee and Evidence before Joint Committee | 167 |
| संविधान (संशोधन) विधेयक (श्री नाथ पाई) | Constitution (Amendment) Bill Shri Nath Pai | 167 |
| संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के समय में वृद्धि | Extension of time for presentation of report of Joint Committee | 167 |
| भारतीय वायुसेना के विमान के लापता हो जाने के बारे में वक्तव्य | Statement Re. missing I. A. F. Aircraft | 167—168 |
| श्री स्वर्ण सिंह | Shri Swaran Singh | |
| मध्याह्न भोजन के समय के बारे में | Re. Lunch hour | 168—169 |
| बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक | Bihar and Uttar Pradesh (Alteration Boundaries) Bill | 169—175 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider | |
| श्री विद्याचरण शुक्ल | Shri Vidya Charan Shukla | |
| श्री विश्वनाथ पाण्डेय | Shri Vishwa Nath Pandey | |

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| श्री चन्द्रिका प्रसाद | Shri Chandrika Prasad | |
| श्री विश्वनाथ राय | Shri Bishwanath Roy | |
| श्री क० ना० तिवारी | Shri K. N. Tiwary | |
| श्री लखण लाल कपूर | Shri Lakhan Lal Kapoor | |
| श्री अ० सिं० सहगल | Shri A. S. Saigal | |
| श्री शिवनारायण | Shri Sheo Narain | |
| श्री दी० चं० शर्मा | Shri D. C. Sharma | |
| श्री चन्द्रजीत यादव | Shri Chandra Jeet Yadav | |
| श्री रणजीत सिंह | Shri Ranjit Singh | |
| श्री रवी राय | Shri Rabi Ray | |
| श्री जगेश्वर यादव | Shri Jageshwar Yadav | |
| खण्ड 2 से 36 और 1 | Clauses 2 to 36 and 1 | |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव | Motion to pass, as amended | |
| विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक | Displaced persons (compensation and Rehabilitation) Amendment | 175—181 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider | |
| श्री दा० रा० चव्हाण | Shri D. R. Chavan | |
| श्री गु० सिं० ढिल्लो | Shri G. S. Dhillon | |
| श्री श्रीचन्द गोयल | Shri Shrichand Goel | |
| श्री देवराव पाटिल | Shri Deorao Patil | |
| श्री धीरेश्वर कलित | Shri Dhireswar Kalita | |
| श्री बसवन्त | Shri Baswant | |
| श्री भोला नाथ | Shri Bhola Nath | |
| श्री मुहम्मद इस्माईल | Shri Mohammad Ismail | |
| श्रीमती ज्योत्सना चन्दा | Shrimati Jyotsna Chanda | |
| श्री रवी राय | Shri Rabi Ray | |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | |
| श्री अ० सिं० सहगल | Shri A. S. Saigal | |
| श्री लखण लाल कपूर | Shri Lakhan Lal Kapoor | |
| श्री दी० चं० शर्मा | Shri D. C. Sharma | |
| श्री अब्दुल गनी दार | Abdul Ghani Dar | |
| खण्ड 2 और 1 | Clauses 2 and 1 | |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव | Motion to Pass as amended | |

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
| --- | --- | --- |
| कटनाशी विधेयक | Insecticides Bill | 181—184 |
| राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider, as passed by Rajya Sabha | |
| श्री ब० सू० मूर्ति | Shri B. S. Murthy | |
| श्री प्र० के० देव | Shri P. K. Deo | |
| श्री न० कु० सांघी | Shri N. K. Sanghi | |
| श्री बृज भूषण लाल | Shri Brij Bhushan Lal | |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | |
| श्री महाराज सिंह भारती | Shri Maharaj Singh Bharati | |
| कार्यमन्त्रणा समिति | Business Advisory Committee | 185—186 |
| तेरहवां प्रतिवेदन | Thirteenth Report | |

## लोक-सभा

## LOK-SABHA

मंगलवार, 13 फरवरी, 1968/ 24 माघ, 1889 (शक)

**Tuesday, February 13, 1968/ Magha 24, 1889** (Saka)

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### उड़ीसा में राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की खरीद

*1. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने उड़ीसा में पटसन खरीदने के लिये कोई व्यवस्था की है :

(ख) क्या यह सच है कि जिस क्रय विक्रय सीमित के माध्यम से पटसन खरीदा जाता है उसकी ओर से पटसन का श्रेणीकरण करने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके फलस्वरूप पटसन बहुत कम दर पर खरीदा जाता है और किसान लोग राज्य व्यापार निगम को पटसन बेचना नहीं चाहते, और

(ग) क्या इस बात के लिए कोई व्यवस्था की गई है कि उत्पादकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य अवश्य मिल जाये ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्य व्यापार निगम उड़ीसा राज्य सरकार तथा दानपुर पटसन क्रय-विक्रय सह-

कारी सीमित ने समुचित व्यवस्था कर दी है। निगम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर उड़ीसा में 1,20,000 मन पटसन पहले ही खरीद चुका है। इस समय मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्यों के समकक्ष अथवा उनसे अधिक चल रहे हैं।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या सरकार अथवा क्रय-विक्रय समिति ने पटसन के श्रेणीकरण किये जाने के सम्बन्ध में किसी अधिकारी को मान्यता दी हुई है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** जी, हां। पटसन के श्रेणीकरण के काम की निगरानी के लिये एक अधिकारी होता है।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या यह सच नहीं है कि वास्तव में उत्पादकों से क्रय-विक्रय समिति को पटसन नहीं मिलता है क्योंकि गलत श्रेणीकरण के कारण वे जो दर बताते हैं वह बहुत कम होता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उड़ीसा में पटसन खरीदने के लिये कोई लक्ष्य निश्चित किया है और क्या पटसन खरीदने के लिये सरकार ने राज्य सरकार को कुछ धनराशि दे दी है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को जितने धन की आवश्यकता होगी, वह दिया जायेगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। हमने अब तक उड़ीसा तथा अन्य राज्यों से 1,20,000 मन पटसन खरीदा है।

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उड़ीसा से खरीदे गये पटसन और बंगाल तथा अन्य स्थानों से खरीदे गये पटसन के मूल्यों में कितना अन्तर है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि राज्य व्यापार निगम पटसन इस लिये खरीद रहा है जिससे पटसन के न्यूनतम मूल्य स्थिर रह सकें। राज्य व्यापार द्वारा पटसन खरीदने का उद्देश्य लोगों में केवल यह विश्वास जागृत करना है कि वे न्यूनतम मूल्य से कम दर पर न बेचें। यह कार्यवाही केवल इसलिये की गई है कि मूल्यों में कमी न हो। निगम द्वारा स्टाक करने के लिये यह खरीद नहीं की जा रही। बाजार में अन्य संस्थाएं भी हैं।

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** परन्तु प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न मूल्यों में अन्तर के सम्बन्ध में था।

**श्री दिनेश सिंह :** हमने कलकत्ता में आसाम 'बाटम ग्रेड' की पटसन का मूल्य निश्चित किया है। अन्य बाजारों में मूल्य की स्थिति परिवहन सुविधाओं तथा अन्य बातों पर निर्भर करती है जिनके खर्च की उसमें से कटौती करनी होती है।

**श्री उमानाथ :** क्या मैं पूंछ सकता हूँ कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि पटसन की अधिक श्रेणियां बना कर और घटिया श्रेणी को 'बाटम ग्रेड' बता कर पटसन के न्यूनतम मूल्यों को घटाया जा रहा है, जिससे पटसन उत्पादकों को हानि होगी ? अब पटसन के दो ग्रेड, क्रास-बाटम ग्रेड और डी-बाटम ग्रेड और बना दिये गये हैं और उससे निम्नतम निश्चित मूल्य में और कमी हो रही है। यदि हां तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है जिससे पटसन उत्पादकों को कम से कम न्यूनतम मूल्य मिलते रहें ?

**श्री दिनेश सिंह** : माननीय सदस्य को विश्वास रखना चाहिये कि हम जो कार्यवाही कर रहे हैं वह पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये कर रहे हैं।

**श्री उमानाथ** : सरकार मूल्यों को क्यों घटा रही है ?

**श्री दिनेश सिंह** : हम मूल्य में कमी नहीं कर रहे हैं। क्या इतना ही कहना पर्याप्त है ? यदि वहां पर लोग पटसन बेचना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित मूल्य से कम मूल्य पर नहीं बेचना चाहिये और फिर राज्य व्यापार निगम उस मूल्य पर पटसन खरीद लेगा। उन्हें इस बात का विश्वास होना चाहिये।

**श्री उमानाथ** : मैंने पटसन की नयी श्रेणियां बनाने के बारे में पूछा था जिससे निम्नतम मूल्य निश्चित करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता।

**श्री दिनेश सिंह** : उत्पादकों को पहले वाले ग्रेड बनाये रखने चाहिये और सरकार निश्चित मूल्य पर ही पटसन बेचना चाहिये। अन्य लोगों को इस सम्बन्ध में कोई दबाव नहीं डालना चाहिये।

**श्री रंगा** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पास वाले आन्ध्र के श्री काकुलम और विशाखापत्तनम जिलों में भी उक्त संरक्षण की व्यवस्था है और उन्हें भी न्यूनतम मूल्य दिये जाने का आश्वासन दिया गया है ? क्या इन सभी ग्रेडों को—क्रास, बाटम, डी—बाटम, आदि मान्यता दी जा रही है या केवल एक बाटम ग्रेड को मान्यता दी गयी है और उस स्तर पर न्यूनतम मूल्य बनाये रखा जा रहा है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी राज्यों के उत्पादकों को दिया जाता है जिनमें आन्ध्र भी सम्मिलित है।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार ने उड़ीसा के सम्बन्ध में पटसन का न्यूनतम मूल्य निश्चित करते समय, उड़ीसा के उत्पादकों को पेशकश किये गये मूल्यों की तुलना में बंगाल और आसाम में मूल्यों की अत्यधिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखा था ? और यदि हाँ तो, कितना अन्तर है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : सरकार ने आसाम बाटम पटसन के कलकत्ता में पहुंचने का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित किया है। इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि जब हम उड़ीसा से पटसन खरीदें तो मूल्यों में अन्तर हो। ये मूल्य 35 रुपये और 37 रुपये के बीच हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि चालू वर्ष में राज्य व्यापार निगम द्वारा जितना कुल पटसन खरीदी गई है, वह बिल्कुल नगण्य है क्योंकि मिलों या उनके एजेन्टों उससे कहीं अधिक पटसन खरीदा है और मिलों ने न्यूनतम मूल्यों से बहुत कम मूल्य पर खरीद की है। इस स्थिति से पटसन आयुक्त को भी इस बात का भय होने लगा है कि यदि खेतिहरों को इस प्रकार के अलाभकर मूल्य दिये गये तो अगले वर्ष वे पटसन के स्थान पर किसी और वस्तु की खेती करने लगें और इसके फलस्वरूप पटसन की कमी हो जाये और संकट की स्थिति पैदा हो जाये ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य व्यापार निगम के कार्य का परिणाम अच्छा निकला है। राज्य व्यापार निगम ने पश्चिम बंगाल से लगभग 1·20 लाख मन और उड़ीसा से भी 1·20 लाख मन पटसन खरीदा है……

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : राज्य व्यापार निगम ने मिलों की तुलना में कितना पटसन खरीदा है ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : 10 प्रतिशत से अधिक स्टाक पहले ही मिलों में पहुंच गया है। उड़ीसा से खरीदे गये 1·20 लाख मन में से 1·18 लाख मन पहले ही मिलों में पहुंच गया है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि मिलों ने काफी मात्रा में पटसन खरीद लिया है, मेरे विचार में मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं, और मिलों ने सरकार द्वारा कलकत्ता में पहुंचने के घोषित किये गये 40 रुपये मूल्य से बहुत कम मूल्य दिया है। यह मूल्य उत्पादकों के लिये इतना अलाभ-कर है कि इससे अब इस बात का भय होने लगा है कि अगले वर्ष खेतिहर पटसन के स्थान पर किसी और प्रकार की खेती करने लगेंगे। इससे पटसन की कमी हो जायेगी और संकट की स्थिति पैदा हो जायेगी ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : इस योजना का केवल यही प्रयोजन है कि उत्पादकों को पटसन के लाभप्रद मूल्य मिल सकें। इसीलिये राज्य व्यापार निगम इस क्षेत्र में आया है। हम चाहते हैं कि उत्पादक 40 रुपये से कम मूल्य पर पटसन न बेचें। पटसन की जितनी भी मात्रा हो, राज्य व्यापार निगम इसी मूल्य पर उसको खरीदने के लिये तैयार है।

**Shri K. N. Tiwary** : The Government have fixed the support price at Rs. 40.00 but traders are purchasing the Jute at the rate of Rs. 25 and Rs. 30--32 in all the States. We have been told that it is because of the policy of import of Jute of the Government. The Government have imported Jute from many countries and as a result thereof the prices of Jute have come down. I want to know whether Government would make some arrangement to purchase the Jute at minimum price fixed by Government so that cultivation of Jute may continelle. No one is worried about the quality of Jute having sold in Bihar at Rs. 25 to Rs. 32. Neither State Trading corporation nor any other Government agency is purchasing the same. Whether its import will also be stopped?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : So for the question of Jute is concerned, Government have fixed the price of bottongrade at Rs. 40.00. But there is another quality in Bihar and Orissa which is called Mesta. It is sold at cheaper rate. The State Trading Corporation purchases jute at Rs. 40.00. This scheme is in force in all the States.

**Shri K. N. Tiwary** : It is not so.

### Public Sector Steal Plants

*2. **Shri R. S. Vidyarathi** : **Shri Kanwar Lal Gupta** :
**Shri Ram Gopal Shalwale** : **Shri N. S. Sharma** :
**Shri Hardayal Devgun** : **Shri Raghuvir Singh Shastri** :
**Shri N. K. Somani** :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state !

(a) whether it is a fact that the Pubic Sector Steel Plants are likely to suffer heavy losses this year;

(b) if so, the estimated amount in respect of each plant and the causes thereof;

(c) the production capacity of each plant and the present steel production thereof, separately; and

(d) the action being taken by Government to obviate these losses?

**The Deputy Minister in the Ministry of Steal Mines & Metals ( Shri Ram Sewak) :** (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) and (b) : It is estimated that for the period from April to December, 1967. the Rourkela, Bhilai and Durgapur Steel Plants under Hindustan Steel Ltd. have incurred a loss of the order of Rs. 50.5, Rs. 46.5 and Rs. 126.4 million respectively. The loss is mainly attributable to the general recession which has caused a significant decline in the demand for steel, increasses under capital related charge like depreciation, interest on Government loans, etc. loss of production due to labour un-rest, particularly at Durgapur and Rourkela, operating difficulties due to the heavy damages lo coke ovens at Durgapur, etc.

(c) the following table indicates the production capacity and actual production of steel during the period April—December 1967.

( In Tonnes) )

| | | Production capacity (for 9 months) | Actual production (April-December, 1967 |
|---|---|---|---|
| Rourkela Steel Plant. | Saleable Steel | 5, 31, 000 | 4,46,136 |
| Bhilai Steel Plant. | Saleable Steel | 14, 73, 750 | 9,57,070 |
| Durgapur Steel Plant. | Saleable Steel | 6, 10, 500 | 3,96,818 |

(d) Amongs others, the following steps have been taken to contain and reduce losses :—

(1) To meet slackening internal demand, a vigorous export drive has been launched with encouraging results.

(2) The recommedations made by the Pande Committee are being implemented vigorously to rehabilitate the working of the damaged coke ovens and to improve the operating efficiency of the wheel and Axle Plant.

(3) The production of special steels for which there is adequate demand is being stepped up in all the three Plants.

(4) Possibilities of diversification of production including development of new productss are being explored. In this contact, market surveys are in hand to identify trends in consumer preferences.

(5) Additional capital facilities are being provided both at Rourkela and Durgapur for stepping up the production of special steels.

(6) The question of improving labour-management relations is being discussed with the concerned Central trade unions.

(7) To keep down expenses, tighter control is being exercised over overtime payments, inventory accumulations, usages of materials, etc.

(8) Special attention is being paid to quality of production so that losses due to off-grade production are minimised.

(9) To stimulate internal demand, credit facilities are being extended where necessary.

## सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने

*3. श्री नायनार : श्री मयावन :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ : श्री मुम्हमद इसमाइल :
श्री अंबचेजियान : श्री वीवीकन :
श्री धीरेश्वर कलिता : श्री सत्य नारायण सिंह
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्री स० कुन्दू :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने के लिये एक संविहित संगठन की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संगठन के सदस्य कौन कौन होंगे और उसके कृत्य क्या होंगे ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक)** : सरकारी क्षेत्र में इस्पात उद्योग में पुनर्गठन का सारा मामला, जिसमें सांविधिक निगम की स्थापना का सुझाव भी सम्मिलित है, अभी सरकार के विचाराधीन है।

**Shri R. S. Vidyarthi** : Whether it a fact that most of the production of these plants is that of law grade and if so, whether it is not a faet that there are certain officials employed in these Plants who are neither aware of market trend nor they are aware of the quality for which there is demand in the market. In view of this position what steps Government propose to take against the Government officials to remove them from there, who are responsible for fall in production and whether Government would like to post such persons in their place who are fully aware of the market trends?

**The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. M. Channa Reddy)** : Low grade variety of production is not the only factor responsible for all the losses. However I agree that it is also one of the factors. After necessary of market conditions the work of production is being carried out. Ofcourse there are certain defects and we are making necessary changes taking into these defects. Besides this there is another aspect of equipment of machinery and we can make additions and alterations in the same.

**Shri R. S. Vidyarahi** : Whether it is a fact that the actual loss is more as compared to the losses shown in the statement and the figures shown there in are incorrect.

**Dr. Channa Reddy** : I have placed correct figures before the House.

**Shri Kanwar Lal Gupta** : I want to know whether it is fact that the cost per ton of our Steel is higher than the Steel of Tata and other countries whereas in fact the cost of our steel should be lower. What is the cost of steel and what should be the cost thereof and what is the cost in steel in other countries ? The second point is that so for our full capacity is 26, 15,250 ton whereas actual production is 17 lakh 80 thousand tons. In other words, our steel plants are producing nearly 8, 35, 226 tons less. When these plants would

start producing steel to its full capacity and the amount of loss that would be covered by the same?

**Dr. Channa Reddy** : The capital cost of before our steel plants is Rs. 2500 per ton and it effects the cost of our production very much. Therefore we are forced to work in the some capacity in our steel plants and view of this position we can not make use of Glohal tenders. The second point is that other plants in the world can achieve break even after the their 70 percent rated production, that means the get cost of production. But here if our production becomes 90—94 percent, only then we can reach the stage of breaf even. Therefore our capital cost is higher. I think, we would be able to bring it to 3—4 thousand in two or two and a half year. It has not become possible for us so far due to devaluation also. Now our rate of production is........

**श्री कंवर लाल गुप्त** : हमारे इस्पात संयंत्रों में उत्पादन की लागत कितनी है और अन्य देशों में दूसरे इस्पात संयंत्रों में कितनी है ? मेरा प्रश्न यह है। इस सम्बन्ध में आंकड़े बताइये ?

**Dr. Channa Raddy** : Our actual cost of production is not similar to other countries.

**Shri Kanwar Lal Gupta** : He may tell us the cost of production in the other countries?

**Dr. Channa Raddy** : Our cost of production is Rs. 2500 per ton. This cost is higher because of capitalisation,

**श्री कंवर लाल गुप्त** : हमारे इस्पात संयंत्रों में उत्पादन की वास्तविक लागत कितनी है। मंत्री महोदय कारण बता रहे हैं। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है।

**डा० चन्ना रेड्डी** : मैं यह आंकड़े बाद में दे दूंगा।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : मंत्री महोदय को उत्पादन की लागत का पता होना चाहिये। यह विचित्र बात है कि उन्हें इस बात का पता नहीं है।

**Dr. Channa Reddy** : Our production is not in accordance with the total capacity as yet and the reason thereof is that our demand has come down considerably during the lost two years. I would tell the number of orders that have been cancelled. Order to the tune of 95,542 tons, in Bhillai, 1,28,983 ton in Durgapur and 77,873 ton in Rourkela have heen cancelled.

**श्री रंगा** : हम कुछ समझ नहीं पा रहे। एक सीधा-सा प्रश्न है कि उत्पादन की वास्तविक लागत कितनी है ? यदि उन्हें नहीं पता तो वह यही बात कह दें।

**डा० चन्ना रेड्डी** : मैंने कहा है कि मैं बाद में आंकड़े दे दूंगा।

**Shri Kanwar Lal Gupta** : I had asked as to when our plants would work upto full capacity and after that the amount of less that would he obriated.

**Dr. Channa Reddy** : Only in case our internal demand increases, we can go upto full capacity. According to our own estimate we shall reach that stage in two or three years. In the meantime we ourselves have started exporting the steell from Rs. 21 crores to 32 crores within two or three years from H. S. L. and other places.

**Shri Raghuvir Singh Shastri** : Whether it is a fact that just because of over capitalisation in Hindustan Steel Limited 23 percent of the sale goes to depreciation and interest

whereas in Tata Iron and Steel Company, it is only 9 percent. May I know the reason for this variation in propertion of Hindustan Steel and Tata Iron and Steel Company and how can the same he brought at par ?

**Dr. Channa Rdddy** : The factories of Tata Iron and Steel Company were established in 1920 and rather earlier than that. As their capital cost is less, their depreciation and interest is also less than the steel Plants in Public sector. Our capitalisation cost is on the high side. The hon'ble Member has rightly pointed out that we have to pay more.

**Shri Raghuvir Singh Shastri** : What is the reason of over capitalisation. Why it is mor than Tata ?

**Dr. Channa Raddy** : Government have installed there plants recently. Their cost is much more. Moreover the interest on the capital and depriciation is also charged.

**श्री नन्द कुमार सोमानी** : हिन्दुस्तान स्टील को प्राचीन कुटीर उद्योग नहीं है अपितु संसार का सब से बड़ा और इस्पात की बहुत ही आधुनिक वस्तुएँ बनाने वाला उद्योग है। यदि सरकार की नीतियों के कारण मांग कम हो गयी है, क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि हिन्दुस्तान स्टील के पदार्थों के निर्यात के लिये कौन से विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं और संसार की अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों के मूल्यों की तुलना में हमारे मूल्यों की स्थिति क्या है ?

**डा० चन्ना रेड्डी** : यह न कुटीर उद्योग है और न ही कोई प्राचीन उद्योग है। परन्तु स्थिति यह है कि यह आरम्भिक अवस्था में है और उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है जिसका अभी पूरा उपयोग नहीं किया गया और इस लिये अभी यह कुछ अलाभप्रद है। देश में उपयोग तथा निर्यात के बारे में मैं ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम कैसे प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों में 2 से 4 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। इस वर्ष केवल हिण्दुस्तान स्टील ने 32 करोड़ रुपये का निर्यात किया है। इस प्रकार हम इस दिशा में अभी प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री नन्द कुमार सोमानी** : मैंने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की अपेक्षा अपने मूल्यों की स्थिति भी पूछी थी।

**अध्याक्ष महोदय** : उन्होंने पहले ही कहा है कि वह बता देंगे।

**श्री नायनार** : वर्ष 1965-66 और 1966-67 के उत्पादन की तुलना से पता चलता है कि हिन्दुस्तान स्टील संयंत्री को 88 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। यह भी पता चला है कि दक्षिण वियतनाम को निर्यात करने के बावजूद भिल्लाई संयंत्र अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहा। इस अवस्था में क्या सरकार का यह विचार है कि इस्पात उद्योग में हानि, कुप्रबन्ध, श्रम-विरोधी नीति और भ्रष्टाचार केवल संविधिक संगठन न होने के कारण है और यदि हाँ तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार गैर सरकारी संयंत्रों को भी सरकारी क्षेत्र में ला रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इस का उत्तर दे दिया है।

**डा० चन्ना रेड्डी** : हानि के आंकड़े मैंने पहले ही बता दिये हैं। यह कहना ठीक नहीं

होगा कि सांविधिक संगठन न होने के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है फिर भी यह बात सरकार के विचाराधीन है ।

**श्री चेंगलराया नायडू :** बहुत से माननीय सदस्यों को इस्पात संयंत्रों की स्थिति का ज्ञान नहीं है तो क्या सरकार इस सम्बन्ध मे एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार करेगी जिससे सभा उसे पास करे और हमें इस्पात संयंत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाये और दूसरे सरकार इस्पात संयंत्रों के सम्बध मे एक सांविधिक संगठन बनाने के बारे में विचार करेगी ?

**श्री चन्ना रेड्डी :** मैं ने पहले ही बता दिया है कि सांविधिक संगठन बनाने का मामला विचाराधीन है । इसके निश्चय ही कुछ लाभ भी है परन्तु इस के साथ उसका दूसरा पक्ष भी है ।

**श्री उमानाथ :** मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस्पात के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति क्या है और सरकार द्वारा सांविधिक संगठन के प्रस्ताव पर विचार किये जाने के क्या कारण हैं तथा इस प्रकार के निगम के अन्तर्गत गैर-सरकारी इस्पात संयंत्रों को न लाने के क्या विशेष कारण है ?

**डा० चन्ना रेड्डी :** प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । उन सिफ़ारिशों में एक यह भी सिफ़ारिश है कि सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों को सामान्यतः एक सांविधिक संगठन के अधीन होना चाहिये । इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि इन संयंत्रो के संचालन व्यौरे के सम्बन्ध में जोनों के वास्तविक सीमांकन, उनके संचालव के क्षेत्रों और सरकार, संसद और सरकारी क्षेत्र के निगमों के कार्य संचालय के क्षेत्रों और अधिकारों के बारे में वादविवाद का अवसर दिया जायेगा । यह सब बातें है और इन्हें सभा के सम्मुख ला कर उनकी परिभाषा एक बार निश्चित की जा सकती है । इस से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी और उसके बाद निगम स्वतंत्रता-पूर्वक कार्य कर सकेगा । इन बातों पर हम विचार कर रहे हैं ।

**श्री उमानाथ:** मैंने यह पूछा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों को निगम में सम्मिलित किये जाने के बारे में सरकार ने क्यों विचार नहीं किया ।

**डा० चन्ना रेड्डी :** वे गैर-सरकारी संयंत्र हैं ।

**Shri Mohammad Ismail** : Is there any time limit fixed for setting up this statutory organisation ? I want to know whether there are other public sector undertaking also which are running at a loss and whether Government is contemplatting to setup a similar organisation in respect of them as well ?

**Dr. Channa Raddy** : This matter is under consideration of the Government and a decision will be taken on it very soon. As regards other Public Sector units, I am not in a position to give the details.

**श्री धीरेश्वर कलिता :** माननाय मंत्री ने बताया कि सरकार इस्पात संयंत्रों के लिये एक संविहित संगठन स्थापित करने पर विचार कर रही है । प्रस्तावित संविहित संगठन की रूप रेखा क्या है और इसे किन तरीकों पर स्थापित किया जा रहा है ?

**डा० चन्ना रेड्डी** : हिन्दुस्तान स्टील कारपोरेशन या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन सरकारी क्षेत्रीय एककों के लिये सरकार का इरादा एक विधेयक लाने का है ताकि उनके कार्य को विनियमित किया जा सके।

**श्री धीरेश्वर कलिता** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रस्तावित संविहित निकाय किन सिद्धान्तों के आधार पर स्थापित किया जायेगा ।

**डा० चन्ना रेड्डी** : आधार या सिद्धान्त वही होंगे जो इस समय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत है, परन्तु इस संसद द्वारा पास किये जाने वाले अधिनियम के द्वारा विनियमित किया जायेगा ।

**Shri Satya Narain Sinha** : Government has already appointed a Committee to look into the cases of corruption in the Public Seetor undertakings, but the recommendations of that committee are never implemented. What is the use of having such Committees ? Will the representatives of labour also taken on such committees ?

**Dr. Channa Raddy** : I do not know which committee the hon. Member is referring to.

**An hon. Member** : That of Corruption.

**श्री उमानाथ**—पाण्डेय समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

**श्री स० कुण्डू**—माननीय मंत्री ने बताया कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा एक बड़ी सख्या में आयात आदेशों को रद्द किया गया। क्या इसका कारण यह है कि उत्पादन अच्छी किस्म का नहीं है और यह कि उन्हें माल समय पर सप्लाई नहीं किया जा सका ?

प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने हाल के प्रतिवेदन में कहा है कि सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों के त्रुटिपूर्ण कार्य का एक बड़ा कारण यह है कि उनके कर्मचारियों की नौकरियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। क्या सरकार इस सुरक्षा को समाप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पदोन्नतियां केवल कार्य कुशलता और गुणदोष के आधार पर ही दी जायें ? तीसरे, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में और अन्य सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों में वित्तीय सलाहकार प्रबन्धक निदेशकों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं जो कि एक बहुत ही खतरनाक तरीका है । क्या मंत्री महोदय संसद या सरकार द्वारा वित्तीय सलाहकार नियुक्त किये जाने पर विचार कर रहे हैं ?

**डा० चन्ना रेड्डी**—जो क्रयादेश रद्द किये गये हैं उनके कारण वे नहीं हैं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। अपितु इसका कारण मन्दी का होना और विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मूल योजना उपबन्धों में काफी कटौती करना है। समूचे संभरण पर इसका बुरा असर पड़ा है। जिसमें कटौती करनी पड़ी है ।

जहाँ तक सेवा की सुरक्षा का सम्बन्ध है, यह पूरी तरह सत्य नहीं है। जहाँ आवश्यकता होती है, वहां कार्यवाही की जाती है। सभा को पता है कि पाण्डेय समिति की उपपत्तियों के आधार पर दुर्गापुर में तीन वरिष्ठ अधिकारियों को पदच्युत किया गया है।

जहाँ तक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति का सम्बन्ध है उसे प्रबन्धक निदेशक द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। वास्तव में कुछ लोगों का विश्वास है कि उसकी नियुक्ति का

काम निगम को सौंप दिया जाना चाहिये ताकि उसकी वफादारी निगम के प्रति बनी रही। इस समय उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। यस मामला सरकार के विचारधीन है।

श्री पें० बेंकटासुब्बया : इस्पात उत्पादन के सम्बन्ध में महताब समिति की सिफारिशों को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है ? क्या संविहित संगठन स्थापित करने की बात का श्री स० सुब्रह्मण्यन के विकेन्द्रीकरण के पिछले प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध है ?

डा० चन्ना रेड्डी : महताब समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार और क्रियान्वित कर लिया गया है। जहां तक संविहित संगठन का सम्बन्ध है, 1963 के विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव का भी इससे कोई सीधा सम्बन्ध न होगा। परन्तु संविहित निगम के मामले में भी विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। वह पहलू भी सरकार के विचाराधीन है।

**Shri Abdul Ghani Dar** : May I know the extent to which we have sufferred a loss in the excess export of steel this year?

**Dr. Channa Reddy** : Because of the Competitive price in the international market we are actually suffering a loss. I do not have the figures of the moment, but we have suffered a loss proportionately.

**Shri Abdul Ghani Dar** : Will those figures be given to the House so that the country may know that this is a false show of increased exports and that actually we are suffering a loss?

**Dr. Chaena Raddy** : Exports have nothing to do with putting up a show. Factual position is this that we earn a foreign exchange through exports. It is true t at due to Competitive prices in the international market, we have to suffer a loss in the cost of production. I shall very soon give these figures to the Hon. Member.

**Shri Madhu Limaye** : During the last Budget session, the Hon. Minister had ussured that he would be submitting periodiacl reports to the House that implementation of the Pandey Committee Report. Is the Hon. Minister going to lay a report within a week? Is there any proposal to appoint a defeated Minister as chairman of the Hindustan Steel? A defeated minister cannot boost the production,

**Dr. Channa Reddy** : We are examining the perioeical report on the implementation of the Pandey Committee Report. I shall try to lay before the House the latest position in the shortest possible time. Ass regards the appointment of chairman, we have no such proposal at present.

श्री देवव्रत बरुआ : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में रेलवे द्वारा माल डिब्बों की खरीद में कमी करने का उल्लेख नहीं किया है। जब मंदी आती है, तो सरकार सहायता के लिये आगे आती है। अतः इस सम्बन्ध में उद्योग की सहायता के लिये रेलवे को मनाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

डा० चन्ना रेड्डी : माननीय सदस्य को पता है कि रेलवे को भी अपने योजना कार्यक्रमों में काफी कटौती करनी पड़ी थी जिसके परिणामस्वरूप बहुत से क्रयादेशों को रद्द करना पड़ा था।

श्री लोबो प्रभु : माननीय मंत्री ने यह मान लिया है कि सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में बहुत अधिक पूंजी लगी हुई है और वे प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर नहीं बेच सकते हैं। फिर हम

इस्पात का उत्पादन क्यों बढ़ाने जा रहे हैं ? हमें बोकारो की क्या आवश्यकता है। क्या चार सफेद हाथी काफी नहीं हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह नीति सम्बन्धी मामला है।

**Shri Shive Chandra Jha :** May I know whether any scheme is being framed for workers participation in management under the proposed statutory organisation, if so the nature thereof, if not the reasons therefor?

**Dr. Chann Reddy :** It is a matter of details and I do not want give the details now.

**श्री दी० चं० शर्मा :** सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो भी बुराइयाँ हो सकती हैं वे सब की सब इन इस्पात संयत्रों में हैं। देश के भीतर इस्पात की माँग कम है। पाण्डेय समिति का प्रतिवेदन अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। स्पेशल स्टील का उत्पादन अभी कल्पना ही है। अतिरिक्त पूंजी सुविधाओं का अभी तक पता नहीं लगाया गया है। श्रम-प्रबन्ध सम्बन्धों में सुधार की आवश्यकता है। व्यय बढ़ रहा है और नियन्त्रण कारगर नहीं है। उत्पादित इस्पात की किस्म इतनी ऊँची नहीं है जितनी कि होनी चाहिये। अतः प्रस्तावित इस्पात निगम द्वारा इन बुराइयों को किस प्रकार दूर किया जायेगा ?

**डा० चन्ना रेड्डी :** इन सब बुराइयों की ओर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें से कई एक को हम दूर भी कर पाये हैं।

## + भाषा सम्बन्धी अन्दोलन के दौरान रेलवे को हानि

श्री चेंगलराय नायडू :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री राम गोपाल शालवाले
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम सेवक यादव :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री जुगल मंडल :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री रा० रा० सिंह देव
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री कंवरलाल गुप्त
श्री ना० स्व० शर्मा
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री मोहसिन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेत :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाल में हुए भाषा सम्बन्धी आन्दोलनों के दौरान रेलवे को राज्यवार कुल कितनी हानि हुई है; और

(ख) क्षतिग्रस्त सम्पति की पूर्ति पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

**रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

| (क) राज्य का नाम | हानि की रकम रु० | (ख) क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के बदलाव की लागत |
|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 1,00,068·00 | बदलाव की लागत लगभग उतनी ही होगी जितनी भाग (क) में हानि की कीमत दिखायी गयी है। |
| बिहार | 23.00 | |
| दिल्ली | 20·00 | |
| केरल | 15,693·00 | |
| मध्य प्रदेश | 1,400·00 | |
| मैसूर | 3,000·00 | |
| मद्रास | 19,63,626.00 | |
| उत्तर प्रदेश | 4,14,231.00 | |
| जोड़ | 24,98,061·00 | |

**श्री चेंगलराया नायडू :** संसद ही ऐसे विधेयकों को पारित करती है जिनका बहुसंख्यक जनता पर बुरा असर पड़ता है। जब जनता देखती है कि संसद सदस्य भी इन बुराइयों को दूर नहीं करा सकें हैं तब ही लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये सम्पत्ति को हानि पहुँचाते हैं। यद्यपि मैं इस मत से सहमत नहीं हूँ, फिर भी लोगों के पास केवल यही एक तरीका रह जाता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार सम्पूर्ण हानि को उन संसद सदस्यों से वसूल करने पर विचार करेगी जो ऐसे विधान को पारित करने के लिये जिम्मेदार हैं ? मैं अपना हिस्सा देने के लिये तैयार हूँ। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री महोदय सरकार को भाषा विधेयक की त्रुटियों को दूर करने के लिये परामर्श देंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं।

**श्री देवव्रत बरुआ :** क्या ऐसे गड़बड़ी से निपटने के लिये रेलवे बोर्ड किसी विशेष विधान का सुझाव दे रहा है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** सारे देश में हुई हाल की घटनाओं पर हमें बड़ी चिन्ता है। मेरा तात्पर्य विशेष रूप से उन घटनाओं से है जिनका रेलवे संचालन पर बुरा असर पड़ा है और रेलवे सम्पत्ति को भारी हानि पहुंची है। रेलवे बोर्ड इस मामले पर गम्भीरता से विचार करता रहा है और विभिन्न मंत्रालयों से इस विषय पर चर्चा की गई है। गृह-कार्य मंत्रालय ने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं जिनमें उनका ध्यान उनके क्षेत्रों में पड़ने वाली केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा करने की उनकी जिम्मेदारी की ओर दिलाया गया है। मैं आशा करता हूँ कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में उचित उपाय करेंगी। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि रेलवे न तो इन आंदोलनों का कारण है और नहीं उपचार।

**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि हाल ही में रेलवे अधिकारियों को दो सिफारिशें की गई थी : एक तो यह कि जो व्यक्ति रेलवे सम्पत्ति को तोड़ता है उस पर देखते ही गोली चला दो और दूसरे यह कि रेलवे सम्पत्ति के विनाश के लिये राज्य सरकार को जिम्मेदार

ठहराया जाये ? क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है और यदि हाँ, तो सरकार किस नतीजे पर पहुंची है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत रेलवे सुरक्षा बल को ऐसे अवसरों पर गोली चलाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। विधि तथा व्यवस्था पूर्ण रूप से राज्य का विषय है। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा क्षतिपूर्ति किये जाने का प्रश्न है, यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रद्धाकर सुपाकर : क्या विभिन्न राज्यों में तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने के लिये रेलवे सुरक्षा बल ने राज्य पुलिस की सहायता मांगी थी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रत्येक बार रेलवे सुरक्षा बल तथा रेलवे अधिकारी इन तथ्यों को राज्य सरकारों की जानकारी में लाये हैं और उनसे सहायता मांगी है। वास्तव में प्रत्येक राज्य सरकार की अपनी सरकारी रेलवे पुलिस है और उस राज्य में पड़ने वाले रेलवे क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी उसकी है। निकटतम संपर्क रखा जाता है और अवसर आने पर उनकी सहायता मांगी जाती है।

श्री श्रद्धाकर सुपाकर : विगत घटना में उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री चे० मु० पुनाचा : कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा परिणाम निकला है और परिणाम एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न करते हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : रेलवे सम्पत्ति को अधिक हानि होने तथा व्यक्तियों के जीवन खोने को देखते हुए क्या सरकार असैनिक रक्षा संस्था को जनता का विचार बनाने, मोहल्ला समितियां बनाने ताकि लोग चौकस रहें तथा जहां यह झगड़े हों वहाँ के लोगों पर जुर्माने करने का विचार रखती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : यह सुझाव बहुत उपयोगी हैं। इसके लिये जनता का सहयोग, राज्य सरकार की सहायता तथा सदस्यों के क्रियात्मक रुचि की आवश्यकता है।

**Thri Kanwar Lal Gupta** : Sir, out of a total loss of Rs. 25 lakh worth of property, the loss in non-Hindi States was to the tume of Rs. 21 lakh and in Hindi States it was to the tume of Rs. 4 lakh. May I know the names of State Governments which did not give full cooperation to the Hon. minister and whether the loss occured after he sent his circular about three months back?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह सूचना मैंने अपने उत्तर में दे दी है। वह परिपत्र गृह कार्य मंत्रालय ने भेजा था। मद्रास तथा केरल में सब से अधिक हानि हुई थी। हम राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं।

**Shri Shiv Kumar Shastri** : How many arrests have been made in connection with burning of railway stations etc. and how much money has been realised by way of fines ?

श्री चे० मु० पुनाचा : पुलिस ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 201 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है उनमें से 11 व्यक्तियों को बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। आंध्र

प्रदेश में 60 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें से 20 व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है तथा मुकदमे विचाराधीन हैं ।

**Shri Vishwanath Pandey** : Is some political party behind these language riots and if so what is the name of that and the government's reaction thereto?

**श्री चे० मु० पुनाचा** : यह तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा ।

**श्री जु० कि० मंडल** : क्या सरकार जनता को शिक्षित करने का अभियान चलायेगी कि रेलवे सम्पत्ति की हानि राष्ट्र की हानि है ?

**श्री चे० मु० पुनाचा** : जी हां हम जनता, स्कूल के बच्चों तथा विद्यार्थियों के लिये योजना तैयार कर रहे हैं ।

**Shri Hukam Chand Kachhwai** : Is Government Contemplating of imusting the Railway Police with more powers in states where the State Governments are not cooperating with the central government and is government prepared to ask for compensation from such state governments?

**श्री चे० मु० पुनाचा** : ऐसे सुझाव पर तो यह सदन ही विचार कर सकता है ।

**श्री श्रीधरन** : क्या मद्रास तथा केरल की सरकारों ने रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करने में केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग नहीं किया और यदि हां तो यह किस ब्यौरे के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे ?

**श्री चे० मु० पुनाचा** : मेरी सूचना के अनुसार उन राज्यों में कोई गिरफ़्तारी नहीं की गई । हो सकता है कि उन्होंने और कोई कार्यवाही की हो परन्तु यह तो राज्य सरकार ही बता सकती है ।

**श्री नाथ पाई** : क्या कारण है कि रेलवे के राष्ट्रीयकरण के 25 वर्ष के बाद भी जनता रेलवे सम्पत्ति को अपनी स्वयं की सम्पत्ति न समझकर सरकार की सम्पत्ति समझती है तथा क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि अधिक हानि हिन्दी समर्थकों ने की अथवा अंग्रेजी समर्थकों ने की ?

**श्री चे० मु० पुनाचा** : अभी थोड़े दिनों में रेलवे बजट पेश होगा जहां इस सारे मामले को विस्तार से रखा जायेगा ।

**श्री सेझियान** : क्या मंत्री महोदय को पता है कि जब मद्रास में गंभीर उपद्रव हुए और इसका पता चला तो उस राज्य के मंत्री श्री करुणानिधि तथा एक अन्य मंत्री स्वयं रेलवे स्टेशन पर गये और उसे बचाया ?

**श्री चे० मु० पुनाचा** : यह सच है कि मंत्री महोदय वहां गये परन्तु तबाही उससे पहले हो चुकी थी ।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### Sulphur with State Trading Corporation

*5 **Shri Shashibushan Bajpai.**—Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of sulphur procured by the State Trading Corporation so far for export but not actually exported ;

(b) the storage charges being paid for that sulphur per tonne;

(c) the place where it has been stored and the quantity of sulphur rendered useless by now ; and

(d) the manner in which Government propose to dispose of the remaining sulphur ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) :** (a) S. T. C. is an importer of sulphur and does not procure or store stocks of sulphur for export.

(b) to (d) : Do not arise.

## कपड़े के दाम

***7 श्री मयावन :** **श्री अंवचेजियान :**
**श्री वीवीकन :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सूती कपड़ा मिल्स फेडरेशन ने नियंत्रित किस्म के कपड़े के दमों में 16 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह):** (क) और (ख) भारतीय सूती कपड़ा मिल्स फेडरेशन ने नियन्त्रित कपड़े के मूल्य में 13 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग की है जिसमें से लगभग 10 प्रतिशत कपास के मूल्य में वृद्धि के कारण तथा 3 प्रतिशत मंहगाई भते में वृद्धि होने के कारण है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

## माडल वूलंन मिल्स, बम्बई

***8. श्री रमानी :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री प० गोपालन :**

क्या वाणिज्य मंत्री 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3587 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडल वूलन मिल्स, बम्बई को 2/15 तथा 1/10 के 50,000 पौंड का वसटर्ड तागा दिये जाने के आरोपों की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :**

(क) जी, हां । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूरी की जा चुकी है ।

(ख) उस पर सरकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके विचार कर रही है ।

### मेसर्स साराभाई मर्क, बड़ौदा द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

* 9. श्री जार्ज फरनेन्डोज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़ौदा के मेसर्स साराभाई मर्क द्वारा आयात लाइसेंस का दुरुपयोग किये जाने के बारे में कोई शिकायतें अथवा आरोप मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ;

(ग) क्या उनकी जांच की गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि मेसर्स साराभाई मर्क, बड़ौदा को उनके संयंत्र के बदले में लगाने के लिए जिस उपकरण का लाइसेंस दिया गया था उसका दुरुपयोग उन्होंने उस संयंत्र का विस्तार करने में लगाकर किया है । इस फर्म द्वारा फैक्ट्री में माल बनाने के लिए वास्तविक प्रयोगकर्त्ता के रूप में जो कच्चा माल आयात किया गया था उसके सम्बन्ध में भी यह आरोप है कि उसने इसे आयात व्यापार नियंत्रण विनियमनों का उल्लंघन करके बेच दिया है ।

(ग) और (घ) : आरोपों की जांच की जा रही है ।

### छोटी कार का निर्माण

*10. श्री भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम लागत वाली कारों के निर्माण के सम्बन्ध में फ्रांस की फर्म मेसर्स एंड रिनोल्ट साइट्रोइन तथा टेंडर देने वाले अन्य पक्षों के साथ इस बीच अन्तिम रूप में वार्ता में कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या डिजाइन इंजीनियरिंग, परामर्श सेवाओं तथा अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में फांसीसी फर्मों के साथ वार्ता में कोई प्रगति हुई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) देश में कम लागत वाली कार बनाने में रुचि रखने वाली किसी भी पार्टी के साथ अभी विस्तार में बातचीत नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

### सरकारी क्षेत्र का कोयला उद्योग

*11. श्री भगवान दास : श्री एस्थोस :
श्री रमानी : श्री अनिरुद्धन :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योग के लिये एक संविहित संगठन स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्तावित संविहित संगठन का गठन कैसे किया जायेगा और उसके कार्य क्या होंगे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)

(क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सरकारी क्षेत्र निकायों की रिपोर्ट में , अन्य बातों के अतिरिक्त सिफारिश की है , कि वैधानिक निकायों के रूप को ही सामान्य रूप से औद्योगिक तथा निमार्णकर्त्ता क्षेत्रों की सरकारी परियोजनाओं में प्रयोग किया जाना चाहिये न कि वर्तमान कम्पनी के रूप और उद्योग के हर बड़े क्षेत्र में एक संघटिक निकाय की स्थापना की जाय । कोयला उद्योग के लिये (लिगनाइट को मिला कर ) एक " कोयला और लिगनाइट निगम " स्थापित करने की सिफारिश की गई है जिस में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और नेवेली लिगनाइट निगम दोनों शामिल होंगी । इस रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

**National Coal Development Corporation**

*12. **Shri Ramavatar Shastri** :
**Shri Raghuvir Singh Shastri** :
**Shri Mrityunjay Prasad** :
**Shri K. Anirudhan** :
**Shri Satya Narain Singh** :
**Shri S. M. Banerjee** :
**Shri Rabi Ray** :
**Shri N. K. Somani** :
**Shri A. K. Gopalan** :
**Shri Nambiar** :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that National Coal Development Corporation suffered a loss of Rupees one crore and fifty lakhs during the year 1966-67. whereas it earned a profit of Rs. 65 lakhs during the year 1965-66 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps propesed to be taken by Government to prevent this loss and to make this Corporation a profitable concern ?

**The Minister of State in the Ministɹy of Steel. Mins and Metals ( Shri P. C. Sethi)** : (a) National Coal Development Corporation suffered a loss of about Rs. 1. 58 crores during 1966-67 against a profit of about Rs. 62 lakhs earned during 1965-66.

(b) Main reasons for the loss are due to :

(1) Certain adjustments in the revenue accounts in respect of the naintenance expenditure on certain 3rd Plan projects which had to be closed for want of demand ; and

(2) Slackness in the demand for coal resulting in under-utilisation of the capacity built up.

(c) Steps are being taken to increese sales and production and reduce costs where feasible. An Enquiry Committee under the Chairmanship of Shri G. R. Kamat has been constituted to review the working of the N. C. D. C. This Committee will indentify and assess deficiencies and ascertain the causes therefor in respect of the various spheres of NCDC's

activities. The Committee will also indicate what remedial action can be taken. Further steps will be taken as necessary only after the Committee submits its Report.

**इस्पात कारखानों में मजदूर संघ**

***13. श्री स० मो बनर्जी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन इस्पात कारखानों तथा अन्य परियोजनाओं में मजदूर संघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि औद्योगिक अशान्ति का एक मुख्य कारण है :

(ख) यदि हां, तो क्या एक संघ रखने की नीति को स्वीकार करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री ( डा० चन्ना रेड्डी ) :** (क) से (ग) सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि मजदूर संघों की संख्या में अधिकता और मजदूर संघों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता औद्योगिक अशान्ति के मुख्य कारण हैं। वर्तमान श्रमिक-विधान के अन्तर्गत "एक कारखाने में एक संघ की नीति" को अपनाना संभव नहीं है जब तक संभवतः पारस्परिक समझौते से ऐसी व्यवस्था न हो जाय जिससे मजदूरों की एक ऐसी यूनियन को मान्यता दी जाय जो वास्तव में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती हो और जिसे प्रबन्धक-वर्ग से सामूहिक और सामान्य मामलों पर बातचीत करने को एक मात्र अधिकार हो। इस बारे में एक प्रस्ताव रखा गया है और हाल में कुछ सम्बन्धित मजदूर संघों से कुछ प्रारम्भिक बातचीत भी की गई है।

**हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, लिमिटेड**

*13. श्री श्रीगोपाल साबू : श्री एस्थोस :
श्री रमानी : श्री अनिरुद्धन :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने आर्थिक मन्दी के कारण चालू पंचवर्षीय योजना की अवधि में अपने सभी विस्तार कार्यक्रम स्थगित कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो मन्दी हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद ) :** (क) चौथी योजना के मूल कार्यक्रम के अनुसार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को पिंजौर, कलामासेरी और हैदराबाद स्थित अपने मौजूदा एककों का विस्तार करना था और नये एकक स्थापित करने थे। आर्थिक मंदी के फलस्वरूप कम्पनी ने अपनी ये सभी योजनाएं आस्थगित कर दी हैं।

(ख) कम्पनी और अधिक सूक्ष्म मशीनी औजारों का निर्माण शुरू करके उत्पादन में विविधता ला रही है। उसका विचार विदेशी सहयोग से विभिन्न किस्मों के प्रेस तथा छपाई मशीनें भी बनाने का है। वह अपना निर्यात बढ़ाने के लिये भी प्रयत्नशील है।

(ग) इन उपायों का क्या असर हुआ है यह अभी नहीं बताया जा सकता।

**हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में क्षमता का उपयोग**

*15. **श्री मधु लिमये** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के तीन कारखानों में क्षमता का और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) उत्पादन के अन्य कौन तरीकों का विकास किया गया है अथवा किया जा रहा है; और

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद )** : (क) (1) संयंत्रों के काम का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है और संयंत्रों को इकट्ठे आर्डर देने और उत्पादन में यथा सम्भव विविधता लाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। (2) एक केन्द्रीय वाणिज्य प्रभाग गठित किया गया है जो देश में मुख्य ग्राहकों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित किए हुए है। (3) भारी सूक्ष्म मशीनी औजारों की फालतू क्षमता को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय को भेज दिये गये हैं। (4) जलपोतों के डीजल इन्जन बनाने के एक एकक को हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची के क्षेत्र में स्थापित करने का एक प्रस्ताव सुरक्षा उत्पादन विभाग के विचाराधीन है ताकि इस एकक का अतिरिक्त काम हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन में हो सके। (5) रूसी विशेषज्ञों का एक दल शीघ्र ही पहुँचने वाला है जो उत्पादन में विविधता लाने और विदेशी मण्डियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपकरणों के उत्पादन पर परामर्श देगा।

(ख) (1) कुँए खोदने के बरमें और ढलाई मशीनों के उत्पादन को भी अब भारी मशीनें बनाने वाले संयंत्र के उत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। (2) संयंत्र में गैस सिलिन्डर तथा ऐक्सिल ट्यूबों का उत्पादन किए जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है (3) रेलगाड़ी के डीजल इंजनों की क्रेंक शाफ्ट जलपातों के डीजल इंजनों के पुर्जे, मुड़े हुए पाइप, सांचे और ट्रैक्शन गियर और रक्षा के कुछ उपकरणों का उत्पादन फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र में प्रारम्भ किया जा रहा है।

(ग) विदेशों में नियुक्त हमारे वाणिज्यिक सलाहकारों की सहायता से निर्यात करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये कम्पनी के अधिकारी मध्य पूर्वी देशों, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, दक्षिण वियतनाम, सिंगापुर तथा मलेशिया गये थे।

### थाईलैण्ड से पटसन का आयात

*16. श्री यशपाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री थाईलैण्ड से पटसन के आयात के बारे में 28 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1466 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने थाईलैण्ड से पटसन के आयात के सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों की इस बीच जांच कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) केन्द्रीय जाँच विभाग एक विशेष मामले की जाँच कर रहा है और जांच पूरी हो गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय कुछ ही समय में किये जाने की आशा है।

### छोटी कोयला खानों को एक दूसरी के साथ मिलाना

*17. श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री अब्राहम :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटी कोयला खानों को अनिवार्य रूप से एक दूसरी के साथ मिलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है: और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) प्राप्त संसाधनों का भली प्रकार से विदोहन करने के लिये तथा उत्पादन ढंग को वैज्ञानिक तथा युक्तियुक्त बनाने के विचार से इस प्रश्न की परीक्षा की जा रही है कि क्या छोटी तथा अमितव्ययी कोयला खानों का एकीकरण अनिवार्य रूप से किया जाय।

### उद्योगों में मन्दी

*18. श्री ईश्वर रेड्डी : श्री लीलाधर कटकी :
श्री श्रीगोपाल साबू : श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रा० बरुआ :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2629 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों में फैली हुई मन्दी को दूर करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद ) : (क) 1 दिसम्बर, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2629 के उत्तर में मन्दी को दूर करने के बारे में उठाए गये कदम काफी व्यापक हैं और इन्हीं को और अधिक तेज करने के अतिरिक्त इस मामले में और भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(ख) और (ग) इन उठाए गए कदमों के फलस्वरूप सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि मन्दी से अधिक प्रभावित उद्योगों में उत्पादन बढ़ने लगा है। फिर भी, स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है, यह ठीक-ठीक अभी नहीं बताया जा सकता ।

### रेलवे की आय में कमी

*19. श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री वीरेश्वर कलिता :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में रेलवे की आय में काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे की आय बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चालू वर्ष के पहले 8 महीनों में जो आमदनी हुई, वह चालू वर्ष में उक्त अवधि के बजट अनुपात से लगभग 2·4 प्रतिशत कम है।

(ख) आमदनी में गिरावट मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों में मंदी के कारण आयी ।

(ग) सेवा-स्तर में सुधार जैसे समय पर पर्याप्त मालडिब्बों की सप्लाई, मार्ग में माल की ढुलाई में लगने वाले समय में कमी और माल की सुरक्षित ढुलाई सुनिश्चित करके रेलों के लिए और अधिक यातायात जुटाने के प्रयास किये जा रहे हैं । औचित्य होने पर दरों में समंजन भी किये जाते हैं ।

### द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

*20. श्री वीवीकन : श्री हेम बरुआ :

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में किन देशों ने भाग लिया; और

(ख) उस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार किया जा रहा है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख) द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों को एक सूची तथा सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिए स्वीकृत कार्य सूची (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 18/68]

### ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के विशेषज्ञ

*21. **श्री एस्थोस** :
**श्री गणेश घोष** :
**श्री राम भजन** :
**श्री पी० राममूर्ति** :
**श्री चक्रपाणि** :
**श्री मयावन** :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 में ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन का एक विशेषज्ञ दल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका भारत आने का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या उसने कोई रिपोर्ट दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)** : (क) जी, हाँ। ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन का एक विशेषज्ञ दल 29 जनवरी, 1968 को भारत पहुंच गया है।

(ख) यह दल इस बात का पता लगायेगा कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के पूर्ण प्रभावी संचालन के लिए ब्रिटेन् से किस किस साज-सामान और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठाता ।

### रूस के साथ व्यापार

*22. **श्री हेम बरुआ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत सरकार से कहा है कि उसकी हमारे देश में गैर-सरकारी फर्मों से व्यापार करने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) सोवियत रूस द्वारा कोई विशेष सुविधाएं नहीं मांगी गयी है । भारत में उनको वैसी ही व्यापारिक सुविधायें प्राप्त हैं जैसी कि अन्य देशों के व्यापारिक समवायों को प्राप्त हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## टायर-ट्यूब उद्योग

*23. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मुहम्मद इमान :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर-गाड़ी टायर-ट्यूब उद्योग को लाइसेंस देने की दृष्टि से उस सूची से निकाल दिया गया जिसमें वे वस्तुएं दी गई हैं जिनके लिये लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस व्यवस्था को इस प्रकार उदार बनाने से क्या परिणाम निकलेंगे तथा क्या उत्पादन के कुछ प्रतिशत का निर्यात करना अनिवार्य किया गया है ;

(ग) क्या इससे देश में टायर-ट्यूब के मूल्य और बढ़ेंगे ; और

(घ) दिल्ली तथा अन्य स्थानों में वास्तविक उपभोक्ताओं को नियंत्रित दर पर मोटर गाड़ी टायर-ट्यूब बेचने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद ) : (क) जी, हां।

(ख) मोटर गाड़ी के टायरों तथा ट्यूबों की उत्पादन क्षमता और अधिक बढ़ाने की दृष्टि से इस उद्योग को प्रतिबंधित सूची से निकाल दिया गया है। फिलहाल अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की स्थापना के लिये शर्त यह है कि कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत निर्यात किया जाय।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मोटर गाड़ी के टायरों और ट्यूबों के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। सरकार ने मोटर गाड़ी के टायर निर्माताओं से टायरों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। टायरों को उचित मूल्यों पर बेचने के लिए उन्हें परामर्श दिया गया है। अभी हाल ही में स्कूटर के टायरों को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक "अत्यावश्यक वस्तु" घोषित कर दिया गया है। यह उद्योग टायर और ट्यूबों के उत्पादन का 10 प्रतिशत बदले जाने के लिए सरकारी समितियों जैसे सुपर बाजार के द्वारा बेचने के लिये भी सहमत हो गया है।

## हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

*24. श्री देवकीनन्दन पाटौदिया : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को इस समय प्रबन्धक नहीं मिल रहे हैं जिसके कारण इस्पात कारखाने के काम पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) योग्य प्रबन्धकों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) भविष्य में इस सरकारी कारखाने की देखभाल करने के लिये योग्य प्रबन्धकों की व्यवस्था करने के लिये क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) से (ग) : संभवतः माननीय सदस्य हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष, राउरकेला इस्पात कारखाने के महाप्रबंधक और दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिए एक प्रमुख कार्य-संचालक के पदों पर नियुक्तियों के बारे में पूछ रहे हैं। यदि ऐसा है तो ये नियुक्तियां शीघ्र ही की जाने वाली हैं। यद्यपि ये नियुक्तियां आवश्यक हैं तथापि इस्पात कारखानों का कुशल-संचालन उच्चतम प्रबंधकों पर ही निर्भर नहीं करता। आजकल कारखानों के दिन-प्रतिदिन के काम की देखभाल कारखानों के वरिष्ट अधिकारियों की एक समिति द्वारा तथा कंपनी के मुख्यालय में उपाध्यक्ष द्वारा संतोषजनक ढंग से की जा रही है।

भविष्य में उच्च स्तर के प्रबंधक कारखानों से ही लिये जाने हैं और इस उद्देश्य को सामने रख कर प्रबन्ध-विकास की पद्धतियों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

## ट्रैक्टर उद्योग पर से लाइसेंस हटाना

*25. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री रवि राय :
श्री रणधीर सिंह :
श्री क० हाल्दर :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रैक्टर उद्योग पर से लाइसेंस हटाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को ट्रैक्टर निर्माताओं से कोई शिकायत मिली है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां।

(ख) लाइसेंस हटाने का प्रमुख उद्देश्य इस उद्योग के वास्ते शीघ्र ही अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देना है जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों में सहायता की जा सके।

(ग) जा, नहीं।

## रेलवे विस्तार योजनायें

*26. श्री म० ला० सोंधी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे का विचार योजना आयोग के सुझावों का पूर्ववत अनुकरण करने की बजाय अपनी विस्तार योजनाओं में वाणिज्य-प्रधान दृष्टिकोण अपनाने का है;

(ख) क्या नई लाइनों की आवश्यकता तथा लाभप्रदता का अनुमान लगाने की योजना आयोग की योग्यता पर रेलवे को संदेह हो गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे को मालूम हुआ है कि कुछ नये मार्गों पर उतना यातायात नहीं होता है जितने की आशा थी ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) रेल मंत्रालय सभी नयी लाइनों के विर्माण का काम विस्तृत अध्ययन के बाद और योजना आयोग की सहमति से अपने हाथ में लेता है। चूंकि नयी लाइनों का निर्माण एक समेकित योजना का अंग होता है, इसलिए यह कार्यविधि अपनायी जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कुछ नये मार्गों पर अभी यातायात प्रत्याशित स्तर तक नहीं पहुँचा है, जबकि अन्य मार्गों पर पहुँच गया है। चौथी योजना में शामिल की गयी भारी औद्योगिक, खनिज-संबंधी एवं अन्य परियोजनाओं के लिये आवश्यक रेलवे लाइनों पर विचार करते समय वित्तीय प्रतिफल का हिसाब दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लगाया जाता है।

### तालचेर में उद्योग-समूह

*27 : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालचेर में उद्योग-समूह का विकास करने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि राज्य सरकार ने इस परियोजना में लगे हुए सभी तकनीकी कर्मचारियों को अन्यत्र नौकरी ढूंढने के लिये कह दिया है और वे सब नौकरी छोड़ कर चले गये हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :**

(क) नहीं, महोदय।

(ख) इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया।

(ग) नहीं, महोदय।

### मद्रास पत्तन पर लौह-अयस्क की हानि

*28 **श्री हरदयाल देवगुण : क्या वाणिज्य मंत्री** मद्रास पत्तन पर लौह-अयस्क के हानि के बारे में 22 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 842 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन पर 1,16,724 टन लौह-अयस्क की हानि के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही पूरी हो गई है।

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला।

(ग) क्या मद्रास पत्तन पर लौह-अयस्क कम होने के कारण हुई हानि को लौह-अयस्क

के संभरणकर्ताओं ने पूरा करना स्वीकार कर लिया था और क्या उन्होंने हानि पूरी कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संभरणकर्ताओं से यह हानि पूरी करने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :**

(क) तथा (ख) : मामले की जांच के परिणामस्वरूप, विभागीय जांचों का आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के सुझाव पर विभागीय जांचों के आयुक्त की उपपतियों को संबंधित अनुशासनिक अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया तथा अधिकारियों को निर्दोष घोषित कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) : संबंधित संभरणकर्ताओं से 31-1-68 तक लगभग 10 लाख रुपये वसूल कर लिये गये हैं, तथा और वसूली जारी है।

**दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्व एशिया में भारतीयों को व्यापार से हटाने का चीन का प्रयत्न**

*29 **श्री समर गुह :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्व एशिया के देशों में भारतीयों द्वारा किये जाने वाले व्यापार तथा करोबार पर चीनी प्रतिस्पर्धियों द्वारा उत्तरोत्तर अधिकार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में भारत के व्यापार तथा कारोबार को बनाये रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्व एशिया के देशों के सहयोग से सरकार का विचार उन देशों की सरकारों के माध्यम से व्यापार तथा करोबार आरंभ करने का है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) से (ग) यह कहना ठीक नहीं होगा कि दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्व-एशिया में भारतीयों द्वारा किये जा रहे व्यापार तथा कारोबार पर चीनी प्रतिस्पर्धियों द्वारा अधिकार किया जा रहा है। फिर भी भारत सरकार द्वारा स्तर को बनाये रखने और इन क्षेत्रों में भारत के व्यापार में वृद्धि करने के प्रयत्न जारी हैं। ऐसे प्रयत्नों में करार व्यवस्थाएं करना भारतीय माल की खरीद के लिए वाणिज्यिक ऋण देना भारतीय उत्पादों के बाजार सर्वेक्षण, गुण नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण का आरंभ आदि शामिल हैं : स्थानीय उद्योगपतियों के सहयोग से इन देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भारतीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

**एशियाई साझा बाजार**

*30 **श्री बेणीशंकर शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई साझा बाजार स्थापित करने की वांछनीयता पर नये सिरे से विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (ग) : इस समय सरकार एशियाई साझा बाजार के विषय में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। फिर भी, एशियाई देशों के मध्य घनिष्टतर आर्थिक संबंधों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

**समवाय सचिवों की संस्था**

*31. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय सचिवों की एक संविहित संस्था की प्रस्तावित स्थापना के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसकी सदस्यता के लिये क्या अर्हताएँ निर्धारित की जा रही है; और

(ग) प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली तथा कोषाध्यक्ष प्रणाली को समाप्त करने की सरकार की घोषित नीति को देखते हुए क्या सरकार का विचार इन दोनों प्रणालियों के स्थान पर केवल व्यावसायिक योग्यता प्राप्त समवाय सचिवों को ही काम करने की अनुमति देने का है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद )** :

(क) कम्पनी सचिवों का विधिक संस्थान निर्माण करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अन-लाभार्जन संगठन के नाम से एक संस्थान बनाने का निर्णय कर लिया है। प्रस्तावित संगठन के नियतन के लिये, औपचारिकतायें पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।

(ख) व्यक्ति, जिनके पास निम्नलिखित योग्यतायें हों, संस्था की सदस्यता के पात्र होंगे।

1—वह, जो कम्पनी सचिवत्व में वर्तमान सरकारी डिप्लोमा प्राप्त है;

2—कोई व्यक्ति, जो संस्थान के निगमन के समय किसी संस्थापन के संगठन के सचिवीय विभाग की सेवा में संलग्न है, चाहे वह संस्थान का सदस्य पंजीकृत होने के लिये, साधारण अपेक्षित योग्यतायें न रखता हो, परन्तु ऐसी शर्तें पूरा करता हो, जैसी केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन सहित संस्थान की समिति निर्दिष्ट करे;

3—कोई व्यक्ति ऐसी परीक्षा पास कर चुका हो, तथा ऐसा प्रशिक्षण पूर्ण कर चुका हो, जो संस्थान द्वारा विहित हो;

4—कोई व्यक्ति, भारत के बाहर, ऐसी अन्य परीक्षायें पास कर चुका हो, तथा ऐसे अन्य प्रशिक्षण पूर्ण कर चुका हो जैसे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, तथा जो संस्थान के सदस्यों के लिये विहित परीक्षा तथा प्रशिक्षण के समान हो।

परन्तु, उस व्यक्ति के मामले में, जो भारत का स्थाई निवासी नहीं

है, भारत सरकार ऐसे अन्य प्रतिबन्ध आरोपित कर सकती है, जैसे वह उचित समझे ।

(ग) नहीं श्रीमान्, कम्पनी सचिवों को उन सम्पूर्ण क्रियाओं का पालन करना अपेक्षित नहीं, है, जिन्हें कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये गये प्रबन्ध अभिकर्ता तथा सचिव व कोषाध्यक्ष गण पालन करते हैं। अतः केवल व्यवसायक योग्यता प्राप्त कम्पनी सचिवों द्वारा शून्यक पूरा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कम्पनी कार्य विभाग ने, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों तथा साथ ही वाणिज्य मंडलों के साथ उनके सचिवीय विभागों में योग्यता प्राप्त सचिवों को नियुक्त करने की वांछनीयता बताने का मामला ग्रहण कर लिया है ।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रेलवे में रिक्त-पदों का आरक्षण :**

2. **श्री सिद्दय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में जनवरी, 1968 तक की अवधि में प्रत्येक रेलवे में तथा रेलवे बोर्ड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने-कितने रिक्त पदों को भरने के लिये विज्ञापन दिये गये थे;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने पद आरक्षित थे;

(ग) इसी अवधि में प्रत्येक श्रेणी के रिक्त पदों के लिये उन जातियों के अभ्यर्थियों के कितने आवेदन पत्र आये ; और

(घ) कितने रिक्त पदों पर वस्तुतः नियुक्तियां की गयीं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) से (घ) : सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

**शराब बनाना**

3. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तथा विदेशियों की भारत में बीयर तथा शराब बनाने की शराब की भट्टियाँ कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं तथा वे कहाँ-कहाँ स्थित हैं और उन पर कितनी पूंजी लगी हुई है, उनके निदेशकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक भट्टी के मामले में विदेशी सहयोग का, यदि कोई हो, ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक भट्टी के मामले में तैयार किये गये उत्पादकों के नाम तथा विवरण क्या हैं, तथा ये उत्पाद कितने मात्रा में तथा कितने मूल्य के तैयार किये गये ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक शराब कारखाने ने कितने मूल्य के माल का निर्यात किया और किन-किन देशों को किया ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक शराब कारखाने को कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने की अनुमति दी गई और कौन-कौन सी वस्तुओं का आयात किया गया और किस विशेष प्रयोजन के लिये;

(ङ) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष विदेशी कम्पनियों ने लाभ की कितनी राशि विदेशों को भेजी;

(च) कर्मचारियों की, कम्पनी-वार कितनी संख्या है और उन के वेतनों पर प्रति वर्ष कितना खर्च आता है;

(छ) इन कम्पनियों में, कम्पनी-वार कितने विदेशी कर्मचारी हैं, उन की तनख्वाह कितनी है और वे प्रति वर्ष विदेशों को कितनी राशि भेजते हैं; और

(ज) पिछले तीन वर्षों में उत्पादकों को, कम्पनी-वार प्रतिवर्ष कितना लाभ हुआ ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) से (ज) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**रेलवे माल डिब्बों का निर्माण**

4. **डा० रानेन सेन:** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 तथा जनवरी, 1968 में भारत में विभिन्न फर्मों को कितने तथा कितने मूल्य के रेल के माल डिब्बे बनाने के आदेश दिये गये हैं, और

(क) उन फर्मों के नाम क्या है जिन्हें बड़ी संख्या में रेल के माल डिब्बे बनाने के आदेश दिये गये हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 19/68]

**राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशों में बनी कारों की बिक्री**

5. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० डी० तथा अन्य विदेशी निर्मित कारों की बिक्री तथा निपटान के मामले में राज्य व्यापार निगम द्वारा अपनाई गई यथार्थ प्रक्रिया क्या है;

(ख) ऐसी कारों की बिक्री साल में कितने बार होती है और उस बिक्री की विशिष्ट तरीखों तथा महीनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1967 में राज्य व्यापार निगम द्वारा बेची कई विभिन्न विदेशी निर्मित कारों, उन को बेचने की प्रक्रिया तथा उनके मूल्यों का पूरा-पूरा विवरण क्या है ; और

(घ) राज्य व्यापार निगम के पास इस समय बिक्री के लिये कितनी विदेश-निर्मित कारें उपलब्ध हैं और वे संभवतः किस-किस ताराख को बेची जायेंगी ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :**

(क) (1) राज्य व्यापार निगम, राजनयिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों से कारों को, उनकी आयु एवं खरीदने की तारीख पर बिचार किये बिना ही, आयात करते समय

घोषित लागत-बीमा भाड़ा सहित मूल्यों पर खरीदता है सामान्य टूट-फूट से हुए मूल्यह्रास के कारण इन कारों के मूल्यों में कोई कमी नहीं की जाती।

(2) गैर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों की विदेशी कारें राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रतिवर्ष के लिये 20% के दर से मूल्य ह्रास काट कर खरीदी जाती हैं।

(3) राज्य व्यापार निगम, उपभोक्ताओं के निम्नलिखित वर्गों को अपनी कारें बेचता है।

(1) पर्यटक संवर्द्धन
(2) राष्ट्रपति भवन
(3) राज भवन
(4) केन्द्रीय सरकार राज्य/सरकार
(5) सरकारी उपक्रम
(6) टेंडरों के माध्यम से जनता में बिक्री की जाती है।

(ख) टेंडरों के माध्यम से वर्ष में सामान्यतया तीन चार बार बिक्री की जाती है। किन्तु ऐसी बिक्रियों के लिये कोई निश्चित कालान्तर नहीं रखा जाता:

(ग) 1967 में विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं को तथा टेंडरों के माध्यम से जनता के बेची गई कारों के ब्यौरे क्रमशः दो संलग्न विवरणों में (अंग्रेजी में) दिये गये हैं। [पुस्तकलय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 20/68]

(घ) टेंडरों के माध्यम से लगभग 210 कारें मार्च 1968 के प्रथम सप्ताह तक बिक्री के लिये उपलब्ध की जाने की सम्भावना है।

### औद्योगिक उत्पादन

6. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक उत्पादन में विभिन रुकावटों पर विचार करने तथा उन्हें दूर करने के उपायों का सुझाव देने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त कर्णधार (स्टियरिंग) समिति बनाई गई है; और

(ख) इस समित के सदस्य कौन-कौन हैं और इस प्रतिवेदन के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद)** :

(क) जी, हां

(ख) कर्णधार (स्टियरिंग) समिति का सभापतित्व औद्योगिक विकास विभाग के सचिव ने किया तथा इसमें पेट्रोलियम और रसायन लोहा इस्पात, खान तथा धातु, आर्थिक कार्य, श्रम और रोजगार, योजना आयोग तथा टेलीफोन महानिदेशक तथा विकास विभाग के वरिष्ठ सदस्य सम्मिलित हैं।

उस समिति का मुख्य कार्य समय पर उत्पन्न हुई कठिनाइयों को आवश्यक उपायों द्वारा दूर करना है। अतः समिति कोई औपचारिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करेगी।

### अंदी रेलवे स्टेशन पर सिरकार एक्सप्रेस गाड़ी का रुकाना

7. **श्री द० ब० राजू :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे में भीमवरम-गुडीवाडा लाइन पर अंदी रेलवे स्टेशन पर जो कि एक बड़ा व्यापार केन्द्र है, सिरकार एक्सप्रेस रेलगाड़ी के न रुकने के कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाई और असुविधा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):**

(क) उन्डी स्टेशन पर 43/44 सिरकार एक्सप्रेस गाड़ी के न ठहरने के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में रेल प्रशासन को कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### मध्य प्रदेश में हेपाटाइट अयस्क

8. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में हेपाटाइट अयस्क पाये गये हैं ; और

(ख) प्रत्येक जिले में उनकी मात्रा कितनी-कितनी है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रैड्डी):**

(क) और (ख) मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में हैपाटाइट लोहा अयस्क प्राप्त होते हैं :

| जिले के नाम | अनुमानित मात्रा (मिलियन टन में) |
|---|---|
| 1. बसतर | 2,275 |
| 2. दुर्ग | 115 |
| 3. जब्बलपुर | 100 |

### पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति

9. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तथा उसके बाद भारत द्वारा पाकिस्तान की कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति जब्त की गई तथा उसका अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या उक्त अवधि में पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति के विरुद्ध उपरोक्त सम्पत्ति का समयोजन किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) परिरक्षक द्वारा भारत स्थित 2,715 लाख रु० मूल्य की निम्नलिखित पाकिस्तानी सम्पत्तियां अपने अधिकार में ले ली गई थीं :—

| | ( लाख रु० ) |
|---|---|
| निहित हित वाली फर्में | 115 |

| | (लाख रु०) |
|---|---|
| भवन | 300 |
| सम्पदाएं | 200 |
| शेयर | 300 (प्रत्यक्ष मूल्य) |
| ऋण पत्र (सिक्यूरिटीज) | 1,500 (प्रत्यक्ष मूल्य) |
| नकद | 300 |
| | 2,715 |

(ख) चूंकि दोनों देशों द्वारा जब्त की गई सम्पत्तियों के पारस्परिक प्रत्यावर्त्तन के लिये भारत सरकार के प्रयत्न पाकिस्तान सरकार के साथ अब भी जारी हैं, अतः उपर्युक्त पाकिस्तानी सम्पत्तियों का पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्तियों के बदले में समंजन करने का प्रश्न नहीं उठता।

**राज्य व्यापार निगम द्वारा कपड़ा बनाने की मशीनरी का आयात**

10. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 694 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 में रेयक्स के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई कपड़ा बनाने की मशीनरी का देश में निर्माण नहीं किया जा सकता था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आयात की गई मशीनरी तथा देश में बनाई जा रही मशीनरी का ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)**:

(क) से (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**Tuticorin Express At Tambaram Station.**

11. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all passengers travelling by the Tuticorin Express were made to leave the train at the Tambaram Railway Station of Madras State as reported in 'Vir Arjun' of the 15th January, 1968 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action Government propose to take to prevent the recurrence of such incidents ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):**

(a) Yes. On 13-1-1968.

(b) An anonymous Telephone call was received at Tamburam station informing that a time-bomb had been planted on 103 Madras-Tuticorin Express. In the interest of the passengers' safety the train had to be vacated for a thorough check at Tambaram.

(c) The Police have set up informants to give timely intimation regarding persons who make these anonymous calls. The Telephone Exchange employees have also been requested to give timely intimation to the Police.

## रूरकेला से कटक, भुनेश्वर और पुरी तक सीधी रेलगाड़ियाँ

12. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला से उड़ीसा में कटक, भुवनेश्वर और पुरी आदि स्थानों को कोई सीधी सवारी गाड़ी अथवा एक्सप्रेस गाड़ी नहीं जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बारे में वहाँ के स्थानीम लोगों ने कई अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी गाड़ी न चलाये जाने के यदि कोई कारण हैं तो क्या ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**

(क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस समय एक ओर रूरकेला और दूसरी ओर कटक, भुवनेश्वर और पुरी के बीच होने वाले सीधे यातायात की मात्रा इतनी नहीं है कि इन स्टेशनों के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने की आवश्यकता हो । इसके अलावा पूर्वी घाट खण्ड पर आपेक्षित लाइन क्षमता का उपलब्ध न होना और चल स्टाक की कमी भी प्रस्तावित गाड़ी को चलाने में बाधक है ।

## ताज एक्सप्रेस रेलगाड़ी जैसी गाड़ियों का विभिन्न राज्यों में चलाया जाना

13. **श्री सिद्दय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों को ताज एक्सप्रेस जैसी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां दी गई हैं ;

(ख) क्या उन्होंने वे गाड़ियां चलाना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा)** :

(क) महाराष्ट्र राज्य ।

(ख) जी हां । बम्बई पूना खण्ड पर डेक्कन क्वीन ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## रेलवे के सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व

14. **श्री सिद्दय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख) रेल सेवा आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों के पदों से सम्बन्धित भर्ती नियमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । फिर भी, जब संघ लोक सेवा आयोग

के परामर्श से पद भरे जाते हैं तो उस समय अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ इन जातियों के व्यक्तियों को भी ध्यान में रखा जाता है।

**तालचेर और बिलमगढ़ के बीच रेल लाइन**

15. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तालचेर को बिमलगढ़ से मिलाने वाली रेलवे लाइन के लिये नये सिरे से सर्वेक्षण करने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने इस रेलवे लाइन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि पारादीप पत्तन से आसानी से निर्यात किया जा सके ;

(ग) क्या इस रेलवे लाइन के हेतु व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकार तथा अन्य लोगों ने भी अभ्यावेदन दिये हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन सब मांगों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) प्रदीप बन्दरगाह के रास्ते लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर विचार किया था और उसकी राय में इस समय इस लाइन को बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

**Sale of Imported Cars**

16. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number and models of light passenger motor cars imported during the last two years together with the names of the countries from which they were imported and the cost of each of them and the import duties and other taxes imposed on them ;

(b) the criteria for the distribution or sale of these motor cars and the agency responsible for this work :

(c) whether the sale of these motor cars was conducted through the State Trading Corporation only or through some other agency also ; and

(d) the names of persons or organisations to whom motor cars have been allotted, the price charged for each of these motor cars and the purpose of such allotment ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :** (a) to (d) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**रूरकेला इस्पात कारखाना**

17. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने में लगभग 1200 कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है;

(ख) क्या उनके लिये किसी अन्य रोजगार की व्यवस्था की जा रही है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्य संस्थानों में उन्हें रोजगार देते समय उनकी वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा जाता है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :**

(क) से (ग) अभी शीघ्र ही रूरकेला इस्पात कारखाने में 1200 कर्मचारियों की छंटनी का प्रस्ताव नहीं है । निर्माण प्रसार कार्य के पूरा हो जाने पर निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को भविष्य में फालतू घोषित कर दिया जायेगा । उनमें से अधिक से अधिक कर्मचारियों को कम्पनी के नियमित संस्थापन में लगा दिया जायेगा तथा राज्य और सरकारी एजेन्सी की सहायता से उन्हें वैकल्पिक नौकरी देने की व्यवस्था की जायेगी । सामान्यता उनकी संस्थानों में नियुक्ति उपयुक्ता तथा अभिरुचि आदि के आधार पर की जाती है। उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करते समय उनकी वरियता पर भी ध्यान दिया जाता है।

### हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

18. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री एम० एस० राव की सेवा निवृत्ति के पश्चात हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में अभी तक कोई भी चेयरमैन नियुक्त नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :**

(क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में शीघ्र ही चेयरमैन के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी । इस पद पर नियुक्ति का कार्य बहुत महत्व का है और उपयुक्त और अनुभवी सदस्यों की सेवाएँ प्राप्त करते समय काफी बड़े क्षेत्र में खोज करनी पड़ती है । इसी बीच उपाध्यक्ष का एक पद बनाया गया था और उस पद पर एक अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति की गई है । वह चेयरमैन के कार्य को भी देख रहे हैं ।

### Bharat Heavy Electricals, Ramachandrapuram

19. **Shri Y. S. Kushwaha : Dr. Surya Prakash Puri : Shri Ramavtar Sharma : Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Electrical and Mechanical engineers of the Army were deputed in May, 1967 in the Bharat Heavy Electricals, Ramachandrapuram for production purposes;

(b) the reasons therefor and the period for which this arrangement will continue ;

(c) the number of the army personal deputed and whether the permission of the Defence authorities concerned was obtained before deputing them ; and

(d) whether this action is just and legal under the Factories Act ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)**

(a) No, Sir.

(b) to (d) : Do not arise.

### संयुक्त-राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

20. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय-संयुक्त-राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के लिये 2 लाख रुपये की लागत के पर्दे, लगभग 2 लाख रुपये के चीनी के बर्तन और प्रति कुर्सी 200 रुपये के हिसाब से कुर्सियां बिना निविदायें मांगे खरीदी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जाँच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

### Price of Steel

21. **Shri R. S. Vidyarthi : Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri N. S. Sharma : Shri M. L. Sondhi :**

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of Steel is likely to go up after a few months;

(b) if so, the reasons therfor and the steps being taken by Government to prevent the rise in steel prices ; and

(c) whether the prices of many other commodities are also likely to go up consequent on rise in steel prices ?

**The Miniter of State in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri P. C. Sethi)** : (a) The prices of all catagories of steel were increased by Rs. 3/- per tonne with effect from 31. 1. 1968 to enable billets to be supplied to Re-rollers for export products. It is understood that Joint Plant Committee is also considering a proposal to increase the freight element further, as the actul average freight incurred works out to be more than the freight element at present included in the price and the Freight Equation fund has run into heavy arrears. It is difficult to predict the course of future prices of steel as a result of factors other than the adjustments of freight.

(b) There is at present no official control over prices, however Government maintain a constant review of prices and stimulate production to ensure supplies at reasonable prices.

(c) It is difficult to say how the price of other commodities will behave as it depends on various other market considerations also.

### भारती रेलवे रेखा-चित्र (ड्राइंग) कर्मचारी संस्था

22. श्री नायनार : श्री नम्बियार :

श्री गणेश घोष : श्री चक्रपाणि :

क्या रेलवे मंत्री 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3649 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे रेखा-चित्र कर्मचारी संस्था द्वारा वेतन-क्रमों में परिवर्तन करने तथा शिकायतों को दूर करने सम्बन्धी भेजे गये ज्ञापन पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** (क) से (ग) ज्ञापन में पेश की गयी विभिन्न मांगों पर विचार किया गया है। ये वेतन-मानों और उच्चतर पद-क्रम पदों में वृद्धि, पदोन्नति की सारणी में सुधार आदि के सम्बन्ध में थीं। सरकार की दृष्टि में इन नियमों को और अधिक उदार बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

## सुराकाचार कोयला खान से तारों के गुम होने के बारे में जांच

23. **श्री नायनार :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्री पी० राममूर्ति :**
**श्री गणेश घोष :**
**श्री भगवान दास :**
**श्री अब्राहम :**
**श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **इस्पात, खान** तथा धातु मंत्री 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3522 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुराकाचार कोयला खान के भण्डार से गुम हो गई रूसी तारों के बारे में पुलिस ने इस बीच जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस जांच के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :**

(क) से (घ) मध्य प्रदेश की पुलिस जो मामले की जांच-पड़ताल कर रही है, अपनी जांच पूर्ण नहीं की है। मध्य प्रदेश की सरकार से प्रार्थना की है कि वे जांच जल्दी करवाएँ।

## पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्ध

24. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री य० अ० प्रसाद :**
**श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
**श्री बेदव्रत बरुआ :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः व्यापार चालू करने के लिये पाकिस्तान के साथ लम्बित विवादों पर विचार-विमर्ष करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पाकिस्तान की सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :**

(क) और (ख) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से दोनों देशों के मध्य व्यापार को पुनः आरम्भ करने के प्रश्न पर कई बार अनुरोध किया है परन्तु पाकिस्तान सरकार ने अभी तक भारत के साथ व्यापार को पुनः आरम्भ नहीं किया है।

**तुर्की के साथ व्यापार समझौता**

25. **श्री रा० रा० सिंह देव : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
**श्री य० अ० प्रसाद : श्री वेदव्रत बरुआ :**

**क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार के विस्तार के सम्बन्ध में भारत और तुर्की के बीच एक समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**

(क) और (ख) जनवरी के आरम्भ में तुर्की के विदेश मंत्री के भारत आगमन के अवसर से लाभ उठाकर, पाकिस्तान व्यापार को सुधारने की दृष्टि से, भारत तुर्की व्यापार संबंधों पर विचार विनिमय किया गया। किन्तु किसी भी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।

**भारत का विदेश व्यापार**

26. **श्री रा० रा० सिंह देव : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
**श्री य० अ० प्रसाद : श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों में भारत के विदेश व्यापार में सुधार हुआ है।

(ख) क्या इसका पता लगा लिया गया है कि वर्ष 1968–69 में कितना व्यापार होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके संभावित अनुमान क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) जी, हां ; अप्रैल-नवम्बर, 1967 में पुनर्निर्यात सहित भारत का कुल निर्यात 796.71 करोड़ रुपये के माल का हुआ जबकि उस से पिछले वर्ष में इसी अवधि में 744·99 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था और इस प्रकार लगभग 7% की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) 1968–69 में होने वाले निर्यात की संभाव्यताओं का अनुमान अभी विस्तार से नहीं लगाया गया है किन्तु उद्योगवार लक्ष्य निर्धारित करने के विचार से व्यापार एवं उद्योग संगठनों के साथ कई बार बातचीत की गई है। ऐसी आशा है कि चालू वित्त वर्ष के अंतिम मासों में दृष्टिगोचर ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति 1968-69 में जारी रहेगी। कृषि सम्बन्धी

उत्पादन में सुघरी संभाव्यताओं और अपराम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये किये जा रहे प्रयासों से 1968-69 के दौरान होने वाले निर्यात में उल्लेखनीय सहायता मिलने की आशा है ।

### निर्यात बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र की सहायता

27. श्री रा० रा० सिंह देव : श्री य० अ० प्रसाद :
श्री बेदव्रत बरुआ : श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के विशेषीकृत तकनीकों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रतिनिधियों, को प्रशिक्षण देने के लिये संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और इसमें कितना धन व्यय होने की सम्भावना है तथा इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) बिक्री संवर्धन पर विशेष जोर देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विपणन के विशेषीकृत तकनीकों में कुल 120 विक्रेता-व्यक्तियों को चार महीनों का एक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता मांगी गई है । प्रशिक्षण देने के लिये विक्रेता-व्यक्तियों को उन सरकारी एवं गैर-सरकारी समवायों में से चुना जायेगा जो निर्यात संभाव्यता वाले उत्पाद तैयार कर रहे हैं ।

(ख) सम्बद्ध संयुक्तराष्ट्र प्राधिकारियों ने उपरोक्त निवेदन पर अनुमोदन की सूचना अभी नहीं दी है । चार महीनों में एक प्रशिक्षार्थी पर लगभग 3600 डालर ( 27,000 रु० ) विदेशी मुद्रा का खर्च और साथ ही 50 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरा किया जायेगा, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा का 50 प्रतिशत व्यय उम्मीदवारों को प्रायोजित करने वाले सम्बद्ध संगठनों अथवा औद्योगिक इकाइयों द्वारा दिया जायगा । प्रस्तावित प्रशिक्षण के फल-स्वरूप, भारतीय निर्यात बिक्री अधिकारी विकसित देशों द्वारा अपनाई गई उच्च-स्तर की विपणन तकनीकों में परिचित हो सकेंगे और भारतीय उत्पादों के लिये विकसित देशों के बाजारों के विषय में उनकी जानकारी अधिक गहरी हो सकेगी ।

### टसर सिल्क का निर्यात

28. श्री धीरेन्द्रनाथ देव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टसर सिल्क के निर्यात में भारी कमी हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कमी के कारणों का पता लगाने के लिये एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था ;

(ग) क्या प्रतिनिधि मंडल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) प्रतिवेदन तैयार हो रहा है ।

**Import of Wool**

29. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of wool tops and shoddy wool being imported every year ;

(b) the basis of its distribution among various States ;

(c) the number of new factories to which quota was allotted to manufacture wool tops from shoddy wool during the last five years;

(d) whether such new factories have been set up in Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir ; and

(e) if so, the quota allotted to each of them?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi ) :**

(a) Imports of raw wool/tops and shoddy wool against actual users' licences during the last five years were as indicated below :—

| Licensing year | Raw wool/tops imports Value Value in Rs. Lakhs | Shoddy imports Value in Rs. Lakhs. |
|---|---|---|
| October '62/Sept.'63 | 735.838 | 135.549 |
| October '63/Sept.'64 | 279.651 | 43.884 |
| October '64/Sept.'65 | 420.523 | 75.208 |
| October '65/Sept.'66 | 45.000* | 2.841* |
| October '66/Sept.'67 | 722.235 | 176.527 |

*for Civilian use

(b) Raw wool/shoddy wool is not distributed on Statewise basis. Allocations are made on the basis of installed capacity and or past consumption of units located in various States on an All India basis. In the case of J & K State an ad-hoc allocation is made.

(c) Wool tops are not manufactured from shoddy wool.

(d) and (e) : Do not arise.

**Manufacture of Stainless Steel Utensils**

30. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total value of stainless steel household utensils manufactured in India;

(b) the quantum of other luxury articles of stainless steel manufactured in the country and the estimated value thereof;

(c) the number of factories manufacturing stainless steel utensils and the places where they are located; and

(d) the quantity of stainless steel sheets imported during the last ten years and the value thereof?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) to (d) Facts are being collected and information will be laid on the Table of the House.

### Foreign Managing Agents

31. **Shri Shashibhushan Bajpal :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the number and names of Indian Companies having foreign managing agents ; and

(b) the number and names of foreign companies in India having Indian managing agents ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) Six foreign companies are acting as managing agents of thirteen Indian Companies as per details below :—

| Name of the Managing Agent. | Names of Companies managed. |
|---|---|
| 1. E. I. D. Parry Ltd. | Herdillia Chamicals Ltd. |
| 2. James Finlay & Co. Ltd. | 1. Champdany Jute Co. Ltd.<br>2, Swan Mills Ltd.<br>3. Gold Mohur Mills Ltd.<br>4. Finlay Mills Ltd. |
| 3. James Warren & Co. Ltd. | Dhelakhat Tea Co. Ltd. |
| 4. Peirce Leslie & Co. Ltd. | 1. Kalasa Tea & Produce Co. Ltd.<br>2. Chembra Peak Estates Ltd.<br>3. Peria Karamalai Tea and Produce Co. Ltd.<br>4. Cochin Malabar Estates Ltd.<br>5. Kil Kotagiri Tea and Coffee Estates Co. Ltd. |
| 5. Steel Bros. Co. Ltd. | Indo Burma Petaoleem Co. Ltd. |
| 6. Swedish Match Co. | Western India Match Co. Ltd. |

(b) None within the meaning of the Companies Act 1956.

### चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बमों का पाया जाना

32. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री कवंर लाल गुप्त :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री ब० कृ० दास चौधरी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जनवरी, 1968 को चित्तरंजन लोकोमीटिव वर्क्स में साम्यवादी

प्रभुत्वाधीन एक मजदूर यूनियन का उस कारखाने के कार्य में गड़बड़ पैदा करने तथा हिंसात्मक कार्यवाही करने का एक षडयन्त्र पकड़ा गया था;.

(ख) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स मजदूर यूनियन के एक सदस्य के पास से 29 अविस्फोटित तथा ऐसा काफी सामान, जिससे और कई बम बन सकते थे, पकड़ा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):**

(क) 1.1.1968 को, 10.00 बजे, एक रेलवे क्वार्टर में, जिसमें चित्तरंजन रेलइंजन कारखाने का एक मिस्त्री रहता है, एक बम विस्फोट हुआ ।

(ख) 29 भरे बमों तथा क्वार्टर की रसोई में से फटे हुए बमों के टुकड़ों के अलावा पुलिस ने इस क्वार्टर में से निम्नलिखित चीजें बरामद करके अपने कब्जे में लीं :

भा० सा० द० की कुछ पुस्तकें और परचे, स्ट्रगल फंड की कुछ रसीदें, पेट्रोल से भरी एक बोतल, रेत मिश्रित पिसी हुई मिर्चों के पैकेट, रासायनिक पाउडर के पैकेट, भा० सा० द० का एक झंडा और खून के धब्बे लगी एक चादर ।

(ग) चित्तरंजन की पुलिस ने भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 6 (3) के अधीन अपराध सं० 1, दिनांक 1.1.68 के रूप में एक मामला दर्ज कर लिया है । अब तक दस रेल कर्मचारियों और मिस्त्री के परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है । विस्फोटक-विशेषज्ञ ने भी घटना-स्थल का निरीक्षण किया है । विस्फोटक-विशेषज्ञ की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है और पुलिस द्वारा अभी मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

## कारों की किस्म के बारे में पाण्डे समिति

33. **श्री बी० चं० शर्मा :**
**श्री अंबचेजियान :**
**श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री हेमराज :**
**श्री विश्वनाथन :**
**श्री नारायण रेड्डी :**
**श्री ईश्वर रेड्डी :**
**श्री वीवीकन :**
**श्री कं० हाल्दर :**
**श्री च० का० भट्टाचार्य :**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 709 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्मित कारों की किस्म के संबंध में पांडे समिति की सिफारिशें क्या हैं और क्या उन पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) और (ख) समिति का प्रतिवेदन और उसके साथ इस सम्बन्ध में दी गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

## सीमेंट के वितरण और मूल्य पर नियंत्रण

34. श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमती तारा सप्रे :
श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री च० का० भट्टाचार्य श्री मोहसिन :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की कीमत तथा वितरण पर फिर से नियंत्रण लगाने के सरकार के निर्णय को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने प्रतिगामी पग बताया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं । परन्तु 1968 के दौरान सीमेंट की कीमत तथा वितरण पर नियंत्रण लगाने के सरकारी निर्णय का कुछ वाणिज्य तथा उद्योग से सम्बद्ध संगठनों ने विरोध किया है।

(ख) और (ग) वर्तमान प्रबन्ध जिसके अनुसार सीमेंट का नियंत्रण करने के लिये सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया की व्यवस्था है के स्थान पर सी० ए० ओ० सी द्वारा नियंत्रण की व्यवस्था से पूरे नियंत्रण नहीं हो पायेगा अतः इसे (सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया) को 1968 की अवधि के लिये जारी रखना होगा। वर्ष 1969 और इससे आगे सीमेन्ट की वितरण नीति पर विचार करते समय इन विभिन्न संस्थाओं के सम्बन्ध में भी ध्यान दिया जायेगा ।

## चाय का निर्यात

35. श्री दी० चं० शर्मा : श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष के अन्तर के पश्चात् 1967 में चाय का निर्यात अपने पिछले रिकार्ड 2050 लाख किलोग्राम से बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) भारतीय चाय के लिये अधिक बाजारों का पता लगाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) वर्ष 1967 में चाय का निर्यात 1965 तथा 1966 के निर्यात से अधिक हुआ है । परन्तु अन्तिम आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) और (ग) परम्परागत और नये बाजारों को चाय के निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाओं की ओर सरकार निरन्तर ध्यान दे रही हैं। हाल ही में निर्यात शुल्क में की गयी कमी एक ऐसा ही कदम है । भारत और श्रीलंका की सरकारों के मध्य जो वार्ता हुई उसमें भी

यही लक्ष्य ध्यान में रखा गया। चाय जैसी मूल वस्तुओं के अच्छे मूल्य पर अधिक निर्यात के द्वारा विकासशील देशों के निर्यात उपार्जन को कैसे बढ़ाया जाय, इस विषय पर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विचार कर रहे हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन-द्वितीय भी शामिल है, जो इस समय चल रहा है।

**रेलों की तोड़-फोड़ करने के लिये मृत्यु दण्ड**

36. **श्री मायावन :** **श्री अंबचेजियान :**
**श्री राममद्रन :** **श्री वीवीकन :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार देश में रेलों की तोड़-फोड़ करने के लिये मृत्यु दण्ड देने का उपबन्ध करने के लिये चालू सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकारों की राय ले ली गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** (क) और (ख) : जी हां-लेकिन चालू सत्र से इसके प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना नहीं है।

(ग) चूँकि यह विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की संवर्ती सूची में आता है, अतः संघ सरकार इस सम्बन्ध में कानून बनाने में सक्षम है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बन्द पड़े तथा कुप्रबंधित चाय बागान**

37. **श्री मयावन :** **श्री अंबचेजियान :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में उन चाय बागानों को, जो बन्द पड़े हैं और जिनका प्रबन्ध खराब है, अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है;

(ग) ऐसे बागान कितने हैं और उनके बंद होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उन्हें कोई मुआवजा देने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी)** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

**विमान द्वारा खनिज सर्वेक्षण**

38. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री उमानाथ :**
**श्री अ० क० गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अमरीकी कम्पनी को विमानों से खनिज सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अमरीकी फर्म का नाम क्या है; और

(ग) यह सर्वेक्षण कार्य भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को न सौंपने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :**

(क) और (ख) हां, महोदय । पारसंस कारपोरेशन को मुख्य ठेकेदार नियुक्त किया गया है। दूसरी अमरीकी कम्पनी-एरो-सरविस कारपोरेशन को हवाई कार्यक्रम का काम भाड़े पर दिया गया है ।

(ग) इस प्रकार के हवाई भूभौतिको कार्य ठीक प्रकार से करने के लिये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को इस समय पूर्ण नवीनतम उपकरण तथा विशेषज्ञता प्राप्त नहीं।

## रेलवे गार्ड

39. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री प० गोपालन :** **श्री चक्रपाणि :**

क्या रेलवे मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4582 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे गार्डों के वेतनक्रमों तथा भत्तों में परिवर्तन करने और पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करने की मांग पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) से (ग) वेतनक्रमों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी रनिंग भत्तों के सम्बन्ध में एक समिति द्वारा जांच की जा रही है ।

## लखनऊ में ऐनक का सामान बनाने का कारखाना

40. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री उमानाथ :**
**श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री प० गोपालन :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3531 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की मैसर्ज कार्ल जीज जेना फर्म के सहयोग से कुछ वैज्ञानिक उपकरण बनाने, जिसमें ऐनकों का सामान भी शामिल है, सम्बन्धी करार को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(ग) करार को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) मैसर्ज कार्ल जीज जेना तथा सरकारी सूक्ष्म उपकरण कारखाना, लखनऊ के बीच हुए समझौते को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है।

रेलवे कार्यालयों में संगणक

41. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कार्यालयों में संगणकों की व्यवस्था के विरुद्ध सरकार को रेलवे कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) क्या उन्होंने इस बारे में रेलवे कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत की है ;

(ग) क्या इस बात के परिणामस्वरूप सरकार का विचार अपनी नीति में संशोधन करने का है ; और

(घ) रेलवे में अब तक स्थापित किये गये संगणकों की खरीद, स्थापना तथा चलाने पर कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) जी हां।

(ख) रेलवे बोर्ड और संगठित श्रम के बीच हुई स्थायी वार्तातन्त्र के बैठकों में इस विषय पर विचार विमर्श किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) खरीद की लागत :

'कुछ नहीं' क्योंकि संगणक किराये पर लिए गये हैं जिसका भुगतान भारतीय रुपयों में किया जाना है।

एक कालिक संस्थापन आदि प्रभार

लगभग 12·50 लाख रुपये।

परिचालन की लागत

( मासिक किराया प्रभारों और आंकड़ा संकलन प्रबन्धक, प्रणाली विश्लेषक कार्यक्रम निर्माता और कंनसोल परिचालक-संगणक चालक के वेतन और भत्तों सहित ) लगभग 4.11 लाख रुपये प्रति मास।

दंगों के कारण रेलवे को हानि

42. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दंगों तथा अन्य कारणों के फलस्वरूप रेलवे को पिछले एक वर्ष में कितनी क्षति हुई है ;

(ख) ऐसी क्षति विशेषकर दंगों से होने वाली क्षति की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन दंगों के दौरान राज्य सरकारों से सहायता मांगी तथा प्राप्त की गई; और

(घ) क्या ऐसी सहायता दंगों आदि की रोकथाम में लाभदायक सिद्ध हुई थी ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**:

(क) लगभग 30,22,156 रुपये ।

(ख) इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये, वे इस प्रकार हैं :—

( i ) रेल सुरक्षा दल ने पुलिस से निकट सम्पर्क और सहयोग कायम रखा।

( ii ) उपद्रवग्रस्त स्थानों पर अचानक गश्त लगाने और चौकी स्थापित करने का काम तेज किया गया।

( iii ) ऐसी क्षतियों की रोकथाम के लिए सरकारी रेलवे पुलिस, राज्यों की जिला पुलिस, रिजर्व पुलिस और रेल सुरक्षा दल को तैनात किया गया ।

( iv ) महत्वपूर्ण संस्थापनों की रक्षा करने एवम् कुछ महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों की अनुरक्षा के लिए सरकारी रेलवे पुलिस के सहयोग से रेल सुरक्षा विशेष दल की टुकड़ियां तैनात की गयीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

### टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी

43. श्री **जार्ज फरनेन्डीज** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने अपने कारखाने की 40 लाख टन क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार की अनुमति माँगी थी ;

(ख) यदि हां, तो कब तक क्या अनुमति दे दी गई थी ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस बीच विस्तार कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चेन्ना रेड्डी)**:

(क) और (क) टाटा आयरन एण्ड स्टील के इस प्रस्ताव को कि लोहे की सिलों के उत्पादन में 20 लाख से बढ़ा कर 40 लाख प्रति टन का कर दिया जाये, सरकार ने 1965 में सामान्यता स्वीकार कर लिया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम को समाप्त करने का मुख्य कारण परियोजना

में व्यय होने वाला भारी-खर्च और कम्पनी पर शेयर होल्डरों पर पड़ने वाले भारी वित्तीय भार है।

**धागे के लच्छों का आयात**

44. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में राज्य व्यापार निगम द्वारा महीन कृत्रिम धागे के लच्छों का कितना तथा कितने मूल्य के लच्छों का आयात किया गया ;

(ख) कितनी मात्रा में तथा किस मूल्य पर उसे बेचा गया ;

(ग) क्या महीन धागे के लच्छे देश में भी बनाये जाते हैं और यदि हां, तो कितनी मात्रा में बनाये जाते हैं, और देश में निर्मित माल किस मूल्य पर बेचा जाता है तथा देश में कौन-कौन सी फर्में इसका उत्पादन करती हैं ; और

(घ) क्या महीन धागे के लच्छों का आयात बन्द करने का सरकार का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** :

(क) से (घ) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है है [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 21/68]

भारत-जर्मनी व्यापार

45. **श्री चेंगलराया** : **श्री रामभद्रन** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी जर्मनी के वित्त सम्बन्धी सबसे बड़े दैनिक समाचारपत्र 'हेन्डेलस्ब्लाट' के सम्पादक डा० जे० एम० हूंक के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने भारत-जर्मनी व्यापार बढ़ाने के कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उस सुझावों पर विचार कर लिया है;

(ग) सरकार ने ये सुझाव कहां तक मान लिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** :

(क) से (घ) नवम्बर, 1967 में जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर की भारत यात्रा के अवसर पर डा० जे० एम० हूंक ने भारतीय समाचार पत्रों में एक लेख प्रकाशित किया था। इस लेख में उन्होंने उन तत्वों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था जो हमारे निर्यात विकास में बाधक हैं तथा जिनके कारण प० जर्मनी के साथ सहयोग का क्षेत्र कम हो गया है। उनके विश्लेषण को नोट कर लिया गया है और उचित संदर्भ में उस पर विचार किया जायेगा। विज्ञापन बाधाओं को दूर करने और अपने माल को मूल्य और गुण दोनों ही दृष्टियों से प्रतियोगी बनाने के लिये समय-समय पर उपाय किये गये हैं। गुण नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण, भारत पख-

वाड़ों के आयोजन के माध्यम से निर्यात संवर्द्धन और प्रदर्शनियों में भाग लेना, बाजार गवेषणा, प्रतिनिधि-मंडलों को बुलाना तथा भेजना आदि कुछ ऐसे ही उपाय हैं । जर्मनी के संघीय गण-राज्य के संबन्ध में उन इन्जीनियरी पदों को मालूम करने के लिये जिनकी जर्मनी के बाजार में मांग बदलने की भावना है और उत्पादन को निर्यात अभिमुखी बनाने की एक विशेष योजना पहले ही क्रियान्वित की जा रही है ।

**रूस से व्यापार समझौता**

46. श्री चेंगलराय नायडू : श्री रामभद्रन :
श्री पीलु मोदी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में रूस और भारत के बीच वस्तु विनिमय पद्धति सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) 1968 में दोनों देशों के बीच कुल कितना व्यापार बढ़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हां ।

(ख) भारत तथा सोवियत रूस के बीच 1968 में जिन वस्तुओं का विनिमय किया जाना है, उन की सूचियाँ अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई हैं । भारत से सोवियत रूस को 1968 में निर्यात की जाने वाली मुख्यतया परम्परागत वस्तुएँ हैं: चाय, काफी, मसाले, अभ्रक, तेल रहित खली आदि; इनके अतिरिक्त बहुत प्रकार की निर्मित वस्तुएँ भी निर्यात की जायेंगी, जिनमें ये शामिल हैं : चमड़े के जूते, सिले सिलाये कपड़े, विस्तर की चादरें, ऊनी होजरी, चश्मों के फ्रेम, तारों के लिए तामचीनी, बेले हुए इस्पात उत्पाद, संचायक, मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब आदि । सोवियत रूस ये वस्तुए भेजेगा : उर्वरक, गन्धक, बेले हुए इस्पात उत्पाद, टिन की प्लेटें, रसायन, मध्यवर्ती रंजक सामग्री, कच्चा एस्बेस्टोस, लकड़ी की लुग्दी, अखबारी कागज; मशीनें एवं उपकरण, सोवियत सहायता प्राप्त प्रयोजनाओं के लिए फालतू पुर्जे तथा संघटक ट्रैक्टर, मशीनी औजार, बाल, रोलर तथा टेपर बियरिंग आदि ।

(ग) भारत तथा रूस के बीच 1967 में 280 करोड़ रु० के प्रत्याशित व्यापार की तुलना में 1968 में 300 करोड़ रु० का व्यापार होने की आशा है। कुछ भी हो, 1966 में हुए 198 करोड़ रु० के वास्तवित व्यापार की तुलना में यह वृद्धि काफी अधिक है ।

**दक्षिण-मध्य रेलवे में बिना टिकट यात्रा**

47. चेंगलराया नायडू : श्री रामभद्रन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे के कर्मचारियों ने जुलाई-सितम्बर, 1967 के दौरान बिना टिकट यात्रियों की बड़े पैमाने पर जांच की ;

(ख) यदि हां, तो जुर्माने के रूप में कुल कितनी धन राशि एकत्र हुई ;

(ग) कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा दण्ड दिया गया ; और

(घ) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये किन उपायों पर विचार किया गया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे पर जुलाई से सितम्बर, 1967 के दौरान बिना टिकट यात्रियों की सामान्य रूप से जांच की गयी थी ।

(ख) उपर्युक्त जांचों के दौरान जो रकमें वसूल की गयीं वे इस प्रकार हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| अर्थ दन्ड | — | 1,36,791.67 रुपये |
| जुरमाना | — | 1,396·05 रुपये |

(ग) जिन लोगों का चालान किया गया और जिन्हें दोषी पाया गया उनकी संख्या इस प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| जिनका चालान किया गया | — | 3,234 |
| जितने दोषी सिद्ध हुए | — | 1,758 |

(घ) बिना टिकट यात्रा को कम करने के लिए अक्सर जांच की जाती है जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जांच भी शामिल है । इस सम्बन्ध में शिक्षात्मक प्रचार भी किया जा रहा है ।

### ट्रेवलिंग टिकट-परीक्षकों की पदावनति

48. **श्री नम्बियार : श्री अनिरुद्धीन :**
**श्री अ० क० गोपालन :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओलावक्कोट डिवीजन में कुछ ट्रेवलिंग-टिकट परीक्षकों को पांच वर्ष की सेवा के बाद टिकट-कलक्टर के रुप में पदावनति कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रेवलिंग टिकट-परीक्षकों को पदावनत किया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

### राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की खरीद

49. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वाणिज्य मन्त्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2626 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने अब तक कुल कितना पटसन खरीदा है और किन-किन दरों पर;

(ख) अक्तूबर, 1967 से कच्चे पटसन की दरें क्या रही हैं; और

(ग) क्या वर्तमान मूल्य कम होने के कारण पटसन की खेती वाली भूमि कम हो रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री मुहम्मद शफी कुरैशी ) : (क) अब तक राज्य व्यापार निगम ने विभिन्न राज्यों से कुल 340,300 मन पटसन की खरीद की है। उसका क्रय मूल्य दूसरे बाजारों के लिये न्यूनतम मूल्य है जो कि पटसन की आसाम किस्म में वाटम वर्ग के लिये कलकत्ता में सुपुर्दगी पर 40 रुपये प्रति मन के निम्नतम समर्थक मूल्यों पर आधारित हैं।

(ख) कलकत्ता में पटसन की आसाम किस्म के वाटम वर्ग के भाव निम्नलिखित थे :—

( प्रति मन रुपयों में )

| | अधिकतम | न्यूनतम |
|---|---|---|
| अक्तूबर, 1967 | 40.00 | 39·00 |
| नवम्बर, 1967 | 39.50 | 36·00 |
| दिसम्बर, 1967 | 40·00 | 38·00 |
| 7 फरवरी, 1968 को | 41·00 | 39·50 |

41·00

(ग) जी, नहीं।

### हावड़ा रेलवे यार्ड में माल डिब्बों का रुक जाना

50. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 868 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेषित माल को न हटाने के लिये कौन जिम्मेदार था जिस कारण माल डिब्बों को खाली करने में बाधा पड़ी ; और

(ख) सम्बन्धित अधिकारियों तथा प्रेषिती के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा) :

(क) प्रेषित माल को न हटाने के लिए प्रेषिती जिम्मेदार थे, लेकिन मक्का के कुछ परेषणों की सुपुर्दगी हवड़ा के रेलवे अधिकारियों ने रोक ली थी क्योंकि वे परेषण उत्तरीय अन्तर-क्षेत्रीय मक्का ( यातायात नियंत्रण ) आदेश 1967 का उल्लंघन करके बुक किये गये थे।

(ख) जहां सम्भव हुआ, माल के हकदार प्रतीत होने वाले लोगों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम की धारा 56 के अधीन नोटिस जारी किये गये। विलम्ब शुल्क और स्थान शुल्क भी लगाया गया। मक्का के परेषणों के सम्बन्ध में परेषित या रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि परेषणों को न हटाने के लिए उनमें से किसी को भी दोषी नहीं कहा जा सकता था।

### साबरमती-बम्बई रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

51. डा० रा० परमार : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे साबरमती-बम्बई रेलवे लाइन की विद्युतीकरण योजना पर कितनी धनराशि व्यय करने का अनुमान है ;

(ख) इस योजना को क्रम-वार पूरा करने के लिये समय-सूची किस प्रकार निर्धारित की गई है ;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में धन की कमी के कारण पिछले छः महीनों में प्रगति की गति कम हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस योजना को निर्धारित समय-सूची के अनुसार पूरा करने के लिये पर्याप्त धन देने का सरकार का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) लगभग 27 करोड़ रुपये ।

(ख) इस योजना को पूरा करने के लिए कोई अन्तिम तारीख निश्चित नहीं की गयी है । फिर भी विद्युतीकरण का काम 1972 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) इस खंड के विद्युतीकरण का सारांश अनुमान स्वीकृत हो चुका है । रेल मार्ग के ब्योरेवार सर्वेक्षण में अच्छी प्रगति हुई है । इस खंड पर ऊपरी उपस्कर की सप्लाई और खम्भे खड़े करने के लिए हाल ही में टेंडर मंगाये गये हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### गुजरात में शक्तिचालित करघे

52. **श्री दा० रा० परमार :** क्या वाणिज्य मन्त्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2782 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में हथकरघा तथा चमड़ा रंगने के उद्योगों में लगे हुये उन अनुसूचित जातियों के लिये, जो यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो गये हैं, शक्तिचालित करघों का कुछ कोटा आरक्षित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन लोगों को आर्थिक सहायता देने का है ताकि वे करघे खरीद सकें और शक्तिचालित करघा घरेलू उद्योग चला सकें ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इन लोगों के लिये अन्यत्र कोई काम की व्यवस्था करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री मुहम्मद शफी कुरैशी ) :** (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित करने के लिये गुजरात राज्य को 3,200 शक्तिचालित करघों का कोटा दिया गया है । शक्तिचालित करघों के आवंटन का कार्य राज्य सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया गया है । शक्तिचालित करघों को स्थापित करने में सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल सहकारी क्षेत्र तक सीमित है । उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अधीन और राज्य की वित्तीय संस्थाओं से व्यक्तिगत रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है ।

वैकल्पिक रोजगार देने के सुझाव पर जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**Vacant posts in the Loco-Deptt. Of the Danapore Division on the Eastern Railway**

53. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of posts of engine drivers. shunters, firemen, second firemen and cleaners which are lying vacant at present in Danapore Division of the Eastern Railway ;

(b) the reasons therefor;

(c) the number of employees working in an officiating capacity against these posts and the duration of service put in by them;

(d) whether Government propose to promote such employees to the vacant posts who are working in officiating capacity against the posts in higher grades; and

(e) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):**

(a) to (e) Inforamation is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**Jamalpur Loco Shed**

54. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of Jamalpur Loco Shed on the Eastern Railway had gone on a hunger strike on the 2nd December, 1967 ;

(b) whether the employees had abandoned their hunger strike and other agitations on the assurances of the Divisional Superintendent ; and

(c) If so, the action taken in this regard so far ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):**

(a) Yes ; some of them.

(b) The demonstrators unconditionally ended the Hunger Strike and the agitation on 15. 12. '67.

(c) Does not arise.

**Loco Shed at Gaya**

55. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that employees of the Loco Shed at Gaya on the Estern Railway had resorted to strike on the 18th January, 1968 ;

(b) whether Government have conducted an enquiry into the causes of the strike ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) the number of persons arrested in connection with the strike and number of Loco-employees amongst them; and

(e) whether Government propose to withdraw the suit filed against Loco employees and if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):**

(a) to (d) There was no strike as such but it has been reported that the Loco Staff of Gaya Loco Shed had obstructed the movement of engine of a Passenger Train on the allegation that a member of the staff had been insulted. The Police arrested 26

Loco Staff who are being prosecuted under Section 143/342 IPC or under section 121 of the Indian Railways Act.

(e) The Railway have not filed any suit against tht Loco Shed Employees.

**थेकर समिति का प्रतिवेदन**

56. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री बे० कु० दास चौधरी :**
**श्री ईश्वर रेड्डी :**
**श्री बीरेश्वर कलिता:**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
**डा० रानेन सेन :**
**श्री काशीनाथ पाण्डे :**
**श्री जुगल मंडल**

**क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थेकर समिति ने, जिसे बिड़ला सार्थसमूह को जारी किये गये लाइसेंसों के बारे में जांच करने के लिये कहा गया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक दिया जायेगा ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**
प्रो० थेकर की अध्यक्षता में नियुक्त औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) अगामी कुछ महीनों में इसके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने की सम्भावना है।

**संकटग्रस्त कपड़ा मिलें**

57 **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को इस बीच अपने हाथ में ले लिया है।

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलें कितनी हैं तथा उनके नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) ऐसी कितनी मिलों को सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) से (घ) : सम्भवत: माननीय सदस्य का 'संकटग्रस्त' कपड़ा मिलों से आशय उन मिलों से है जो वित्तीय संकट अथवा अकुशल प्रबन्ध के कारण कठिनाई में हैं। ऐसी मिलों की कोई व्यापक संख्या उपलब्ध नहीं है। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अधीन नियुक्त की गई जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार समय-समय पर ऐसी मिलों को अपने हाथों में लेती रही है और इस समय 12 मिलें प्राधिकृत नियंत्रकों/प्राधिकृत प्रबन्ध अभिकर्ताओं के अधीन हैं। ऐसी मिलों का एक विवरण नीचे दिया जाता है। इन मिलों अथवा इसके बाद हाथ में ली जाने वाली मिलों के भविष्य का निर्णय सूती वस्त्र समवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन अथवा पुनर्स्थापन) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा जो सरकार को ऐसे उपक्रमों का अधिग्रहण अथवा उनपर नियंत्रण करने का अधिकार देता है।

विवरण

(1) माडल मिल्स लि०, नागपुर ।

(2) आर० एस० आर० जी० मोहता स्पिनिंग वीविंग एण्ड मैन्यू० कं० लि०, अकनेला ।

(3) प्रताप स्पिनिंग वीविंग एण्ड मैन्यू० कं० लि०, आमलनेर ।

(4) बंगाल नागपुर काटन मिल्स लि०, राजनन्दगांव ।

(5) इंडिया यूनाइटेड मिल्स लि०, बम्बई ।

(6) म्यूर मिल्स लि०, कानपुर।

(7) दि न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स लि०, भोपाल।

(8) हीरा मिल्स लि०, उज्जैन ।

(9) दि औरंगाबाद मिल्स लि०, औरंगाबाद।

(10) दि स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स लि०, इन्दौर।

(11) श्री भारती मिल्स लि०, पांडिचेरी ।

(12) महालक्ष्मी मिल्स लि०, ब्यावर।

**चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस**

58. **श्री उमानाथ : श्री पी राममूर्ति :**
**श्री चक्रपाणि : श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स रेलवे कर्मचारी संघ ने 16 जनवरी, 1968 को एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल करने का नोटिस दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**निर्यातकों को राज-सहायता**

59. **श्री श्रीगोपाल साबू : श्री प्र० के० देव**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरयाना और दिल्ली के वाणिज्य तथा उद्योग संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि निर्यात के मामले में भारतीय निर्यातकों को समुद्रमाल भाड़े में अंतर के लिये प्रतिकर दिये जाने की व्यवस्था की जाये ;

(ख) क्या संघ ने पत्तनों पर माल के उतारने में विलम्ब की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) मामले की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

## तामिलनाड में रेलवे स्टेशनों पर नामपट्ट

60. **श्री श्रीगोपाल साबू :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तामिलनाड में रेलवे स्टेशनों पर लगे हुए हिन्दी के नाम पट्टों को खराब कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इसके परिणामस्वरूप हजारों तीर्थ यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो नाम पट्टों को पुनः हिन्दी में लिखवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी हां ।

(ख) देवनागरी लिपि में लिखे स्टेशन नामों को मिटा दिए जाने की वजह से यात्रियों को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) असामान्य स्थिति जारी रहने के कारण अभी तामिलनाड में स्टेशनों के नाम देवनागरी लिपि में फिर से लिखना उचित नहीं समझा जाता ।

## हरियाणा और गोआ में खनिज सम्पत्ति

61. **श्री रणधीर सिंह :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और गोआ में खान तथा धातु सम्पत्ति का सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** (क) हां, महोदय ।

(ख) हरियाणा राज्य का एक सामान्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और आरम्भिक खनिज अनुमान किया जा चुका है । किये गए कार्य के फलस्वरूप कुछ खनिज, जिनमें से कि कच्चा लोहा और चूना पत्थर आर्थिक महत्व के पाये गए है । महिन्दरगढ़ जिले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का खनिज खोज करने का प्रस्ताव है ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1962 में गोआ का विस्तृत भूवैज्ञानिक नक्शे बनाने तथा आरम्भिक सर्वेक्षण का कार्य, लोहे तथा मैंगनीज के संबंध में विशेष रूप से, किया गया । आरम्भिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । कच्चा लोहा, 95 किलोमीटर की लम्बाई में, उत्तर-पश्चिम में रामबाग से लेकर दक्षिण-पूर्व में सालगीनीप तक सामान्यत में फैला हुआ है ।

गोआ में मैंगनीज के निक्षेप लेटीरीटायड किस्म के हैं और उन सब में कुछ न कुछ लोहा हैं। मैंगनीशिया से पूर्ण चूना पत्थर वेनगुईनीम के उत्तर से गोआ के उत्तर-पूर्व में इवरमकर्डों तक फैला है। चूना पत्थर उत्तरपूर्ण भट्टी या सीमेन्ट बनाने के योग्य नहीं है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का गोआ में वेटुल के समीप 1967-68 के क्षेत्रीय ऋतुकाल में स्कोदिज और पाईराइट से सम्बन्धित अधिक पैमाने पर नक्शे बनाने, गड्ढे तथा खाइयां खोदने के कार्य द्वारा खोज करने का प्रस्ताव है।

**Production of Long Staple Cotton**

62. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the acreage of land, State-wise, in which long staple cotton is being cultivated as a result of the efforts to boost its production;

(b) whether Government propose to impose levy on imported cotton and to utilise it for increasing the production of long staple cotton and not for export promotion; and

(c) if not, the reasons therefor?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi)** :

(a) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) and (c) In addition to the package programme already introduced for increasing cotton production, special programmes have been drawn up for maximising production of long staple varieties in areas of assured water supply. In this context imposing a levy on imported cotton is not considered necessary apart from the premium collected by I. O. M. P. on a voluntary basis serving the essential purpose of export promotion.

**Train Service from Monghyr to Danapur**

63. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the passengers travelling in the train from Monghyr (Eastern Railway) to Jamalpur which reaches Jamalpur at 22.52 hours get the connecting train for Patna, Danapur, etc. at 2.47 hours and are put to great inconvenience;

(b) whether Government propose to attach a third class bogie to the 22.52 train from Monghyr to Danapur, which would be detached from the Monghyr-Jamalpur train at Jamalpur and attached to Howrah-Danapur passenger; and

(c) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** :

(a) Yes.

(b) No.

(c) An analysis conducted in November and December, 1967 has revealed that the average number of through passengers in all classes fram Monghyr to Patna Area travelling by this train is less than one per day and, therefore, does not justify the introduction of a through coach.

### लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल का आयात

64. श्री सं० चं० सामन्त : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात व्यापार नियंत्रण आदेश की घोषणा होने के पश्चात् लघु उद्योगों के क्षेत्र की आयातित कच्चे माल की आवश्यकता कितनी पूरी की गई है ;

(ख) आयातित अथवा दुर्लभ कच्चे माल के न मिलने के कारण इस क्षेत्र के उद्योगों की कितने प्रतिशत क्षमता अभी अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ग) क्या इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

### कलकत्ता में चाय बोर्ड का माल गोदाम

65. श्री यशपाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में नया माल गोदाम चलाने के सम्बन्ध में चाय बोर्ड की सिफारिश सरकार को प्राप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हां तो उसका क्या स्वरूप है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी. नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

### लौह अयस्क का निर्यात

66. श्री यशपाल सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख) : जी, हां । सरकार ने चौथी योजना के अंत तक 250 लाख मे० टन की निर्यात क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये खनन तथा रेलवे क्षमता को बढ़ाने की योजनाएँ आरम्भ की जा चुकी हैं। प्रमुख पत्तनों में से कुछ पर अयस्क लदान की यांत्रिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है । जहां इस प्रकार की सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं वहां पर यांत्रिक प्रक्रिया से अयस्क के लदान को तेज करने की योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

टायरों के निर्माण के लिये लाइसेंस

67. श्री यशपाल सिंह : श्री बाबूराव पटेल :
श्री रामचरण :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में स्कूटर तथा मोटर-साइकिल के टायरों की बहुत ही कमी है और सभी उपलब्ध भण्डार काले बाजार में जा रहा है ;

(ख) क्या इन टायरों की अत्यधिक बढ़ती मांग को पूरी करने के लिये सरकार का विचार वर्तमान निर्माण कारखानों के विस्तार की अनुमति देने अथवा केवल इन्हीं टायरों के लिये नये निर्माण कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में कितने टायरों की तथा कितने मूल्य के स्कूटर तथा मोटर साइकिल टायरों की आवश्यकता पड़ी और आगामी तीन वर्षों में इनकी कितनी आवश्यकता होगी । और

(घ) क्या इन टायरों के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति है और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) सरकार को देश में होने वाली स्कूटरों और मोटर साइकिल के टायरों की कमी के सम्बन्ध में जानकारी है। इनके उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ताकि ये उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें।

(ख) टायरों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से आॅटो मोबाइल टायर एण्ड ट्यूब इंडस्टरी को प्रतिबन्धित सूची से निकाल दिया गया है ।

(ग) गत तीन वर्षों में स्कूटर और मोटर-साइकिल के टायरों का उत्पादन का तथा उनका कारखाना द्वारा मूल्य इस प्रकार था :—

| वर्ष | स्कूटर के टायरों का उत्पादन | मोटर साईकिल के टायरों का उत्पादन | मिली जुली कारखाने द्वार तक की कीमत |
|---|---|---|---|
| 1965 | 146,114 | 81,006 | 1,06,85,068 |
| 1966 | 150,858 | 72,747 | 1,20,98,635 |
| 1967 | 144,609 | 68,801 | 1,13,40,250 |

1968 के दौरान स्कूटर और मोटर साइकिल टायरों की क्रमशः 2,50,000 तथा 85,000 की मांग होने की सम्भावना है। स्कूटर और मोटर साइकिल की इस मांग का क्रमशः 4,50,000 और 1,50,00 तक पहुंचने की सम्भावना है।

(घ) आटो मोबाइल इन्डस्टरी एक प्राथमिक उद्योग है तथा टायरों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये कार्यवाही की गई है।

छोटी कार

68. श्री यशपाल सिंह :
श्री तुलसीदास जाधव :
श्री श्रीधरन :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री मोहसिन :
श्री नारायण रेड्डी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में छोटी कार बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः उसका कितना मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इस कारखाने को कहां स्थापित करने का विचार है; और

(घ) उसके लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

यात्री सुविधायें

69. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या चालू वर्ष में उत्तर रेलवे में भीड़भाड़ को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष में रेलगाड़ियों में तथा प्लेटफार्मों पर सफाई की दशा सुधारने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा ):

(क) अपेक्षित सूचना का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालयों में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 22/68]

(ख) जी हां, 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 1967 तक की अवधि में 34 गाड़ियां चलायी गयी हैं या उनका चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है और 45 गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ायी गयी है।

(ग) गाड़ी-प्रस्थान वाले सभी स्टेशनों पर सभी सवारी गाड़ी रेलों की पूरी सफाई और उन्हें उपयुक्त रूप से रोगाणु विहीन करने का प्रबन्ध है । जिन महत्वपूर्ण स्टेशनों से गाड़ी गुजरती है वहां भी गाड़ी के डिब्बों की सफाई की जाती है ।

स्टेशन परिसर में, जिसमें प्लेटफार्म भी शामिल हैं, सफाई रखने के लिए सभी

स्टेशनों पर सफाई वाले तैनात किये गये हैं। स्टेशन मास्टर उनके काम का पर्यवेक्षण करते हैं। खास-खास स्टेशनों पर इस काम के लिए सफाई निरीक्षक रखे गये हैं। निरीक्षकों और स्टेशन मास्टरों को जरूरी हिदायत है कि रेलगाड़ियों में और स्टेशनों पर समुचित सफाई रहनी चाहिए।

चालू वर्ष में सफाई व्यवस्था के निरीक्षण का काम तेज कर दिया गया था।

### अमरीका से खरीदा गया रेलवे का सामान

70. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अमरीका तथा अन्य देशों से रेलवे के लिये कितने मूल्य का सामान खरीदा गया;

(ख) क्या यह सच है कि इस सामान में से कुछ सामान देश में भी बनाया जा सकता था ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे के सामान के मामले में आत्म-निर्भर होने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा) :

(क) 1·4·67 से 31·12·1967 तक की अवधि में 16·95 करोड़ रुपये के आर्डर दिये गये।

(ख) जी नहीं। किसी भी देश से आयात से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों पर, देशी सामानों की दृष्टि में रखते हुए विचार किया जाता है और कुछ विशेष मामलों के सिवाय, जिनमें सामान का आयात करना किसी सर्वोपरि एकमुश्त योजना का अंग हो, आयात करने की अनुमति तभी दी जाती है, जब आयात सामानों की जगह इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त देशी सामान उपलब्ध न हो।

(ग) जो कदम उठाये गये हैं, वे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 23/68]

### भारत के व्यापार समझौते

71. श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में भारत तथा अन्य देशों के बीच कौन-कौन से बड़े व्यापार करार हुए हैं ; और

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था तथा व्यापार पर उनका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) चालू वर्ष में भारत तथा निम्नलिखित देशों के बीच बड़े व्यापार करार। व्यवस्थाएँ की गई :–

(1) ईरान
(2) अफगानिस्तान
(3) ब्राजील गणराज्य (इसका अनुसमर्थन किया जाना अभी बाकी है)।

(ख) इन करारों के फलस्वरूप भारत का इन देशों से व्यापार बढ़ने की आशा है; किन्तु भारत की अर्थव्यवस्था पर इन करारों से पड़ने वाले निश्चित प्रभाव का अनुमान लगाना अभी इतनी जल्दी सम्भव नहीं है।

**यात्री सुविधा सम्बन्धी समिति**

74. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री सुविधाओं के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं, और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** :

(क) अभी तक नहीं। रिपोर्ट कुछ ही दिनों में मिल जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**Railway Workers' Union, Varanasi**

75. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is fact that Guards, Ticket Collectors, Drivers, etc. who are the members of the Railway Workers' Union, Varanasi, Northern Railway, have sent memoranda of their demands to Government ;

(b) if so, the nature of their demands; and

(c) the extent to which their demands have been met by Government ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** :

(a) No Memorandum containing demands of Guards, Ticket Collectors, Drivers etc. has been received from any Union at Varanasi. In fact there is no Union by the name "Railway Workers Union, Varanasi" on the Nothern Railway.

(b) and (c) Do not arise.

**Cotton Mills**

76. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number and names of cotton mills in private and public sectors separately along with their locations;

(b) the amount of foreign exchange sanctioned by Government to these mills during the last five years and the amount of foreign exchange earned therefrom; and

(c) the number of workers employed in each one of these mills?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd Shafi Qureshi)**:

(a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Licences for Exports of Black Papper, Dry Fruits, etc.**

77. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of traders to whom licences were issued for the export of black pepper, dry fruits, etc. during the last five years and the amount of foreign exchange sanctioned to them;

(b) the names of traders who were issued licences regularly during the the above period;

(c) the number of traders who applied for licences during the last two years and the number of traders who were actually issued; and

(d) the number of traders from whom complaints for refusal to issue licences for export of fruits and dry fruits etc. have been received and the action taken against them?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi)**:

(a) to (d) Export of dry fruits and black pepper is controlled and the question of issuing export licences and allocation of foreign exchange does not arise.

**लुधियाना में ऊनी हौजरी उद्योग**

78. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बड़े पैमाने के हौजरी कारखाने स्थापित किये जाने के परिणामस्वरूप लुधियाना के छोटे ऊनी कपड़ों के निर्माताओं के बिल्कुल बर्बाद हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो लुधियाना के छोटे ऊनी होजरी उद्योग की रक्षा के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** :

(क) बड़े पैमाने के नए हौजरी कारखाने की स्थापना सम्बन्धी किसी भी प्रस्ताव के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । लुधियाना के हौजरी उद्योग में हमेशा ही छोटे, मध्यम तथा बड़े कारखाने रहे हैं और आकार से उनकी कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । फिर भी, इन कारखानों की खपत के आधार पर जो कोटा दिया जाता था उसे अपेक्षाकृत बड़े कारखानों के मामले में धीरे-धीरे कम किया जा रहा है जिससे कि न्यूनतम और अधिकतम कोटों के मध्य विद्यमान अन्तर को कम किया जा सके ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Goods Train Accident at Tilati Station on S. C. Rly.**

79. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 2nd January, 1968, a goods train met with an accident at Tilati Railway station, on the South Central Railway in which the engine driver and his colleague were killed on the spot; and

(b) if so, the causes of the accident?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) Yes, in this accident the Driver and the Assistant Driver were killed. There was no other casualty.

(b) The cause of the accident is under investigation. However, prima facie, it appears that the accident was due to the failure of railway staff.

**Looting of Hathras Station**

80. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to State:

(a) whether it a fact that the dacoits looted Hathras Station, injured the station Master and Assistant Station Master and made away with cash and tickets on the 1st January, 1968; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :**

(a) and (b) A case of dacoity occurred at Pura Station next to Hathras station on the night of 28.12.1967. When Assistant Station Master alongwith one porter were on duty, four persons equipped with country-made pistol, single barrel gun and lathis entered Assistant Station Master's Office at about 00.40 hours and demanded the keys of the cash safe. Out of fear, the Assistant Station Master handed over the keys of ticket tube which contained Rs. 27.70P. The dacoits thereafter demanded the cash collected on the previous date which had not been remitted. Since the Assistant Station Moster denied the possession of any other key, he was given a lathi blow and was made to take off his uniform and thereafter was taken to Station Master's quarter by three of the criminals. On being called by Assistant Station Master, the Siation Master came out and was made to accompany the criminals at the point of pistol and to hand over the cash amounting to Rs. 707/— kept in a sealed bundle. The dacoits thereafter left the station with the robbed cash, 15 Tickets ex-Pura to Mainpuri, other station records and the uniform items of Assistant Station Master.

Government Railway Police, Aligarh registered a case on Crime No. 183 under section 394 Indian Penal Code on 30.12.1967. One arrest has so far been made and the case is still under police investigation. No property has been recovered so far.

**Export of Flooring Tiles from Kota and Other Stations in Rajasthan**

81. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some polished and unpolished flooring tiles are exported from Kota and other stations in Rajasthan;

(b) whether it is also a fact that both the varieties are marketed separately;

(c) whether the freight charges for the two types of tiles are different and if so, what; and

(d) the amount recovered for polished and unpolished flooring tiles during 1966-67 from Ramganj and Bhavani Centres?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :**

(a) No polished or unpolished flooring tiles are booked from Kota and other stations in Rajasthan. However, stone slabs cut to sizes and used for flooring purposes are booked from Ramganj Mandi station on Kota Division. Some of these stone slabs are polished.

(b) Stone slabs, polished and unpolished, are booked in mixed lots. Whether they are marketed separately would be difficult to say.

(c) Freight charges for the stone slabs are the same, whether they are polished or unpolished. The rate chargeable is 50--C in smalls and and 35--A in wagonloads.

(d) Separate figures for stone slabs used for flooring are not available. The total

traffic in stone, including such slabs, from Ramganj Mandi in 1966-67 was 1,43.901 tonnes yielding a total revenue of Rs. 37,07,196.

There was no such traffic from Bhavani Mandi.

**Kota Railway Station**

82. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no III class waiting room at Kota Railway Station;

(b) whether it is also a fact that more Ist class waiting rooms and retiring rooms are required there; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government for increasing the number of waiting sooms and retiring rooms aud the time likely to be taken in doing the needful?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha )**

(a) No. There is already a III class waiting hall at Kota Railway Station.

(b) No. Not at present, as the existing facilities are considered adequate.

(c) Does not arise.

**गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं के लिये आयात लाइसेंस**

83. श्री एस्थोस : श्री रमानी :

श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की मत्स्यनौकाओं का आयात करने के लाइसेंस मंजूर करने के संबंध में सरकार को भारतीय समुद्र-खाद्य निर्यातक संस्था से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन अब भी सरकार के विचाराधीन है।

**टायर कार्ड का निर्यात**

84. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टायर कार्ड के निर्यात को बढ़ाने के लिये पोलैण्ड के साथ एक करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली पोलैंड और भारतीय फर्मों के नाम क्या हैं तथा करार का अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विश्व में टायर कार्ड में मंदी के कारण भारी हानि पर ही निर्यात किया जा सकता है और क्या सरकार का निर्यात के लिये कोई राजसहायता देने का विचार है;

(घ) क्या टायर कार्ड के निर्यात का टायरों के देश में प्रचलित मूल्यों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ङ) क्या कार्ड को कुछ अन्य उद्योगों में प्रयोग करने की सम्भावनाओं पर विचार किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) सरकार ने रेयन टायर कार्ड का निर्यात करने के लिए सरकारी स्तर पर कोई करार नहीं किया गया है । हां, इस मद को 1968 में पोलैण्ड को निर्यात की जाने वाली. वस्तुओं की सूची में शामिल कर लिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जी, हां । कनाडा की एक फर्म के सहयोग से कार्ड-फीते का उत्पादन करने के लिए एक कारखाने को पँजीकृत किया गया है ।

## इस्पात कारखानों का कार्यसंचालन

85. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकासशील देशों में इस्पात कारखानों की स्थापना और उनके कार्यसंचालन में मितव्ययता करने की दृष्टि से दिल्ली में हाल में एक गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में किन-किन देशों ने भाग लिया तथा उसमें क्या-क्या सुझाव दिये गये; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :**

(क) से (ग) विकासशील देशों में इस्पात कारखानों की स्थापना और उनके कार्य-संचालन में मितव्ययता करने की दृष्टि से जमशेदपुर में 30 जनवरी 1968 से 3 फरवरी 1968 के बीच एक गोष्ठी हुई थी । भारतीय धातु संस्था के निमंत्रण पर, भारत के अतिरिक्त इस गोष्ठी में लेटिन अमरीका की लोहा और इस्पात संस्था ने भी भाग लिया । भारतीय धातु संस्था धातु-कर्मकों की एक गैर-सरकारी संस्था है जिसको भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 के अन्तर्गत रजिस्टर किया गया था । इस गोष्ठी में की कार्यवाही अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

## कूपर एलन कम्पनी, कानपुर

86. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन भारत के कानपुर में अपनी

सबसे बड़ा चमड़े का कारखाना कूपर एलन कम्पनी बन्द करने वाली है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कम्पनी के प्रबन्धकों ने सरकार को इस कारखाने को अपने हाथ में ले लेने का प्रस्ताव किया था और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस कम्पनी के महत्व को देखते हुए तथा इसके हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने के लिये सरकार ने इस कारखाने को चालू रखने के लिये क्या कार्यवाही की है?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड की कूपर अलिन इकाई ने, कई वर्षों से, कई कारकों के कारण, जिनमें सुरक्षा आवश्यकताओं के संभरण के लिये आदेश प्राप्त न होना अथवा प्राप्त होने में घटाव, तथा पुरानी अप्रचिलित मशीनरी आदि है, भारी हानि उठाई। इसलिए कम्पनी प्रबन्ध कुछ समय पहले इस इकाई को बेचने या बन्द कर देने की आवश्यकता पर विचार कर रहा था, परन्तु उसे इस मालले को आस्थगित करने का परामर्श दिया गया है।

(ख) और (ग) इस कम्पनी को भविष्य में चालू रखने के लिए अनेक प्रस्ताव रखे गए हैं। सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है।

### पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति

87. **श्री देवकीनन्दन पटोदिया :** क्या वाणिज्य मन्त्री 8 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति और जहाजों को प्राप्त करने के मामले में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो वसूल हुई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस स्थिति से अब किस प्रकार निपटने का सरकार का विचार है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :** (क) से (ग) दोनों देशों द्वारा जब्त की गई सम्पत्तियों के पारस्परिक प्रत्यावर्त्तन के लिए भारत सरकार के प्रयत्न पाकिस्तान सरकार के साथ अब भी जारी हैं।

### पटसन के माल पर निर्यात शुल्क समाप्त करना

88. **श्री देवकीनन्दन पटोदिया :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों में पाकिस्तान का पटसन के माल का निर्यात 7 प्रतिशत से बढ़ कर लगभग 30 प्रतिशत हो गया है, किन्तु इसी अवधि में भारत का निर्यात 85 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत रह गया है;

(ख) क्या इस उद्योग ने पटसन के माल पर से धीरे-धीरे निर्यात शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया है ताकि विश्व बाजार में प्रतियोगी दरों पर उनकी माँग बढ़ सके; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** :(क) यह सच है कि तुलनात्मक दृष्टि से पटसन के माल के विश्व व्यापार में प्रतिशत के रूप में पाकिस्तान का भाग 1967 में समाप्त होने वाले दशक में बढ़ गया है । परिमाण के हिसाब से भारत से इस माल का कुल निर्यात 1957–58 के 847,300 मे० टन से बढ़कर 1964–65 में 950,200 मे० टन हो गया और 1966–67 में केवल 734, 200 मे० टन निर्यात हुआ क्योंकि इस अवधि में उद्योग कठिनाइयों का सामना कर रहा था ।

(ख) और (ग) निर्यात निष्पादन पर निरन्तर निगरानी रखने की सरकार की सामान्य नीति के अनुसार और शुल्क रियायतों के सम्बन्ध में विभिन्न अभ्यावेदनों के परिप्रेक्ष्य में, जिनमें उद्योग के अभ्यावेदन भी शामिल हैं, 7.2.68 से हेसियन, सैकिंग और विशिष्ट माल पर निर्यात शुल्क में क्रमशः 250 रु०, 200 रु० और 600 रु० प्रति मे० टन की कमी की गई है ।

**संयुक्त संयंत्र समिति**

89. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या इस्पात, खान और धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त संयंत्र समिति के कृत्यों में फेरबदल तथा इसके ढांचे का पुनर्गठन करने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) समिति का गठन आवश्यक क्यों समझा गया जब कि श्री खाडिलकर की अध्यक्षता में नियुक्त एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति इस विषय पर प्रतिवेदन दे चुकी थी ;

(ग) इस नयी समिति के अन्तर्गत और कौन-कौन से नये कार्य क्षेत्र आयेंगे; और

(घ) खाडिलकर समिति की कितनी सिफारिशें क्रियान्विति के लिये स्वीकार की गई हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**:

(क) जी, हाँ

(ख) और (ग) श्री आर० के० खाडिलकर की अध्यक्षता में नियुक्त की गई अध्ययन टीम, जिसका कार्य लोहा, इस्पात नियंत्रणक संगठन की जांच करना था, न मूल्य और देश में निर्यात इस्पात के वितरण के सम्बन्ध अपनी रिपोर्ट का प्रथम चरण मई, 1966 में प्रस्तुत किया था । उसके पश्चात् संयुक्त संयत्र समिति के कृत्यों और उत्पादकों पर विनियमन के प्रभावों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

इसके अनुसार लोहा और इस्पात मंत्रणा परिषद की स्थायी समिति ने लोहा और इस्पात विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है, जो इस सम्बन्ध में जांच करेगी ।

(ग) भाग, 1 में 59 सिफारिशें की गई थीं उसमें से केवल एक को स्वीकार नहीं किया गया, और बाकी को मामूली-सा परिवर्वन कर क्रियान्वित करने के लिये स्वीकार कर लिया गया है ।

## हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का चेयरमैन

90. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भूतपूर्व मन्त्री को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का चेयरमैन नियुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उपक्रम में एक गैर-तकनीकी व्यक्ति को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :

(क) चेयरमैन की नियुक्ति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## बोकारो इस्पात परियोजना

91. श्री ओंकार सिंह : श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री 22 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 855 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात परियोजना के लिये अपेक्षित निर्माण सामग्री और उपकरणों के लिये विभिन्न कारखानों को दिये गये क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार को इन क्रयादेशों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री ( डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने के लिये अपेक्षित निर्माण सामाग्री के लिये विभिन्न कारखानों को दिये गये क्रयादेशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित फर्मों को क्रयादेश दियें गये | दियें जानें वालें क्रयादेशों की मात्रा टनों में |
|---|---|
| 1. मैसर्स कौन्सोलीडेटिड इंन्जीनियरिंग कं० नई दिल्ली | 5,600 |
| 2. साइस्टा इन्डस्ट्रियल एएड ट्रेडिंग कारपोरेशन, बम्बई | 3,000 |
| 3. हिन्दुस्तान डवलमेन्ट कारपोरेशन, कलकत्ता | 1,000 |
| 4. माईनिंग एन्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर | 2,200 |
| 5. कावेरी स्ट्रक्चरल, मद्रास | 7,236 |
| 6. तुंगभद्रा स्टील प्राडेक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा | 2,530 |
| 7. आर्थर बटलर एन्ड कम्पनी, कलकत्ता | 6,650 |
| 8. भारत इन्डस्ट्रीयल बर्कस, भिलाई | 6,650 |
| 9. मैसर्स सैन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैनूफैक्चरिंग एएड कम्पनी लिमिटेड, भरतपुर | 8,400 |
| 10. मार्डन इन्डियन कन्स्ट्रक्शन कं० लि०, कलकत्ता | 10,000 |
| 11. आंध्रा फाऊन्डरी एन्ड मशीन कं० लि०, सिकन्दराबाद | 4,070 |

| | | |
|---|---|---|
| 12. | हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, कलकत्ता | 6,404 |
| 13. | हिन्दुस्तान डवलपमेन्ट, कारपोरेशन, कलकत्ता | 8,573 |
| 14. | प्रेम इन्जीनियरिंग वर्क्स, मेरठ | 9,900 |
| 15. | त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स, नैनी, इलाहाबाद | 4894 |
| 16. | न्यूस्टेन्डर्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई | 10,085 |

इसके अतिरिक्त बोकारो स्टील लिमिटेड ने निम्न निर्माण उपक्रमो के भी क्रयादेश दिये हैं।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मैसर्स नजाप्रोमेक्ट, मास्को, यू० एस० एस० आर | 17,700 |
| 2. | मैसर्स हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची | 32,000 |
| 3. | माइनिंग एन्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर | 4,920 |

(ख) जी, हां। कुछ निर्माणकर्ताओं जिन्हें कोई काम नहीं दिया गया था, शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने जो मूल्य दिये थे वे उन लोगों के मूल्य की तुलना में अधिक हैं जिन्हें काम सौंपा गया था।

### पांचवां इस्पात कारखाना

92. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी):

(क) जी, नहीं। पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है। इसकी स्थापना करते समय दूसरी परियोजनाओं के साथ-साथ इस्पात की कुल मांग और समस्त देश में उपलब्ध विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित किये जाने के बारे में ध्यान दिया जायेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### Railway Accidents

93. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Miniter of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway accidents which took place during the year 1967 and the number out of them in which one or more persons were either killed or injured ; and

(b) whether any definite clue has been found to prove that there was a hand of some political miscreants and foreign agents in these railway accidents ; and

(c) if so, the details thereof ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**

(a) During the year 1967, there were 1,128 train accidents in the categaries of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings, and fires in trains, on the Indian Government Railways. Out of these 129 accidents were attended with casualties.

(b) Although some accidents were due to sabotage there are no definite indications whether political miscreants and/or foreign agents were involved in any of them.

(c) Does not arise.

**Goods Trains for Transportation of Coal**

95 **Shri Arjun Singh Bhadoraia** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) wherther it is a fact that a part of the capacity of goods trains made available by Railways for the transportation of coal and other minerals remains unutilised at present ; and

(b) if so, the steps taken to utilize them fully ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**:

(a) Yes. Capacities developed for transport of coal and certain minerals (particularly to Steel Plants and for Export) remain partly unutilised at present.

(b) The capacities thus rendered surplus are primarily :

(i) sectional capacity in the coal-steel belt and on newly built lines such as Bailadilla-Kotavalasa, and

(ii) special type wagons such as BOIs, KOs, BOXs, BFRs, meant largely for carriage of coal, export ore, raw materials to Steel Plants and finished products from Steel Plants.

By its very nature such surplus capacity cannot be utilised or transferred suitably for other traffic in other areas. However, efforts are made to utilise the surplus wagons for traffic for which they were not originally meant by utilising tarpaulins or by some temporary modifications, etc. The scope for such utilisation is, however, limited.

**कपड़े पर उपकर**

96. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित वाणिज्य इस्पात तथा खान-उप-महालेखा पाल के कार्यालय के कुछ कर्मचारी कपड़े आदि पर उपकर वसूल करवाने के लिये मंत्रालय की कपड़ा समिति के अधीन प्रतिनियुक्त किये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्य में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है और उपकर की बकाया राशि काफी जमा हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस उपकर की शीघ्र वसूली के लिये इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाहीं करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य वस्त्र समिति द्वारा वस्त्र समिति अधिनियम, मार्च, 1963 के अन्तर्गत फीस लगाने का उल्लेख कर रहे हैं। फीस 1 मार्च 1965 से एकत्र की जा रही है और इस काम के लिये समिति ने उप-महालेखाकार वाणिज्य निर्माण तथा विविध, बम्बई के कुछ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया है। जनवरी, 1968 के अन्त तक वसूल किये जाने वाले 122 लाख रुपये में से फीस की वास्तविक वसूली लगभग 90 लाख रुपये है। बकाया 32 लाख रुपये में से 22 लाख रुपये उन पक्षों से सम्बन्धित है जिन्होंने इस फीस के बारे में कानूनी आपत्तियां उठायी हैं। इन आपत्तियों का प्रतिवाद करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा डिवीजन में रेलवे कर्मचारी**

97. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा डिवीजन में कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने का भत्ता, यात्रा-भत्ता, मकान किराया भत्ता, वार्षिक वृद्धि, कार्यकारी भत्ता तथा मजूरी की अदायगी में अत्यधिक विलम्ब होता है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रत्येक मदों के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना शेष है ; और

(ग) इन मदों के अन्तर्गत कब से भुगतान नहीं किया गया है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा): (क) से (ग)** सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**सीमेंट से नियंत्रण का हटाया जाना**

98. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट से नियंत्रण समाप्त करने के फलस्वरूप सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन को कितना अतिरिक्त धन दिया गया है ;

(ख) जिन समवायों ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार को वचन दिया था उनमें से किन फर्मों ने अपना वचन पूरा नहीं किया है; और

(ग) वे कितनी-कितनी क्षमता बढ़ाने को सहमत हुये थे और वास्तव में कितनी-कितनी क्षमता बढ़ाई गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन की स्थापना 1966 में सीमेंट उद्योग ने सीमेंट का वितरण बिना लाभ बिना हानि के उद्देश्य से की थी । रेल तक के मुफ्त मूल्य में 25 रुपये प्रतिटन इसमें इन संगठन के पारितोषक के रूप में शामिल कर लिया गया था ।

(ख) मैंसर्स के० सी० पी० लि० आंध्र सीमेंट्स, मद्रास सीमेंट्स, बगलकोट सीमेंट, मैसूर आयरन एन्ड स्टील और डालिमा दादरी सीमेन्ट लि० की कोई विस्तार की योजना नहीं है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 24/68)

**खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा ऋण**

99. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम में खानों आदि के विकास के लिये लौह तथा मैंगनीज अयस्क के विभिन्न सम्भरण कर्ताओं को कुल कितनी राशि का ऋण दिया ;

(क) क्या यह सच है कि कुछ पार्टियों के मामले में, उन्हें ऋण देते समय, ऋण देने

की मान्य कसौटी नहीं अपनाई गई अर्थात् उनकी ऋण लेने की पात्रता, अयस्क सप्लाई करने की क्षमता तथा पिछला कार्य नहीं देखा गया ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 1966–67 और 1967–68 में दिये गये ऋणों की कुल धनराशि सम्बन्धी जानकारी नीचे दी गई है :—

| वर्ष | मैंगनीज अयस्क | लौह अयस्क |
|---|---|---|
| 1966–67 | रु० 18,20,250/– | रु० 4,79,92 |
| 1967–68 | रु० 13,81,378/– | रु० 1,75,68 |

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## मोटर गाड़ियों की चोरबाजारी

100. श्री हरदयाल देवगुण : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर गाड़ियों, विशेषकर फियेट कारों की चोर बाजारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या आवेदनकर्ता को कार आवंटित करने से पूर्व उनकी कार रख सकने की क्षमता का भी विचार किया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) मोटर गाड़ियो, स्कूटरों और मोटर साइकिलों का साम्यिक वितरण और उचित मूल्य पर उपलब्धता के लिये उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 का अनुच्छेद 18 (डी) के अन्तर्गत सरकार को दिये गये अधिकार के अनुसार निम्नलिलित नियंत्रण आदेश जारी किये गये हैं :—

(1) मोटर गाड़ी (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1959—1 मई, 1959 से प्रभावी।

(2) स्कूटर (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1960—2 सितम्बर, 1960 से प्रभावी।

इन नियंत्रण आदेशों के अनुसार प्रत्येक व्यापारी को ग्राहकों के आर्डर तैथिक क्रमानुसार रजिस्टर किये गये हैं। सम्बन्ध प्रधिकार की आज्ञा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष के भीतर एक से अधिक गाड़ी खरीदने की अनुमति नहीं है। इन नियंत्रण आदेशों में यह भी प्रतिबन्ध लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति सम्बन्ध प्राधिकारी की आज्ञा को छोड़कर, मोटरगाड़ी को दो वर्ष से पूर्व या स्कूटर / मोटर साइकिल आदि को 1 वर्ष से पूर्व फिर से नहीं बेचा जा सकता।

सरकार भी अनौपचारिक रूप से इन गाड़ियों के मूल्यों पर नियंत्रण रखती है।

(ख) केन्द्र सरकार के कोटे में से कारों को अलाट करते समय आवेदक की कार रखने की क्षमता पर भी विचार किया जाता है।

**दिल्ली में राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यालयों के लिये इमारतें**

101. श्री हरदयाल देवगुण : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम दिल्ली में अपने कार्यालय के लिये गैर-सरकारी लोगों को वार्षिक किराया कितना दे रहे हैं;

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम के पास दिल्ली में जो इमारतें हैं उनमें से प्रत्येक इमारत का कुल फ्लोर क्षेत्रफल कितना है और उसका किराया मूल्य कितना होता है;

(ग) जनवरी, 1960 से लेकर अब तक कुल कितना किराया दिया जा चुका है ; और

(घ) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम / राज्य व्यापार निगम का विचार अपने कार्यालयों के लिये अपनी इमारतें बनाने का है और यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) सम्बद्ध जानकारी नीचे दी जाती है :—

| | भवन का नाम | फ्लोर क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | प्रति वर्ष किराया रुपये |
|---|---|---|---|
| | 1. | 2. | 3. |
| (क) राज्य व्यापार | निगम एक्सप्रेस बिल्डिंग, ब० शा० जा० मार्ग, नई दिल्ली | 43601 | 523,21 |
| | हेमल्ड हाउस, ब० शा० ज० मार्ग, नई दिल्ली | 5623 | 126,900/- |
| | लिंक हाउस, ब० शा० ज० मार्ग, नई दिल्ली | 2244 | 50,820/- |
| | 58. रिंग रोड, नई दिल्ली | 4000 | 31,200/- |
| | 57, रिंग रोड, नई दिल्ली | 1800 | 18000/- |
| | 2, ई/7, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली | 6052 | 24,000/- |
| | | कुल | 774,132/- |

| | | |
|---|---|---|
| (ख) खनिज तथा धातु एक्सप्रेस बिल्डिंग | 30299 | 363,588/– |
| व्यापार निगम भारतीय मानक संस्था का भवन (मानकालय) | 14858 | 312,018/– |
| कुल | | 675,606/– |

(ग) राज्य व्यापार निगम ने जनवरी, 1960 से जनवरी, 1968 तक कुल 49,73, 128.30 – रुपये किराया दिया है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 1,10,63 (इसके प्रारम्भ होने की तारीख) से 31,3,1967 तक कुल 19,43,696,69 रुपये किराया दिया है।

(घ) जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यालयों के लिये स्थान का नियतन कर दिया है और ज्यों ही निगमों को उस का कब्जा मिलेगा कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिये आगे कार्यवाही की जायेगी।

रेलवे भोजन व्यवस्था समिति

102. श्री श्रद्धाकार सूपकार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में विभागीय और ठेके पर भोजन व्यवस्था के कार्य-संचालन की जांच करने के लिये स्थापित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) अभी नहीं। लेकिन आशा है, यह कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बढ़िया इस्पात तथा मिश्रित धातु इस्पात का आयात

103. श्री समर गुह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशों से किस प्रकार के बढ़िया इस्पात तथा मिश्रित धातु इस्पात का आयात किया जाता है ;

(ख) क्या भारत में ऐसे इस्पात तथा मिश्रित धातुओं के उत्पादन की सब संभावनाओं का पता लगा लिया गया है ; और

(ग) भारत के ऐसे इस्पात तथा मिश्रित धातुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर न हो सकने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन क्रोमियम स्टील मिश्रित फोर्जिंग क्वालिटी स्टील, फ्री कटींग स्टील, होलो ड्रिल स्टील, हाई टेन्सिल वायर / टेप, स्टेनलैस स्टील की चद्दरें (18 गेज की और मोटी) तथा हेक्सा ब्लेड वाली स्टील की पत्तियाँ आदि इस समय आयात किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपरोक्त प्रकार के इस्पात के उत्पादन को अपने ही देश में बढ़ाने तथा उनमें आत्मनिर्भर होने के लिये सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु विशेष विवरण

तथा मात्रा की भिन्नता के कारण सभी प्रकार के स्टील का फिलहाल भारत में ही उत्पादन करना सम्भव नहीं है।

### कलकत्ता में वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे

104. श्री समर गुह : श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता क्षेत्र में प्रस्तावित वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे की योजना पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उस रेलवे का निर्माण-कार्य आरम्भ करने के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(ग) दो लाइनों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है—एक दमदम से प्रिंसेप घाट तक तथा दूसरी दमदम से साल्ट लेक क्षेत्र के रास्ते बेलीगंज तक। ये सर्वेक्षण अभी पूरे नहीं हुए हैं।

### गुना-मक्सी रेलवे लाइन

105. श्री बाबूराव पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि प्रस्तावित गुना-मक्सी रेलवे लाइन के लिये जमा की गई मिट्टी वर्षा तथा बाढ़ से बह गई और बरबाद हो गई है क्योंकि इस मिट्टी को जमाने के लिये पत्थर नहीं लगाये थे;

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरी होने की संभावना है ; और

(ग) इस रेलवे लाइन को शीघ्र पूरा करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) गुना-मक्सी लाइन पर मिट्टी के काम को वर्षा या बाढ़ से कोई क्षति नहीं पहुँची।

(ख) और (ग) इस लाइन का निर्माण कार्य पूरा करने की अन्तिम तारीख अभी तक निश्चित नहीं की गयी है। इस लाइन को शीघ्र पूरी करने की मुख्य कठिनाइयां धन की कमी और मिट्टी डालने और पुलों का निर्माण करने वाले कुछ ठेकेदारों की विफलता है। इस लाइन पर जिस तरह का यातायात होता है उसे देखते हुए यदि धन उपलब्ध हुआ तो यथासंभव निर्माणकार्य शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

### जूतों का निर्यात

106. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औवल इन्डस्ट्रीज को 3 करोड़ 10 लाख रुपये मूल्य के जूतों की सप्लाई करने

तथा 18 करोड़ 70 लाख रुपये मूल्य के नौसेना के जूतों की सप्लाई के लिये डनबार बूट कम्पनी तथा एकमे बूट कम्पनी के साथ किये गये ठेकों का ब्यौरा क्या है जिनका राज्य व्यापार निगम के ग्याहरवें प्रतिवेदन में उल्लेख है ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1967 तक उपरोक्त ठेकों के अंतर्गत दिये गये माल की किस्म, विवरण तथा मूल्य क्या है और भुगतान के रूप में वस्तुतः कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(ग) उपरोक्त ठेकों के सिलसिले में भारत तथा विदेशों में विक्रय-एजेन्टों को भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में अब तक कमीशन की कितनी राशि दी गई है और इन एजेन्टों के नाम तथा पते क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)** : (क) राज्य व्यापार निगम के जूतों तथा संघटकों के निर्यात के लिये तीन ठेके किये हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जाता है :—

**मेसर्स एकमे बूट कम्पनी, ठेका सं० 1**

| मद | मात्रा | बीमा भाड़ा सहित मूल्य |
|---|---|---|
| काउब्वाय चमड़े के नौ विभिन्न किस्मों के जूतों के ऊपरी भाग | 8.5 लाख जोड़े | 13·77 लाख डालर |
| तैयार काउब्वाय बूट | 3·0 ,, | 13·24 ,, |
| कटसोल्स | 27·0 ,, | 10·80 ,, |
| क्रूमसोल्स | 12·0 ,, | 1·32 ,, |
| एड़ियां | 6·0 ,, | 0·96 ,, |
| | | 40·09 ,, |

**मेसर्स एकमे बूट कम्पनी, ठेका सं० 2**

| मद | मात्रा | बीमा भाड़ा सहित मूल्य |
|---|---|---|
| क्रोम साइड ऊपरी चमड़ा | 3 लाख वर्ग फुट | 87·000 डालर |
| कपाये हुए क्रोम के टुकड़े | 1 ,, | 14·000 ,, |
| भैंस का सिकुड़ा दानेदार चमड़ा | 1 ,, | 30·000 ,, |
| | | 1,31·000 ,, |

मेसर्स ओवल इन्डस्ट्रीज, ठेका सं० 3

| मद | मात्रा | बीमा भाड़ा सहित मूल्य |
|---|---|---|
| सर्विस आक्सफोर्ड जूते | 1 लाख जोड़े | 2·55 लाख डालर |

उपर्युक्त ठेकों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(1) भारत में विदेशी ग्राहकों के प्राधिकृत सर्वेक्षकों द्वारा माल का लदान से पूर्व निरीक्षण।

(2) जहाज द्वारा भेजे गये 100 प्रतिशत मूल्य का भुगतान ग्राहकों द्वारा आवर्तक स्थायी साख पत्रों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) सुपुर्द की गई मात्रा तथा प्राप्त हुई धन राशि संबंध सूचना निम्न प्रकार है :—

| | 31·12.67 तक सुपुर्द की गई मात्रा | मूल्य |
|---|---|---|
| (1) काउब्वाय बूटों तथा काटने के संघटकों के निर्यात के लिये ठेका | 1·23 लाख | 7.46 लाख रु० |
| (2) तैयार चमड़े के निर्यात के लिये ठेका | 3·78 लाख वर्ग फुट | 7·71 लाख रु० |

उपर्युक्त खेपों के बदले 14·48 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है; संबन्धित साख पत्रों की शेष 69,000 रु० की राशि के लिये राज्य व्यापार निगम के बैंकरों के माध्यम से बातचीत चल रही है।

जहां तक सर्विस आक्सफार्ड (नेवी) जूतों का संबंध है, 31 दिसम्बर, 1967 से पूर्व मेसर्स ओवल इन्डस्ट्रीज के साथ हुए ठेके पर लगभग 46,000 रु० मूल्य के 2,400 जोड़े स्वीकृत हो चुके थे और जनवरी, 1968 में खेपें भेजी जा चुकी हैं। उसके साख पत्रों के बदले राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रलेखों का भुगतान कराया जा रहा है।

(ग) एस·79, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली के मेसर्स एम· आर· दत्त के साथ अभिकरण करार के अंतर्गत भारतीय एजेन्ट को वास्तविक खेपों तथा भुगतान प्राप्ति की राशि पर माल के बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के । प्रतिशत की दर से भारतीय रुपये में कमीशन देने की व्यवस्था है। अभी तक राज्य व्यापार निगम द्वारा भुगतान किये गये वास्तविक कमीशन की राशि 13,000 रुपये हैं। विदेशी एजेन्टों को राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई कमीशन नहीं दिया जाता। अमरीकी ग्राहकों को इन पदों से परिचित कराने तथा उनके विकास के लिये प्रारम्भिक संवर्धनात्मक कार्य पर भारतीय एजेन्ट द्वारा पहले ही किये गये काफी अधिक व्यय को ध्यान में रखते हुए उसको 30,000 रुपये का अग्रिम कमीशन दिया जा चुका है जिसका ब्याज सहित समंजन संविदा के अंतर्गत शास्त्री देय कमीशन में होगा।

खेत्री तांबा परियोजना

107. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में देश में तांबे की कितनी खपत हुई थी;

(ख) इसमें से कितना तांबा भारत की खानों में से निकला था तथा कितना विदेशों से आयात किया गया था तथा किन-किन खानों से कितना-कितना तांबा निकला था;

(ग) खेत्री तांबा परियोजना को कितनी सफलता मिली है तथा इस परियोजना में कब तक पूरी तरह से काम आरम्भ हो जायेगा;

(घ) खेत्री में प्रति वर्ष उपोत्पादकों सहित कितना तांबा पैदा होने का अनुमान है; और

(ङ) किन-किन अन्य स्थानों पर तांबे की खोज की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) 1966-67 के दौरान तांबे की आवश्यकता का अनुमान 1,20,500 टन है ।

(ख) 1966-67 के दौरान बिहार की मुसाबानी, सुरदा तथा पाथरघोरा खानों से 9,173 टन तांबा इंडियन कापर कारपोरेशन लि० ने निकाला जो कि देश में इस समय तांबा निकालने वाला एक मात्र एकक है । 1966-67 में 34,579 टन तांबा आयातित किया गया ।

(ग) की गई प्रगति के विषय में विवरण संलग्न है । आशा है कि 1970-71 में खेतरी तांबा परियोजना चालू हो जायगा और 1972-73 में पूरा उत्पादन करने लगेगी ।

(ग) पूर्ण रूप से चालू हो जाने पर आशा है उत्पादन 31,000 टन प्रति वर्ष विद्युदांशिक तांबा धातु होने लगेगा (खेतरी खान से 21,000 टन अयस्क और पास वाली कोलिहान खान से 10,000 टम अयस्क) । 600 टन प्रति दिन गंधक का तेजाब उप-पदार्थ के रूप में पैदा होगा जो कि 2,14,500 टन प्रति वर्ष ट्रिपल सुपर फास्फेट उत्पादन करने को प्रयोग किया जायगा ।

(ङ) आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मैसूर और जम्मू और कश्मीर में तांबे की विस्तृत खोज प्रगति कर रही है। सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 25/68]

पोंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हानि

108. श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन : श्री चक्रपाणि :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम को पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण भारी हानि उठानी पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1968 तक कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) हानि को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) से (ग) : जापान की मिलों को लौह अयस्क एवं लौहमय मैंगनीज अयस्क की पूर्ति करने के संविदे में उनके मूल्य, पौंड स्टर्लिंग में उल्लिखित किये गये थे । पौंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन हो जाने के कारण उन संविदों के आधार पर बेचे गये माल से रुपयों के रूप में प्राप्त राशि पर प्रभाव पड़ा है । अतः खरीदारों को संविदों मूल्यों को उसी अनुपात से बढ़ाने के लिये कहा गया है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधि-मंडल और टोकियो के जापानी खरीदारों के बीच जिन मामलों पर इस समय बातचीत चल रही है; उनमें से एक यह भी है । बातचीत के परिणामों की सरकार द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है ।

### संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

109. **श्री बेणीशंकर शर्मा : श्री तुलसीदास जाधव :**

**क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान जिन लोगों के दिल्ली आने की आशा है उन पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है; और

(ख) उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)**

(क) द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भाग लेने वालों पर भारत सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाना है क्योंकि उनसे अपना व्यय स्वयं वहन करने की अपेक्षा की गई है । फिर भी, भारत में सम्मेलन के आयोजन के सम्बन्ध में कुछ व्यय करना पड़ेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### मालाबार क्षेत्र में लौह-अयस्क के निक्षेप

110. **श्री वासुदेवन नायर : श्री विश्वनाथ मेनन :**

**क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केरल के मालाबार क्षेत्र में लौह-अयस्क के निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों की क्षमता क्या है तथा उनमें किस किस्म का लौह-अयस्क पाया गया है; और

(ग) इस क्षेत्र में पाये गये लौह-अयस्क निक्षेपों की व्यापारिक स्तर पर खोज के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)

(क) हां, महोदय।

(ख) प्रारम्भिक इंगित है लगभग 330 मिलियन टन जिसमें 30 से 35 प्रतिशत लोहा है।

(ग) 1967-68 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा कोजीकोड़ जिले में कच्चे लोहे के संचयों और श्रेणी का अनुमान लगाने के लिये व्यधन कार्य के जरिये विस्तृत अनुसंधान करने का विचार है। सब प्रकार से अनुसंधान पूर्ण होने पर इनके वाणिज्य विदोहन के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात

111. श्री वासुदेवन नायर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष भारत से संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात बहुत कम हो गया था;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां। वर्ष 1966-67 में कुछ गिरावट आई है।

(ख) और (ग) : यह गिरावट उन समंजनों के कारण आई जो जून 1966 में रुपये के सममूल्य में परिवर्तन हो जाने के कारण आवश्यक हो गये थे। संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात अब सामान्य हो गया है।

फासफेट सम्बन्धी खोज कार्यक्रम

112. श्री ईश्वर रेड्डी : श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंहदेव :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने फासफेट की खोज सम्बन्धी कार्यक्रम को तेजी से पूरा करने के लिये तकनीकी सहायता लेने के हेतु अमरीका के साथ एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी)

(क) और (ख) 5 जनवरी 1968 को भारत सरकार तथा यू० एस० ए० आई० डी० के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए ताकि देश में रौक फास्फेट के निक्षेपों का अनवेषण हो सके। इस भूमिक्षण भौमिकी समझौते के अन्तर्गत फास्फेट उत्पादन के सशक्त क्षेत्र, विस्तृत भूस्तर सम्बन्धी तथा बनावट के मान-चित्रण, फास्फेट स्थानों में खाइयां खोदना, व्यधन करना तथा नमूना लेने का काम, विश्लेषण तथा अभिशोधन परीक्षण, अमरीकी

विशेषज्ञों द्वारा भारतीय कर्मचारियों का फास्फेट रीक भूमीक्षण की नवीनतम पद्धतियों में प्रशिक्षण, रासायनिक विश्लेषण, तथा अभिशोधन के तरीके आते हैं। भारत सरकार उनके प्रतिरूप भारतीय अधिकारियों तथा उनके सहायकों को परियोजना पर नियुक्त करेगी।

यह समझौता 20 माह बाद या इसके लगभग समाप्त हो जायेगा।

अमरीकी सरकार चार महीने के लिए एक अल्प अवधि परामर्शदाता, दो भूवैज्ञानिक, एक भौतिकी स्तर भूवैज्ञानिक, एक निःसादन धातुकार्मिकी, 20 माह के लिए प्रत्येक तथा एक रासायनिक 2-1/2 माह के लिए प्रदान करेगी। 250 हजार डालर के स्तर के डालर मूल्य वित्त ए० आई० डी० परामर्श सेवा कण संख्या 386-एच-115 के अन्तर्गत दिया जायेगा। परियोजना पर भारत सरकार की रुपये की लागत 10,23,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

**Rameswaram Road Dhanushkodi Railway Line**

114. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to close five railway lines on the Southern Railway permanently ;

(b) whether it is also a fact that the railway line between Rameswaram Road and Dhanushkodi which had been washed away by a sea-storm some years back has not so far been reconstructed ; and

(c) If so, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):**

(a) No such decision has yet been formulated.

(b) Yes.

(c) The line between Rameswaram Road and Dhanushkodi Stations has not been restored as it is likely to be a financial liability and as it would be difficult to maintain the line in this tidal area. The colony at Dhanushkodi was constantly being eroded by the tidal waves involving a hazard for railway staff inhabiting it. Restoration of this line, including strengthening of track between Ramban and Rameswaram Road will require very heavy protection works estimated to cost Rs. 75 lakhs approximately. In addition to this heavy capital cost, the recurring expenditure by way of maintenance will also be heavy and on the whole, restoration will result in substantial loss to the Government. It has, therefore, been decided to abandon this line and give the railway formation for construction of a road.

**मुद्रण उद्योग**

115. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास के उपमंत्री ने आयात के लिये प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में मुद्रण उद्योग को शामिल करने से खुले-आम इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपमंत्री ने कहा है कि पिछले वर्षों में मुद्रण मशीनरी

के आयात के लिये नियत विदेशी मुद्रा के 80 प्रतिशत भाग का या तो उपयोग नहीं किया गया या फिर उसका दुरुपयोग किया गया ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1966-67 में दुरुपयोग के कितने मामलों का पता लगाया गया और किन-किन पार्टियों ने इस विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किया और कितनी-कितनी राशि का;

(घ) इन राशियों का दुरुपयोग करने वाली पार्टियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) कितनी तथा कितने-कितने मूल्य की वस्तुओं के मामले में इस नियत राशि का उपयोग नहीं किया गया ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

## राज्य व्यापार निगम द्वारा कागज का आयात

116. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम पिछले पांच वर्षों में कागज का यूगोस्लाविया, चैकोस्लोवाकिया तथा फिनलैंड से आयात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा किस-किस किस्म का कागज का आयात किया गया और प्रत्येक किस्म के कागज का मूल्य कितना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वही एजेन्ट जो राज्य व्यापार निगम की ओर से आयात के लिये क्रियादेश देता है, आयातित कागज को उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों को वितरित भी करता है ;

(घ) यदि हां, तो निर्माताओं से सीधे आयात न करने तथा वितरण की व्यवस्था खुद न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) आयात तथा वितरण का काम करने वाली फर्म/फर्मों के नाम क्या हैं और वे कितना तथा कितने मूल्य का व्यापार प्रति वर्ष करती हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :**

(क) पिछले पांच वर्षों में राज्य व्यापार निगम ने रुपये लेखे के अन्तर्गत यूगोस्लाविया से 0·98 लाख रु० तथा चैकोस्लोवाकिया से 1·64 लाख रु० मूल्य के कागज के आयात किये जाने की व्यवस्था की है । फिनलैंड से 9·37 लाख रु० मूल्य का आयात वस्तु विनिमय/संयोजक प्रबन्धों के अन्तर्गत किया गया था । वस्तु विनिमय तथा संयोजक प्रबन्ध का कार्य चालन रुपये लेखे के अन्तर्गत होने वाले आयात से भिन्न है । पहले मामले में वास्तविक व्यापार विनिमय

पार्टी तथा व्यापार सहयोगियों द्वारा दिया जाता है । राज्य व्यापार निगम की स्थिति एक अभिकरण की है जो संविदा का पंजीकरण करता है तथा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रबन्धों के अनुसार उसकी क्रियान्विति का पर्यवेक्षण करता है।

(ख) सम्बन्धित जानकारी नीचे दी जा रही है :—

| क्रमांक | किस्म | मात्रा | मूल्य |
|---|---|---|---|
| 1. | श्वेत वुडफ्री गत्ता | 60,624 कि० ग्रा० | रु० 98,053 |
| 2. | वेजीटेबल पार्चमेंट कागज | 57,538 कि० ग्रा० | रु० 1,22,101 |
| 3. | ग्रीज प्रूफ कागज | 26,943 कि० ग्रा० | रु० 42,324 |
| 4. | सल्फट कागज | 67,376 कि० ग्रा० | रु० 1,05,292+ |
| 5. | आर्ट कागज | 3,39,368 कि० ग्रा० | रु० 6,73,004+ |
| 6. | ग्रीज प्रूफ कागज | 98,743 कि० ग्रा० | रु० 1,58,470+ |
| | | योग | रु० 11,99,244 |

+फिनलैंड से

(ग) यूगोस्लाविया तथा चैकोस्लोवाकिया से आयात के मामले में, जून, 1966 तक राज्य व्यापार निगम ने मान्यता प्राप्त प्रादेशिक कागज निगमों के माध्यम से आयात की व्यवस्था की । जून 1966 के बाद से राज्य व्यापार निगम सीधे ही कागज का आयात कर रहा है और वितरण की व्यवस्था इन निगमों के माध्यम से की जाती है। फिनलैंड से आयात वस्तु विनिमय-संयोजक प्रबन्धों के अन्तर्गत थे अतः वे राज्य व्यापार निगम की ओर से नहीं किये गये । इन प्रबन्धों के अन्तर्गत लक्षित आयात विदेशी संभरकों के एजेन्टों द्वारा किया गया था, जिन्होंने निकासी आदेशों तथा तकनीकी प्राधिकारियों के साथ सलाह लेकर राज्य व्यापार निगम द्वारा अनुमोदित मूल्यों पर वितरण भी किया ।

(घ) यूगोस्लाविया तथा चैकोस्लोवाकिया से आयात के मामले में यह प्रश्न नहीं उठता। फिनलैंड के मामले में आयात वस्तु विनिमय / संयोजक प्रबन्धों के अन्तर्गत किया गया था तथा विदेशी संभरक द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त एजेन्ट द्वारा आयात किया गया और वितरण सरकार द्वारा अनुमोदित प्रबन्धों के अन्तर्गत किया गया ।

(ङ) आयात तथा वितरण का काम करने वाली फर्मों/कम्पनियों के नाम तथा व्यापार का मूल्य नीचे दिया गया है :—

| क्रमांक | देश | फर्म का नाम | किये गये व्यापार का मूल्य (1960-67) |
|---|---|---|---|
| 1. | चैकोस्लोवाकिया तथा यूगोस्लाविया | मैसर्स पेपर एंड न्यूज प्रिंट्स डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन, दिल्ली । | रु० 38,623 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | " | मेसर्स पेपर मर्चेन्ट्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, बम्बई । | रु० 1,01,785 |
| 3. | " | मेसर्स साउथ जोन पेपर डिस्ट्रब्यूटर्स लिमिटेड, मद्रास । | रु० 62,195 |
| 4. | " | मेसर्स कोरपोरेटेड पेपर ट्रेडर्स लिमिटेड, कलकत्ता । | रु० 59,865 |
| 5. | " | मेसर्स सिद्धूमल एंड सन्स, दिल्ली । | रु० 9,36,776 |
| | | योग | रु० 11,99,244 |

### मैंगनीज खरीदने के लिये ठेका

117. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1957 में मैंगनीज अयस्क खरीदने के एक ठेके में खनिज, धातु तथा व्यापार निगम को दस लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ठेका बहुत ऊँचे दरों पर किया गया था जब कि यह पहले से पता था कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादन की कोई मांग नहीं है और मूल्य अवश्य गिरेंगे ;

(ग) यदि हां, तो ठेके पर हस्ताक्षर करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) 1957 में एक ठेके में लगभग 8·54 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी थी ।

(ख) जी, नहीं । उस समय की बाजार दरों की तुलना में माल प्राप्त करने के मूल्य अनुकूल थे ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

### चाय की कीमतों में गिरावट

118. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के दाम गिरे हैं और तदनुसार भारत से भी चाय का निर्यात कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की अपेक्षा गत वर्ष में कितने मूल्य की तथा कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया ; और

(ग) मूल्य गिरने के क्या कारण हैं और अधिक अच्छे दाम प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) पिछले पांच वर्षों में चाय के मूल्यों में गिरावट का रुख रहा है; किन्तु 1966 में भारत से चाय के निर्यात में कमी अन्य कारणों से हुई है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित विवरण में दी गई है :—

| | मात्रा दस लाख किग्रा० में | मूल्य करोड़ रु० में |
|---|---|---|
| 1967 | 205·0* | 178·97* |
| 1966 | 179·2 | 137,52 |

* अनन्तिम

(ग) मूल्यों में गिरावट मुख्यतया विश्व के उत्पादन में वृद्धि की दर की तुलना में विश्व में उसकी खपत में वृद्धि की दर थोड़ी सी कम होने के कारण हुई है । बेहतर मूल्य वसूल करने के लिये अन्य बातों के साथ-साथ यह भी विचार है कि प्रमुख चाय उपभोक्ता देशों में चाय की खपत बढ़ाई जाये ।

लाभप्रद रेलवे लाइनें

119. श्री सिद्दय्या :　　　　श्री देवराय पाटिल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलाभप्रद रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इन रेलवे लाइनों को लाभप्रद बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) अलाभप्रद पायी गयी लाइनों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 26/68]

(ख) इन लाइनों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उद्देश्य से किये गये उपायों में अधिक यातायात आकृष्ट करना और परिचलन में सुधार शामिल है । जहां शाखा लाइन के समानान्तर कोई सड़क जाती हो और वह उस लाइन की सन्तोषप्रद लाभ न देने के लिए बड़ी मात्रा में उत्तरदायी हो तो उस समय राज्य परिवहन प्राधिकारी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी का ध्यान रेल द्वारा अतिरिक्त परिवहन क्षमता की उपलब्धता की ओर दिलाया जाता है जब वे सड़क वाहनों के लिये अतिरिक्त अनुज्ञापत्र जारी करने के प्रस्तावों पर विचार करते हैं ।

फिर भी इन सब उपायों के बावजूद किसी शाखा लाइन का लाभप्रद होना अन्ततोगत्वा

इस बात पर निर्भर करता है कि जिस क्षेत्र से वह गुजरती हैं उसमें खरीद-बिक्री के लिए कौन सी चीज किस मात्रा में उपजती है ।

नंजनगुड और चामराजनगर के बीच रेलवे लाइन

120. श्री सिद्दय्या : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में नंजनगुड और चामराजनगर के बीच रेलवे लाइन को सुधारने के लिये, जब से यह लाइन मैसूर सरकार से ली गई है, तब से लेकर कोई विशेष मरम्मत आदि नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) वर्तमान आयात के लिए अपेक्षित मानक तक आवश्यकतानुसार इस रेल पथ की पटरियों और स्लीपरों का नवीकरण कर दिया गया है और किसी विशेष प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Jute Exports**

121. **Shri Sitaram Kesri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the country is likely to produce 78,00,000 bales of jute this year ; and

(b) if so, whether Government propose to draw up a scheme to earn foreign exchange by its export ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi)** :

(a) The combined jute and mesta crop in India during the current season is currently estimated at about 76 lakh bales.

(b) On present estimates, there is not likely to be an exportable surplus.

मशीनी औजारों का निर्यात

122. श्री सीताराम केसरी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में कितने मूल्य के मशीनी औजारों का निर्यात किया गया है ।

(ख) क्या एशिया और अफ्रीका के देशों में सम्भावित ग्राहकों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ।

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) भारत को इस क्षेत्र में किन-किन देशों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है और इस प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) विगत दो वर्षों अर्थात

1965–66, 1966–67 में और 1967–68 में ( अप्रैल-अक्तूबर, 1967 ) में मशीनी औजारों के निर्यातों का मूल्य निम्नलिखित था :—

| वर्ष | मूल्य लाख रुपयों में |
|---|---|
| 1965–66 | 34.21 |
| 1966–67 | 55.07 |
| 1967–68 ( अप्रैल–अक्तूबर 67) | 35.29 |

(ख) और (ग) : ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने मशीनी औजारों के बारे में एक बाजार सर्वेक्षण किया है और उससे यह विदित हुआ है कि ईरान पूर्व योरोपीय देशों से, जो उन्हें अत्यन्त प्रतियोगी मूल्यों पर बेंचते हैं, मशीनी औजारों का आयात करता है। ईरान कीमती बढ़िया मशीनों का आयात सं० रा० अमेरिका, ब्रिटेन, प० जर्मनी, इटली आदि जैसे विकसित देशों से करता है। यद्यपि अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में वहाँ के भारतीय मिशनों द्वारा अथवा इंजीनियरी निर्यात सम्वर्धन परिषद द्वारा मशीनी औजारों के सम्बन्ध में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया तथापि बिभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं से पता चला है कि सं० अरब गणराज्य, ईराक, थाइलैण्ड, सिंगापुर, जिन्होंने औद्योगिक विकास के कार्यक्रम आरम्भ किये हैं, मशीनी औजारों के अन्य सम्भाव्य बाजार हैं।

(घ) इस क्षेत्र में भारत को प० जर्मनी, इटली, जापान, स्वीडन, ब्रिटेन, सं० रा० अमेरिका, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैण्ड, सोवियत रूस जैसे देशों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। प्रतियोगिता का सामना करने तथा मशीनी औजारों के निर्यातों में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) निर्यात के लिये बनने वाले माल के उत्पादन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर लोहे तथा इस्पात की पूर्ति :

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, जहाज तक निशुल्क मूल्य पर 20 प्रतिशत की नकद सहायता और 20 प्रतिशत आयात पुनर्भरण दिया जाता है ताकि उच्च निवेश और ऊपरी लागत से उत्पन्न अशक्तताओं का परिहार हो जाये; और

(3) इंजीनियरी निर्यात सम्मवर्द्धन परिषद के माध्यम से विदेशिक प्रदर्शनियों में भाग लेने, विदेशों में प्रचार करने, प्रतिनिधि-मण्डल, बिक्री अथवा अध्ययन दल भेजने के लिये सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

### हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

123. **श्री सीताराम केसरी** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने पड़ोसी देशों को इस्पात का निर्यात करने के उद्देश्य से इस्पात कारखानों की विस्तार योजना तैयार कर ली है ;

(ख) क्या वर्तमान कारखानों से देश की इस्पात की सभी मांग पूरी हो जाती है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत में इस्पात के उत्पादन की लागत बहुत से अन्य देशों में इस्पात के उत्पादन की लागत से अधिक है तथा क्या इसके कारण विदेशी बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन केवल इस्पात के निर्यात के उद्देश्य से इस्पात संयंत्रों के विस्तार की कोई योजना नहीं बनाई गई है। निर्यात के लिये नये बाजार तथा नये उत्पादों की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन इस्पात संयंत्र बायलर क्वालिटी प्लेट्स, किल्ड तथा सेमीकिल्ड क्वालिटी स्टील और कुछ चपटे उत्पादों जैसे स्टील को छोड़कर शेष लोहे तथा इस्पात की घरेलू मांग को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं । वास्तव में भिलाई और दुर्गापुर स्टील संयंत्रों के मर्चेन्ट मिल उत्पादों, भिलाई के कारखाने में बनी रेलें आदि तथा दुर्गापुर में बने सेक्शनल मिल के उत्पादों के लिये उनके उत्पादन की अपेक्षा मांग कम है ।

(ग) विदेशों के इस्पात की उत्पादन लागत सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे गोपनीय माने जाते हैं । विश्व मण्डी इस समय बहुत अधिक प्रतियोगिता पूर्ण है ।

### सरकारी पटसन मिल, कटिहार

124. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों में स्थित पटसन मिलों को सरकार पटसन लेने की अनुमति दे रही है जब कि कटिहार में सरकारी पटसन मिल कच्चा पटसन न मिलने के कारण बेकार पड़ी हुई है जिसके फलस्वरूप हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी पटसन मिल में पुनः कार्य शुरू हो जाये इसके लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्य राज्यों में जहाँ मिलें स्थित हैं पटसन के परिवहन की लागत के कारण पटसन का मूल्य बहुत बढ़ गया है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :** (क) एक राज्य से दूसरे राज्य को पटसन लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। एक प्राधिकृत नियन्त्रक के अधीन कटिहार जूट मिल कच्चे पटसन के न मिलने के कारण नहीं अपितु आग लग जाने के कारण, जिससे इसकी कुछ मशीनों को क्षति पहुंची, बन्द हो गयी है ।

(ख) मशीनों के लग जाने पर मिल पुनः चालू हो सकती है। बिहार राज्य सरकार अभी मामले की जाँच कर रही है।

(ग) जी, नहीं ।

### कागज बनाने के कारखाने

125. **श्री सीताराम केसरी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कागज बनाने के कितने कारखाने हैं ;

(ख) उनमें से कितने कारखानों ने कच्चे माल के अभाव अथवा अन्य सुविधाओं के न मिलने के कारण काम करना बन्द कर दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार में कागज बनाने के दो कारखाने बन्द हो गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये, कि सभी कारखाने पूरी क्षमता से काम करें, कोई कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास तथा समन्वय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) 57 मिल।

(ख) 5 मिल।

(ग) वित्तीय तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण एक मिल बन्द हुआ है। दूसरे मिल के सामने योजना की क्रियान्विति के दौरान ही वित्तीय कठिनाइयां आ गई थीं।

(ग) कागज के मिलों को जब भी वे मांगते हैं, उचित सहायता दी जाती है।

### कच्चे लोहे के कारखाने

126. **श्री कं० हाल्दर :** क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी कुछ फर्मों ने कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने के लिये उन्हें दिये गये लाइसेंस और आशय-पत्र सरकार को लौटा दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :** (क) और (ख) जी हां। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कम्पनी ने अन्य बातों के साथ इस बात का भी संकेत किया है कि देश का वातावरण अनुकूल नहीं है।

### कोयला उद्योग और रेलवे बोर्ड के बीच कोयले के मूल्य सम्बन्धी करार

127. **श्री कं० हाल्दर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग और रेलवे बोर्ड के बीच हुआ मूल्य सम्बन्धी करार मार्च, 1968 के अन्त तक समाप्त होने वाला है ;

(ख) क्या कोयले के मूल्य में पुनः वैसी ही प्रतिस्पर्धा जैसी गत सितम्बर में हुई थी, को रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) 1.4.68 से 31·3·69 तक की अवधि में जितने कोयले की

आवश्यकता है उसके लिए टेंडर पहले ही मांगे जा चुके हैं। आशा है कि कोयला उद्योग कोयले की सप्लाई के लिए युक्तियुक्त कीमत बतायेंगे और इस तरह रेलें अपनी आवश्यकता के अनुसार कोयले की सप्लाई ले सकेंगी।

**नई कोयला खान**

128. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में कितनी नई कोयला खानें राजस्व लेखे के अन्तर्गत लाई गईं ;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में 1966-67 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का लाभ तथा हानि का लेखा क्या था ; और

(ग) 1966-67 में स्टोरों, फालतू पुर्जों और खाद्यान्नों पर कुल कितना व्यय किया गया तथा यह व्यय 1965-66 में किये गये व्यय की तुलना में कितना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) 1966-67 में तीन कोयला खानें अर्थात अरगाडा, दुमन हिल तथा जमुना राजस्व लेखे पर लाई गई।

(ख) 1966-67 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को 1·58 करोड़ रुपये की हानि हुई जबकि 1965-66 में उसे 62 लाख रुपये का लाभ हुआ था।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

**कारों की उत्पादन लागत**

129. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, 1967 को

(1) हिन्दुस्तान एम्बेसेडर कार ;
(2) फियेट कार ;
(3) स्टडर्ड 10 एच० पी० ;
(4) बजाज टैम्पो ;
(5) टाटा मरसीड्स बैंज ट्रक ;
(6) बैडफोर्ड ट्रक ;
(7) डाज ट्रक ;
(8) लीलैण्ड

की उत्पादन लागत कितनी-कितनी थी और उनकी कारखाना कीमत कितनी-कितनी थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

1 जुलाई 1967 को विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों की जो उत्पादन लागत थी,

उसके बारे में आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1 जुलाई 1967 को विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों का जो मूल्य था वह नीचे दिया जा रहा है।

| | रुपये |
|---|---|
| 1. हिन्दुस्तान एम्बेसेडर | 14895 |
| 2. फियेट कार | 13570 |
| 3. स्टेन्डर्ड 10 एच० पी० | 13257 |
| 4. बजाज टैम्पो | 7704 |
| 5. टाटा मरसीडिस बैंज ट्रक | 35164 |
| 6. बैडफोर्ड ट्रक चेजिज 167" | 31,4171 |
| 7. डाज ट्रक चेजिज 165" | 34018 |
| 8. लीलैण्ड चेजिज 163" | 44488 |

उपरोक्त मूल्य में उत्पादन शुल्क तथा पूरी गाड़ी पर देय अधिभार इसमें सम्मलित नहीं है।

### पूर्वी रेलवे की सियालदह डिवीजन पर यात्री सुविधायें

131. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री सुविधायें बढ़ाने के लिये पूर्वी रेलवे के दक्षिण सेक्शन पर सियालदह डिवीजन में स्टेशन-वार कितना धन (सियालदह दक्षिण स्टेशन और बालीगंज स्टेशन के अतिरिक्त) नियत किया गया तथा कितना धन व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ख) यह धन किन-किन मदों पर व्यय किया गया है अथवा किन-किन मदों पर इसका व्यय करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख)—सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

### रेत इकट्ठा करने वाले संयंत्र

132. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी गैर-सरकारी कोयला खान कम्पनियों के पास रेत की थाक लगाने के लिये रेत इकट्ठा करने के अपने संयंत्र हैं ;

(ख) गत पाँच वर्षों में उनकी अपनी कोयला खानों में रेत की थाक लगाने के लिये कितने मूल्य की रेत की खपत कम्पनी-वार हुई ; और

(ग) कोयला बोर्ड द्वारा उनको दी जाने वाली राजसहायता की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से सरकार ने यह देखने के लिये क्या तरीका अपनाया कि उनके द्वारा वास्तव में रेत की कितनी खपत की जाती है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) 15, महोदय।

(ख) एक वर्ष के दौरान भूगर्भ में रेत भरण कार्य में जो रेत लगी उसका स्वीकार किये गये मूल्य का निम्न प्रकार से भुगतान किया गया :—

| | |
|---|---|
| 1—मुलंबारारी कोल कम्पनी | 2,56,838.76 रुपये |
| 2—कटरास झरिया कोलरी कम्पनी लि० | 6,18,721.21 रुपये |
| 3—बराकार कोल कम्पनी लि० | 19,82,333.53 रुपये |
| 4—बंगाल कोल कम्पनी लि० | 39,10,176.48 रुपये |
| 5—समला गोविंदापुर कोयरी कम्पनी लि० | 2,26,017.30 रुपये |
| 6—वैस्ट्रन बंगाल कोलफील्ड्स | 4,55,405.00 रुपये |
| 7—भोराह् कंकानी कोलरीज | 24,97,193.53 रुपये |
| 8—इंडियन ग्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० | 4,04,316.58 रुपये |
| 9—ईस्ट इंडिया कोल कम्पनी लि० | 7,58,465.11 रुपये |
| 10—टाटा ग्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी | 7,54,215.90 रुपये |
| 11—एसोसियेटिड करनपुरा कोलरीज लि० | 1,43,261.80 रुपये |
| 12—टरनर मारीसन एण्ड कम्पनी लि० | 8,98,404.99 रुपये |
| 13—बेलारपुर कोलरीज कम्पनी लि० | 4,26,062.00 रुपसे |
| 14—इक्वीटेबल कोल कम्पनी लि० | 19,68,446.00 रुपये |
| 15—न्यु भंभूम कोल कम्पनी लि० | 6,41,319.00 रुपये |

बाकी वर्षों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और जितनी जल्दी सम्भव हो सका, सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सर्वेक्षण की नापें सर्वेक्षणकारियों द्वारा ली जाती है और उच्च सर्वेक्षकों या सर्वेक्षण अधीक्षकों द्वारा रेत भरण की मात्रा की निरन्तर रुपयों पर जांच की जाती है।

**Development of Industries**

133. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amounts advanced by the Central Government in the shape of loans and financial assistance to the various States, State-wise during the three Five Year Plans for the development of various industries and also the names of those industries; and

(d) the amount given by each of the State Governments as loans and financial assistance to the various industries and the names of those industries ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A.Ahmed):** (a) and (b) The information is being collected and it will be laid on the Table of the House in due course.

**Reservation Lists and Time Table in English Language on the Northern and N. E. Rly.**

134. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the reservation lists on all stations of the Northern and the North-Eastern Railways are prepared in English language;

(b) whether it is also a fact that English Time-table and lists prepared in English language are still in use even in the Hindi-speaking States :

(c) whether Government propose to prepare these Time-tables and lists in Hindi language; and

(d) if so, from which date and if not, the reasons therefor?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** :

(a) Yes.

(b) Yes. Public Time-Tables and Sheet Time-Tables are printed in Hindi also.

(c) and (d) Hindi Time Tables are already in use. The question of displaying Reservation Charts in Hindi is under examination. No date for this purpose has yet been fixed.

**Advertisement in Newspapers by North Eastern Railway**

135. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of newspapers who were given advertisements by the North Eastern Railway dnring the period from the 1st April, 1967 to 31 December, 1967 and the payments made to each of these newspapers;

(b) whether it is a fact that the Hindi Newspapers get less advertisement in contrast to the English newspapers; and

(c) if so, the reasons therefor and whether Government have drawn up any scheme to put an end to such discrimination?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**:

(a) A statement is laid on the table of the House [**Placed in library. See No. LT-27/68**]

(b) and (c) No. North Eastern Railway is using more Hindi newspapers than English, although the cost of advertisements released to English newspapers is higher than that of those released to Hindi Newspapers. It is owing to higher rates of widely circulated English newspapers. Classified advertisements requiring wide coverage for country-wide tender notices are issued to English newspapers brought out from commercial centres like Calcutta, Bombay, Delhi and Madras.

The Policy followed by the Directorate of Advertising & Visual Publicity, Ministry of Information & Broadcasting for advertising is being followed by the Railways also.

**Elgin Bridge Over River Ghagra**

136. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1892 on the 24th November, 1967 and state the details of further preventive measures adopted to prevent the Ghagra river outflanking the approaches to Elgin Bridge on the North-Eastern Railway?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : The river training works for Elgin Bridge over River Ghagra on Lucknow-Gorakhpur line were inspected jointly by the Director, Irrigation Research Institute, Roorkee and the North Eastern Railway Engineer on 2.1.1968.

Ganeshpure spur which suffered heavy damage during 1967, is being repaired and strengthened, as recommended, at an estimated cost of 17.40 lakhs.

The estimate amouting to Rs. 7.5 lakhs for repairs to apron of the left guide bund and keeping pitching stones in wire crates as reserve is also being processed.

The proposal to improve flow condition, as a long term measure, will be worked out after running the model at Irrigation Research Institute, Roorkee.

**Accidents at Railway Level-Crossings**

137. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the railways are prepairng any scheme in consultation with the State Governments to prevent accidents occurring at Railway level-crossings and to ensure smooth flow of traffic ; and

(b) if, so the details thereof and the causes of constant increase in the number of accidents at the level-erossings ?

**The Minister of Railways** (**Shri C. M. Poonacha**) : (a) and (b) A Statement is laid on the table of the House [Placed in Library See. no. LT-28/68]

**भारत के व्यापार पर पौंड के अवमूल्यन का प्रभाव**

138. **श्री शिवचन्द्र झा :** **श्री रा० बरुआ**
**श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री कृ० म० कौशिक :**

क्या वाणिज्य मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4592 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के पौंड के अवमूल्यन का भारत के व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ा था ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण भारत के व्यापार को कितना लाभ अथवा कितनी हानि हुई है ; और

(ग) यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो उसको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) से (ग) : पौंड स्टर्लिंग का 18 नवम्बर 1967 को अवमूल्यन किया गया था। अतः अभी से उसके पूर्ण प्रभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

हाँ, प्रभाव पर निरन्तर दृष्टि रखी जा रही है। अभी हाल में, कुछ चुनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्कों को कम कर दिया अथवा हटा दिया गया है।

**ट्रैक्टरों का निर्माण**

139. **श्री शिव चन्द्र झा :** **श्री रणधीर सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी कम्पनियां ट्रैक्टरों का निर्माण कर रही हैं, वे प्रतिवर्ष कितने ट्रैक्टर बना रही हैं ; और देश में ट्रैक्टरों की प्रतिवर्ष कुल कितनी मांग है; और

(ख) कितनी मांग किन-किन देशों से आयात से पूरी होती है और उस पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क)** खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग) ने यह अनुमान लगाया है कि 1970-71 तक कृषि में काम आने वाले ट्रैक्टरों की मांग 40,000 प्रतिवर्ष हो जायगी। उनके अनुसार प्रति वर्ष जितनी मांग बढ़ती जायेगी ? उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :

| वर्ष | संख्या |
|---|---|
| 1966-67 | 20,000 |
| 1967-68 | 25,000 |
| 1968-69 | 30,000 |
| 1969-70 | 35,000 |
| 1970-71 | 40,000 |

गैर सरकारी क्षेत्र में पांच एकक कृषि में काम आने वाले ट्रैक्टर बना रहे हैं । गत दो वर्षों में उनका उत्पादन निम्नप्रकार रहा :

| वर्ष | संख्या |
|---|---|
| 1966 | 7613 |
| 1967 | 10526 |

(ख) यद्यपि देश में ऐसे ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, परन्तु उससे देश में ट्रैक्टरों की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिये कुछ ट्रैक्टरों का आयात किया जा रहा है। गत कुछ वर्षों में इनका आयात रुपये में भुगतान के आधार पर किया जा रहा है । 1966 और 1967 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से जितने मूल्य के ट्रैक्टर मंगाये गये उनका ब्योरा निम्नलिखित है :

| वर्ष | संख्या | रुपयें में कुल मूल्य |
|---|---|---|
| 1966 | 1648 | 90,06,805 |
| 1967 | 4004 | 3,01,09,828 |

**पूर्वोत्तर रेलवे के घोगरडीह और निरमाली रेलवे स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन**

140. श्री शिव चन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के घोगरडीह और निरमाली स्टेशनों के बीच कोई हाल्ट स्टेशन नहीं है यद्यपि इन दो स्टेशनों के बीच बहुत अधिक दूरी है और इस क्षेत्र के लोगों को बहुत असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दो स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) घोगरडीहा और निर्मली स्टेशनों के बीच कोई हाल्ट स्टेशन नहीं है । इसके कारण असुविधा होने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) घोघरडीहा और निर्मली स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन के बारे में अभी तक कोई प्रार्थना नहीं मिली है।

### संयुक्त राष्ट्र विकास तथा व्यापार सम्मेलन

141. श्री स० कुन्डू : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हो रहे संयुक्त राष्ट्र विकास तथा व्यापार सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिये सरकार ने "विकासशील देश और विदेश सहायता" के विषय पर कोई लेख तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, नहीं । फिर भी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन-द्वितीय की कार्य सूची की मदों पर लेख तैयार किये गये हैं ताकि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को संक्षिप्त ब्योरे प्राप्त हो सकें ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### रुपसा-बांगरीपोसी लाइट रेलवे लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलना

142. श्री स० कुण्डू : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने रुपसा-बांगरीपोसी लाइट रेलवे लाइन को ब्राडगेज रेलवे लाइन में बदलने और उसे टाटा-बादाम पहाड़ से ब्राडगेज लाइन के साथ जोड़ने के बारे में सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक इसे ब्राड गेज लाइन बनाने और टाटा-बादाम पहाड़ रेलवे लाइन से जोड़ने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) रुपसा-बारीपदा-बांगरीपोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की अनुमानित लागत 3·85 करोड़ रुपये थी और इससे 2.51 प्रतिशत प्रतिफल मिलने की आशा थी। इस खंड को बड़ी लाइन में बदलने और (टाटानगर-बदामपहाड़ खंड पर) रायरंगपुर तक इसका विस्तार करने की अनुमानित लागत लगभग 15 करोड़ रुपये थी और इससे केवल 0.41 प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होने की आशा थी ।

(ग) और (घ) इस लाइन के बदलाव और विस्तार का प्रस्ताव अलाभप्रद होने के कारण इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा उसको आगे टाटानगर-बदामपहाड़ तक बढ़ाने का विचार नहीं है ।

### रेलवे को यातायात लेखा शाखा में पदोन्नति

143. श्री स० कुण्डू : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे की यातायात लेखा शाखा में किसी कर्मचारी की ऊँचे पद पर पदोन्नति नहीं की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ को आश्वासन दिया था कि लेखा विभाग में प्रक्रिया के सरलीकरण से पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो आश्वासन को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यद्यपि इस प्रकार का कोई विशिष्ट आश्वासन नहीं दिया गया था, फिर भी सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए जो अवसर 20-8-66 को वर्तमान थे, उनको सुरक्षित रखा जाय।

### बंसपानी से जौसुरी तक रेलवे लाइन बढ़ाना

144. श्री स० कुण्डू : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को उड़ीसा में क्योंझर जिले के बंसपानी क्षेत्र के खान मालिकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें यह मांग की गई है कि बंसपानी से जौसुरी तक बड़ी लाइन बढ़ाई जाये ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे लाइन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं; तो क्या खनिज-पदार्थों की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस लाइन को बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

### पुर्तगाल तथा दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भाग लेना

145. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ब० कु० दासचौधरी :
डा० रानेन सेन :
श्री काशीनाथ पांडे :
श्री रवि राय :
श्री जुगल मंडल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने नई दिल्ली में हो रहे संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन में पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का विरोध किया था ;

(ख) क्या किन्हीं अन्य देशों ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये थे ; और

(ग) क्या मेजबान देश के नाते भारत ने इस विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई औपचारिक अभ्यावेदन भेजा है और यदि हां, तो उनका क्या परिणाम रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्य अनेक देशों ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं।

(ग) भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका तथा पुर्तगाल के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने की उपयोगिता के संबंध में संदेह प्रकट किये थे । फिर भी, संयुक्त राष्ट्र विधि परामर्शदाता की राय ने, जो महासचिव द्वारा समर्थित थी, हमारे लिये उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं छोड़ा ।

### हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

146. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में द्वि-पक्षीय औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव के बारे में किसी केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई है ;

(ग) इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि जिन अधिकांश मजदूर संघों के साथ सलाह की गई है वे इस पक्ष में हैं कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में मजदूर संघों के प्रतिनिधि मजदूरों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान से चुने जाने चाहियें; और

(ङ) प्रस्तावित व्यवस्था के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है !

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ङ) शायद सदस्य महोदय ऐसी व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं जिसके आधार पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सभी इस्पात कारखानों में श्रमिकों की प्रतिनिधात्मक यूनियन को मान्यता प्राप्त हो सके, जिसे सामूहिक तथा सामान्य प्रकार के प्रश्नों पर प्रबन्धकों से बातचीत करने की शक्ति प्राप्त हो और औद्योगिक विवादों को बातचीत और परस्परिक समन्वय के आधार पर तय करने के लिये संयुक्त स्थायी समितियां स्थापित कर सके । इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया गया था और दिसम्बर 1967 में कुछ सम्बद्ध ट्रेड यूनियनों से प्रारम्भिक रूप से स्थिति की जानकारी के लिये विचार-विमर्श किया गया था । आगे विचार-विमर्श शीघ्र ही किया जायेगा।

### पटसन उद्योग सम्बन्धी गोष्ठी

147. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग की मुख्य-मुख्य बातों तथा विशेष कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये भारतीय पटसन मिलों की एसोसिएशन ने नई दिल्ली में हाल में एक गोष्ठी आयोजित की थी ;

(ख) क्या सरकार भारतीय पटसन मिलों की एसोसिएशन की इस धारणा को स्वीकार करती है कि इस उद्योग को विशेष रियायतें दी जानी चाहिए, ताकि वह अपना निर्यात बाजार कायम रख सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)**

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) निर्यात के परिणामों पर निरन्तर निगरानी रखने के लिये सरकार की सामान्य नीति के अनुसार तथा विभिन्न विचारों / अभ्यावेदनों, जिन में भारतीय पटसन मिल संघ के विचार / अभ्यावेदन भी शामिल हैं, को ध्यान में रख कर, 7 फरवरी, 1968 से पटसन की कुछ किस्मों पर से निर्यात शुल्क घटा दिये गये हैं ताकि वे विदेशी बाजारों में और अधिक प्रतिस्पर्धा कर सकें ।

### ट्रेक्टरों के निर्माण

148. **श्री रवि राय :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970–71 तक बिजली से चलने वाले हलों की प्रति वर्ष कितनी मांग हो जाने का अनुमान है ; और

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** (क) प्रति वर्ष 60,000 बिजली से चलने वाले हलों की मांग होगी ।

(ख) प्रति वर्ष 26,000 बिजली से चलने वाले हलों के निर्माण के लिये चार कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस मन्जूर किये गये हैं । प्रति वर्ष 37000 ऐसे हलों की निर्माण क्षमता के लिये तीन अन्य कम्पनियों की योजनाएं सिद्धान्त रूप से स्वीकार की जा चुकी हैं ।

बिजली हल उद्योग के तीव्र विकास हेतु, इस उद्योग को उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 की क्रियान्विति से हाल ही में मुक्त कर दिया गया है ।

### दक्षिण रेलवे में अदौनी रेलवे स्टेशन पर विश्रामालय

150. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य महत्व को ध्यान में रखते हुए दक्षिण रेलवे (आंध्र प्रदेश) में अदौनी रेलवे स्टेशन पर विश्रामालय बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) और (ख) फिलहाल अदोनी स्टेशन पर विश्रामालय बनाने के लिए अन्तिम रूप से निर्णीत कोई प्रस्ताव सामने नहीं है लेकिन गुन्तकल डिवीजन के मण्डल रेल उपयोगकर्ता

सलाहकार समिति ने इस स्टेशन पर तीन विश्रामालय बनाने का जो सुझाव दिया था, वह दक्षिण रेल प्रशासन के विचाराधीन है ।

### सूरीगुप्पा-करनूल रेलवे लाइन

151. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में सूरीगुप्पा से आंध्र प्रदेश में येम्बीगानूर और कोडूमूर से होती हुई कुरनूल तक एक नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव था ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रस्तावित लाइन को दूसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वेक्षण की जाने वाली रेलवे लाइनों की सूची में शामिल किया गया था ;

(ग) क्या इस रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस क्षेत्र के बढ़े हुए यातायात को देखते हुए क्या इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का सरकार का इरादा है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) चौथी योजना में नयी रेलवे लाइनें बनाने के लिए धन और साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण निकट भविष्य में इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं होगा ।

### रायल सीमा मिल्स, अडोनी

152. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अडोनी स्थित रायल सीमा मिल्स में निदेशक अपने आपको प्रबन्ध निदेशक, क्रय निदेशक और उत्पादन निदेशक मानते हैं तथा प्रबन्ध अभिकरण का पुनरीक्षण न करने के सरकारी आदेशों की अवहेलना करके वेतन के रूप में काफी धन राशि लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन निदेशकों के नाम क्या हैं तथा वे प्रति मास कितना वेतन ले रहे हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार लिया गया धन पिछले तीन वर्षों में प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा लिये गये वेतन से अधिक अथवा कम है अथवा उसके बराबर है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**

(क) इस कम्पनी का प्रबन्ध अभिकरण, 21 सितम्बर, 1967 को समाप्त हो गया । कम्पनी ने, दिनांक 12 अक्तूबर, 1967 को कम्पनी अधिनियम की धारा, 269, 198 तथा 309 के अन्तर्गत एक प्रबन्ध निदेशक तथा दो पूर्ण-कालिक निदेशकों की, दिनांक 12 अक्टूबर, 1967 से 5 वर्ष की अवधि की नियुक्त के लिये एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया है । यह प्रस्ताव, वर्तमान में, कम्पनी विधि बोर्ड के विचाराधीन है । कम्पनी के इस प्रस्ताव के विरुद्ध,

उसके हिस्सेधारियों में से पांच से प्राप्त एक अभ्यावेदन पर कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ख) नाम, जो नियुक्ति के लिये प्रस्तावित किये गये, श्री एम० सोमप्पा, प्रबन्ध निदेशक के लिये, तथा जी एम० नारायणप्पा तथा श्री एच० नारायण रेड्डी, पूर्ण कालिक निदेशकों के लिये हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा, 269, 198 तथा 309 के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड के अनुमोदन की अनुपस्थिति में, इन व्यक्तियों का कोई पारिश्रमिक लेना, अधिकृत नहीं होगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### न्यू विक्टोरिया मिल्स का बन्द होना

153. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड ने न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर को बिजली की सप्लाई बन्द कर दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस कारण मिल के बन्द हो जाने से लगभग 5,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ग) इस मिल को चालू रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने वाली है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) लगभग 2·46 लाख रु० के बिलों का भुगतान न करने के कारण कानपुर बिजली पूर्ति प्रशासन ने इस मिल को बिजली देना बन्द कर दिया है ।

(ख) श्रम-विवाद के कारण सितम्बर, 1967 से बन्द पड़ी इस मिल से लगभग 4500 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है ।

(ग) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अधीन स्थापित की गई एक समिति ने इस मिल के बारे में छानबीन की है । समिति द्वारा की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं।

### टाइटेनियम उद्योग समूह

154. **श्री क० प्र० सिंह देव : श्री प्र० के० देव :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दल गत वर्ष भारत आया था उसने भारत में टाइटेनियम उद्योग समूह स्थापित करने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**इस्पात, खान, तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :**

(क) और (ख) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

### भारत-श्रीलंका की चाय सम्बंधी नीति

155. श्री क० प्र० सिंह देव : श्री रवि राय :
श्री प्र० के० देव :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और श्रीलंका में चाय के उत्पादन तथा वितरण के बारे में मिली-जुली नीतियां बनाने के बारे में श्रीलंका सरकार के साथ एक करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख) भारत तथा श्रीलंका के अधिकारी उन क्षेत्रों के बारे में निश्चित करने के लिये दो बार मिले जिनमें दोनों देश अपनी-अपनी चाय के निर्यातों से बेहतर मूल्य वसूल कर सकने में सहयोग कर सकते हैं। श्रीलंका तथा भारत के प्रतिनिधियों की कोलम्बो में 5 से 8 जनवरी 1968 के बीच हुई बातचीत के सम्बन्ध में सम्मत टिप्पणी की एक प्रति ( अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखी जाती है [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी 29/68]

(ग) सिफारिशों के कार्यान्वियन से बेहतर मूल्य प्राप्त होने की आशा है।

### डीजल से रेलगाड़ियां चलाना

156. श्री क० प्र० सिंह देव : श्री प्र० के० देव :

क्या रलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में कुछ मुख्य रेल मार्गों पर डीजल से रेलगाड़ियां चलाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन रेल मार्गों पर डीजल से रेलगाड़ियां चलाने का विचार है ; और

(ग) डीजल से रेलगाड़ियां चलाने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क), (ख) और (ग) जिन रेल मार्गों पर भाप के रेल इंजनों द्वारा गाड़ियां चल रही हैं वहां डीजल इंजनों से गाड़ियां चलाना एक सतत प्रक्रिया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सीधी जाने वाली माल गाड़ियां और कुछ महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रेस सवारी गाड़ियां चलाने के लिए 9500 मार्ग किलोमीटर में डीजल इंजनों का इस्तेमाल किला जा रहा था। अनुमान है कि 1970-71 तक 13000 अतिरिक्त मार्ग किलोमीटर में डीजल इंजनों से गाड़ियां चलने लग जायेंगी, बशर्ते कि डीजल इंजनों के उत्पादन के सम्बन्ध में पुर्जों के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती रहे। आशा है कि भारी यातायात वाले ऐसे खंडों में जहां बिजली इंजनों से गाड़ियां चलाने की व्यवस्था नहीं है, पूर्ण या आंशिक रूप से डीजल इंजनों का इस्ते-

माल किया जायेगा। वस्तुतः किन खंडों पर डीजल इंजन चलाये जायेंगे, यह यातायात की मात्रा पर निर्भर करेगा।

### दुर्गापुर इस्पात कारखाना

157. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने का प्रबन्ध एक सैनिक उच्चाधिकारी को देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सैनिक अधिकारी को ऐसा प्रबन्ध सम्भालने के लिये अपेक्षित तकनीकी अर्हतायें और अनुभव है; और

(ग) यदि नहीं, तो सैनिक अधिकारी को इस्पात कारखाने का प्रबन्ध देने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (ड० चन्ना रेड्डी) :** (क) से (ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कई अधिकारियों के नामों पर विचार किया जा रहा है तथा ऐसे व्यक्ति को जनरल मेनेजर के अधिकार भी दिये जा सकते हैं।

### काश्मीर घाटी में रेयन लुग्दी कारखाना

158. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा सरकार ने काश्मीर घाटी में एक रेयन लुग्दी कारखाना लगाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

### Woollen Uniforms to Railway Employees.

159. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Class IV employees of the Electricity Department of the Railways do not get woollen uniforms and rain coats, whereas wiremen and employees belonging to higher grade get the same ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**

(a) No.

(b) Does not arise.

### सांभर साल्ट लिमिटेड

160. श्री श्रीनिवास मिश्र: क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांभर साल्ट लिमिटेड ने अवक्षयरण की पूरी व्यवस्था किये बिना लाभ दिखाया है और वर्ष 1965–66 के लिये लाभांश घोषित किया है ;

(ख) छोड़ दी गई मदों के सम्बन्ध में अवक्षयरण को कुल कितनी राशि की व्यवस्था करना आवश्यक था; और

(ग) क्या इस अवक्षयरण से दिखाये गये लाभ पर कोई असर पड़ेगा ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**H. E. C., Ranchi**

161. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the effect of Ranchi disturbances on the H. E. C., Ranchi ;

(b) whether it suffered financial loss and if so, the extent of loss and the manner in which the loss has been compensated ; and

(c) whether tension is prevailing amongst the employees and if so, the steps taken to remove it ?

**The Minister of Iudustaial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** :

(a) and (b) : Man days lost between the 24th August, 1967 and the 25th October 1967 has been estimated at 83569. Loss of production due to closure of factories from the 25th August to the 30th August, 1967 owing to distrubahces, partial slowing down of work by non-Muslims for 3 days in October and general dislocation of work due to unsetteled conditions is estimated at about 906 tonnes valued at Rs. 20 lakhs. Additional expenditure incurred by the Corporation on relief and rehabilitation of affected employees and their families amount to Rs. 2.62 lakhs exclusive of salaries for the special casual leave period from 31st August, 1967 to 15th October, 1967. The Company will endeavour to the extent possible to step up production.

(c) The situation is now normal.

**Textile Mills in M. P.**

162. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to set up a textile mill each at Bhind and Datia in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the names of the parties granted licences for the same and the terms thereof;

(c) the estimated capacity and outlay of the above mills ; and

(d) the progress made so far ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi)** :

(a) Two spinning units one each at Bhind and Datia were licensed in Madhya Pradesh.

(b) M/s Bharat Commerce & Industries Ltd., at Bhind and M/s Madhya Pradesh Spinning Mills Ltd. at Datia.

(c) and (d) : The above licences which were for 12,000 spindles each have sinc been revoked.

**Datia Station on the Central Rly.**

163. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) when the construction of a second platform on the city side of the Datia Station on the Central Railway, is likely to be completed ; and

(b) whether Government propose to construct an overbridge on the Datia Railway station in view of the fact that the present platform is on the other side of the city where there is no habitation and the passengers have to cross the railway line to come to the city ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** :

(a) The work of second platform on the up side at Datia station has already been completed.

(b) No. There is no proposal to provide foot overbridge or road overbridge for the passengers to go from one side of the railway tracks to the other. A proposal to provide a foot overbridge to connect the two platforms is howevar under consideration.

**Prodution of Steel**

164. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals be** pleased to state :

(a) the quantity of steel produced in India during 1967 ;

(b) the quantity out of it consumed withing the country and quantity of steel exported ; and

(c) the stock of steel that was left after consumption in the country and export to foreign countries ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri P. C. Sethi)** :

(a) to (c) : The material is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Goods held up in Suez Canal**

165. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries from which the goods held up in Suez Canal, were imported ;

(b) the amount of Indian capital involved therein; and

(c) the amount of financial loss suffered by Indian on account of the blocking of the Suez Canal ?

**The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh)** :

(a) and (b) : The item of main interest to us is 27,400 tons of milo coming to India from the U. S. A. which is now trapped in the Canal. The f. o. b. value of this milo was a little over U. S. dollars 1.5 million. The question of disposal of the milo is under discussion and it is difficult at this stage to give an assessment of the financial loss which is likely to be involved. We have not received any request from private parties regarding losses, if any, suffered by them.

(c) India is incurring an additional expenditure of 3 million dollars per month on account of higher freight charges that have to be paid for imports from countries to the West of the Suez Canal. In addition, our exports to these countries are also handicapped, thought it is not easy to quantify the resulting loss of trade.

**Export-Import Trade with Socialist Countries.**

166. **Seri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister **Commerce** be pleased to state ;

(a) Whether Government are considering any proposal for taking over import-export trade with Socialist countries, and

(b) if so, the details thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce ( Shri Mohd. Shafi Qureshi)** :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Pay Scales of Guards, Commercial Clerks and Asstt. Station Masters.**

167. **Shri Atal Behari Vajpayee** : Will the Minister of **Railways** be pleased to astate :

(a) whether it is a fact the Government propose to raise the pay scales of Guards, Commercial Clerks and Assistant Station Masters and to increase the prospects of their promotion ; and

(b) if so, the date by which a decision is likely to be taken in this regard ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)**:

(a) and (b). There is no proposal to raise the pay scales of Guards, Commercial Clerks and Assistant Station Masters at present. The question whether there could be the possibility of laying down uniform channel of promotion applicable to Transportation staff on Indian Railways is however, under consideration.

**Employees of Scindia State Railways**

168. **Atal Bihari Vaipayee** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of paying salary to the employees of the Scindia State Railway, which was merged with the Central Railway, for the period of their furlough leave has not been settled so far ;

(b) whether it is also a fact that the Mahya Pradesh High Court on an appeal of an employee had given the dicision that he is entitled to the salary for the period of furlough leave ; and

(c) if so, the reasons for not making the payment of the salary to the employees.

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** :

(a) The cases coming to the notice of the Railway Administration have been examined and decisions taken in all except four far which relevant service records of the employees could not be traced.

(b) Yes.

(c) The employee who had gone to the Court and obtained decision in his favour has been paid the leave salary on account of Furlough leave admissible to him.

**पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेल डिब्बों का गुम होना**

169. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर-सीमान्त रेलवे में कितने रेल डिब्बे गुम पाये गये;

(ख) कितने रेल डिब्बे बट्टे खाते में डाले गये हैं तथा प्रत्येक रेलवे में कुल कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई; और

(ग) इस हानि के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) भारतीय रेल सम्मेलन द्वारा हर दूसरे वर्ष अखिल भारतीय मालडिब्बा गणना की जाती है । यह गणना मोटर लाइन पर विषम वर्षों में और बड़ी लाइन पर सम वर्षों में की जाती है । गणना के परिणामों से पता चला है कि कुछ माल डिब्बे गिनती में छूट गये हैं जिन्हें गुम मालडिब्बे नहीं माना जा सकता । माल डिब्बों की गिनती करते समय छूट जाने के विभिन्न कारण हैं और उन डिब्बों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है । गत पाँच वर्षों में बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर दो दो बार गणना की गयी है ।

उत्तर, पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों के जो मालडिब्बे इन दोनों गणनाओं के समय गिनती में छूट गये उनकी संख्या नीचे दी गयी है :--

| रेलवे | उन मालडिब्बों की संख्या जो गिनती करते समय छूट गये । | |
|---|---|---|
| | बड़ी लाइन | मीटर लाइन |
| पूर्वोत्तर | 525 | 110 |
| पूर्वोत्तर सीमा | -- | 1052 |
| (ख) कुछ नहीं | — | 437 |

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों की मरम्मत तथा देखभाल**

170. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में दिल्ली में, क्षेत्रवार, रेलवे में क्वार्टरों की मरम्मत, सफेदी तथा देख-भाल पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली क्षेत्र में इन क्वार्टरों की देख-भाल, सफेदी तथा मरम्मत के लिये निर्धारित किये गये भण्डारों का दुरुपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):**

(क) खर्च की गई रकम का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| वर्ष | रकम |
|---|---|
| | रु० |
| 1962-63 | 8,70,923 |
| 1963-64 | 7,69,528 |
| 1964-65 | 9,50,423 |

| वर्ष | रकम |
|---|---|
| 1965–66 | 8,02,305 |
| 1966–67 | 10,84,000 |

(ख) भण्डारों के दुरुपयोग का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल नहीं उठता।

## भारत से निर्यात

171. श्री हिम्मतसिंहका : श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री काशी नाथ पाण्डे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों में भारत से निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो चालू वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रत्येक वस्तु के निर्यात में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है और वृद्धि की, वस्तुवार, प्रतिशतता कितनी है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है और इस कमी के, वस्तुवार, कारण क्या हैं; और

(घ) इन मदों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) से (ग) : तीन विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखे जाते हैं ? [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 30/68]

(घ) एक और विवरण भी सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अवमूल्यन के बाद की अवधि में निर्यात को सामान्य रूप में बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्योरा दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 31/68]

## भारत का व्यापार भुगतान शेष

173. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 महीनों में भारत का व्यापार भुगतान शेष घाटे का रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक महीने में यह कितना-कितना रहा है;

(ग) अब तक व्यापार भुगतान शेष में कुल कितना घाटा है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में इस घाटे को समाप्त करने अथवा कम से कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 32/68]

(ग) पहले आठ महीनों (अप्रैल-नवम्बर, 1967) के दौरान व्यापार भुगतान शेष का कुल घाटा लगभग 525.65 करोड़ रु० का है।

(घ) घाटे को न्यूनतम करने के लिए आयात पर प्रतिबन्ध लगाने और निर्यात का संवर्धन करने के उपाय किये गये हैं। ऐसी वस्तुओं का आयात नहीं करने दिया जाता जो देश में बनाई जाती हैं या जिनके उत्पादन के लिये क्षमता है पर वह अप्रयुक्त है। निर्यात बढ़ाने के लिए अन्य उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) आयातित कच्चे माल तथा संघटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पंजीकृत निर्यातकों को आयात नीति के माध्यम से निर्यात उत्पादन के लिए सहायता।

(2) निर्यात उत्पादन के लिए दुर्लभ कच्चे माल का प्राथमिकता के आधार पर नियतन।

(3) निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक लौह एवं इस्पात की अन्तराष्ट्रीय मूल्यों पर पूर्ति और साथ ही प्लास्टिक के कच्चे माल की भी उसी प्रकार पूर्ति।

(4) निर्यात अभिमुख इकाइयों के पूंजीगत माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा का विशेष नियतन।

(5) विदेशों में प्रचार करने, प्रतिनिधि-मण्डल एवं अध्ययन दल भेजने तथा व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के रूप में संवर्धनात्मक उपाय।

(6) चुने हुए उत्पादों के निर्यात पर सहायता।

(7) चुने हुए उत्पादों पर लगाए जाने वाले निर्यात शुल्क को कम करना अथवा समाप्त करना।

(8) अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापार करारों/व्यवस्थाओं पर बात-चीत।

(9) विकसित देशों को किये जाने वाले हमारे निर्यात पर लगे टैरिफ एवं गैर-टैरिफ अवरोधों को हटवाने के लिये प्रयत्न।

**कागज उद्योग का विकास**

174. **श्री हिम्मत सिंह** का : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1967 के अन्तिम सप्ताह में कलकत्ता में हुई भारतीय कागज मिल्स संस्था की आम वार्षिक बैठक के अवसर पर उसके अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि कागज उद्योग के विकास में अपर्याप्त विक्रय मूल्य ही मुख्य बाधा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस वक्तव्य से कहां तक सहमत है; और

(ग) कागज उद्योग के विकास के लिये उपरोक्त संस्था ने उस सम्मेलन में मुख्य मांगें क्या रखी थीं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री ( श्री फखरुद्दीन अली अहमद ) :**

(क) जी, हां ।

(ख) कागज के मूल्य को बदलने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

(ग) उद्योग ने निम्नलिखित मांगें की हैं :

(1) उद्योग को होने वाले लाभ की मात्रा को बढ़ाने के लिये कागज के वर्तमान मूल्यों में वृद्धि ।

(2) कागज तथा कागज के अन्य सामान के निर्यात पर जो अब 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, वह पौंड के अवमूल्यन के बाद पर्याप्त नहीं रहा है । अतः नकद छूट में उचित वृद्धि की जानी चाहिये ।

(3) राज्य सरकारें कागज उद्योग को बांस और अन्य कच्चा माल के लिये उचित रायल्टी की दर पर दीर्घकालीन पट्टे दें ।

(4) कच्चे माल, पुर्जे आदि विदेशों से मंगाने के लिये विदेशी मुद्रा के नियनत के बारे में उदार नीति अपनाई जानी चाहिये जिससे उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।

उपरोक्त मांगों पर जो कार्यवाही की गई या की जा रही है, उसका ब्यौरा क्रम सख्या निम्न प्रकार है :

(1) और (2) इन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(3) राज्य का विषय होने के नाते कृषि तथा खाद्य मंत्रालय और केन्द्री वन मंडल ने राज्य सरकारों का ध्यान इसकी ओर दिलाया है ।

(4) आयातित कच्चे माल, मशीनों के भागों अथवा पुर्जों के लिये आवश्यकता पूर्णतः पूरी की जा रही है ।

### Diesel & Electric Trains

175. **Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Ram Sewak Yadav : Shri Inder J. Malhotra :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the present percentage of goods carried by the diesel and electric trains and the increase likely to be affected in the said percentage by 1970-71 ;

(b) the reduction in the annual consumption of coal as a result of dieselization and electrification and the extent of such reduction by 1970-71 ; and

(c) the percentage of stations where the maintenance of coal stores is no longer necessary ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonaha):**

(a) During 1966-67, the percentage of goods carried by diesel and electric trains in

terms of net tonne kilometres was 55 percent. It is not possible to give such percentage for the year 1970-71 at this stage as it depends upon the materialization of traffic.

(b) Dieselization and electrification is largely covering the additional traffic generated on the Railways and therefore, the total coal consumption is not expected to reduce except marginally. The expected consumption in 1970-71 cannot be accurately assessed.

(c) 0. 2%.

**Trains Running Between Meerut and Ghaziabad.**

176. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of passenger, express, mail and goods trains running between Meerut and Ghaziabad ;

(b) whether it is a fact that the trains take one and a half hours to cover this distance of thirty miles due to single line and have to wait on stations for crossing ; and

(c) if so, the time by which Government propose to lay a double line on this Section ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :**

(a) 5 Passeenger, 3 Express, one Mail and an average of 6.5 goods trains run between Meerut and Ghaziabad each way.

(b) The running time of passenger trains between Meerut City and Ghaziabad varies from 1 hour 16 minutes to 1 hour 30 minutes and compares favourably with the journey time on other similar single line sections.

(c) Since about 25 per cent spare line capacity is available on this section, there is no immediate proposal for laying a double line between Meerut City and Ghaziabad.

**Kajipura Railway Station.**

177. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to change the name of Kajipura railway station recently constructed between Ghaziabad and Hapur ;

(b) whether it is a fact that no arrangement for the sale of tickets has been made there ; and

(c) if so, when the arrangements are likely to be made ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) to (c) . No Railway station nemed Kajipura has been provided recently between Ghaziabad and Hapur stations. However, a crossing station by name Quazipur which existed between Ghaziabad and Hapur for railway operational purposes only has with effect from 26. 1. 1968 been named as Mehrauli and opened for booking of passengers to stations lying on the Northern Railway only. Arrangements for sale of tickets exist at this station.

**केरल में रेलवे लाइनें**

178. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या रेलवे मंत्री 11 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8986 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंच वर्षीय योजना में केरल में नई रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में सरकार द्वारा इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) यद्यपि चौथी योजना में नई लाइनों के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप देना बाकी है, लेकिन चूँकि चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए बहुत सीमित धन की व्यवस्था की गयी है, इसलिए इसमें संदेह है कि केरल सरकार ने जिन प्रस्तावों की सिफारिश की है उनमें से किसी को रेलवे की चौथी योजना में शामिल करने के लिए पर्याप्त प्रग्रता मिल पायेगी।

**Mining Lease**

179. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Steel, Mines nad Metals** be pleased to state :

(a) the circumstances in which the authority to give mining lease rests with the Central and the State Governments respectively ; and

(b) the circumstances in which the Central Government enjoys powers in regard to the revision including confirmation and cancellation of the mining lease given by the State Governments ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi):**

(a) The Central Government are concerned with the regulation of mines and development of minerals by virtue of entry 54 in the Union List of the Seventh Schedule to the Constitution ; the authority to give mining leases, however, rests with the State Government, who are the owners of the minerals by virtue of entry 18 in the State List of the Seventh Schedule of the Constitution.

(b) The powers in regard to the revision, including confirmatien and canceilation of the mining lease granted by the State Government, vests in the Central Government under section 30 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 which has been enacted by the Parliament by virtue of entry 54 in the Union List referred to above.

**घरेलू काम-काज के बर्तनों का निर्माण**

180. **श्री राने : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 में अब तक घरेलू काम-काज के बर्तन बनाने के लिये कितना पीतल तथा तांबे का आयात किया गया ; और

(ख) क्या घरेलू बर्तनों का निर्माण करने के लिये सरकार ने कोई वार्षिक कोटा निर्धारित किया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) 1966–67 तथा 1967–68 (सितम्बर 1967 तक) के आयात सम्बन्धी आंकड़े निम्नलिखित हैं :

मूल्य हजार रुपयों में, मात्रा टनों में

| क्र० संख्या | विवरण | 1966-67 | | 1967-68 (सितम्बर 1967 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1. | तांबा | 3 | 62 | 63 | 824 |
| 2. | तांबे की चद्दरें प्लेटें और पट्टियां | 682 | 9828 | 650 | 9595 |
| 3. | पीतल | 1 | 15 | 1 | 9 |
| 4. | पीतल की चद्दरें, प्लेटें और पट्टियां | 397 | 4461 | 95 | 1142 |

घरेलू बर्तन उद्योग के लिये आयात के पृथक आंकड़े प्राप्य नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

घरेलू बर्तनों का निर्माण

181. श्री राने : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीतल तथा तांबे के घरेलू बर्तनों की कीमत 15 रुपये से 20 रुपये प्रति किलो हो गई है और क्या वर्ष 1963-64 के मुकाबले में ये कीमतें 300 प्रतिशत अधिक हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पीतल तथा तांबे के कम आयात तथा इन धातुओं पर अत्याधिक उत्पादन शुल्क होने के कारण इनकी कीमतें इतनी अधिक बढ़ गई; और

(ग) यदि हां, तो निकट भविष्य में इन घरेलू बर्तनों को कम कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

कपास का उत्पादन

182. श्री राने : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में कपास के उत्पादन के बारे में कोई अनुमान लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पहले तथा हाल ही के अनुमान में कितना अन्तर है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बैंकों द्वारा व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋण पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के फलस्वरूप कपास के मूल्य कम हो गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख) : चालू वर्ष 1967-68 के लिये भारतीय कपास की फसल का अभी

तक कोई सरकारी अनुमान नहीं लगाया गया है । फिर भी, आम आशा यह है कि यह गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक होगा ।

(ग) जी, नही । मूल्यों में हाल ही में हुई कमी का प्रमुख कारण बाजार में कपास का अधिक मात्रा में आना है ।

### इंजीनियरी फर्मों को रेलवे के क्रयादेश

183. डा० रानेन सेन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंजीनियरिंग एसोशियशन आफ इण्डिया, कलकत्ता के प्रधान श्री हाडा के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने अपनी इस बात का खंडन किया है कि इंजीनियरिंग फर्मों को रेलवे क्रयादेशों में कोई कमी नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हां।

(ख) रेलों ने अपनी आवश्यकताओं और उद्योग के वास्तविक कार्य का समुचित ध्यान रखते हुए उद्योग की भरसक सहायता की है और करती रहेगी। उदाहरण के तौर पर 1-4-1967 को उद्योग के पास चौपहियों के हिसाब से 10575.5 मालडिब्बे का आर्डर बकाया था। 1967-68 में चौपहियों के हिसाब से 16320.5 माल डिब्बों के उत्पादन का आर्डर दिया गया अर्थात् कुल 26896 चौपहिया डिब्बों का आर्डर था। इनमें से पहले दस महीनों में (अर्थात् जनवरी, 1968 तक) वास्तव में चौपहियों के हिसाब से 11653 माल-डिब्बों की सुपुर्दगी की गयी है। 31-3-1968 को उद्योग के पास चौपहियों के हिसाब से 12000 से अधिक माल डिब्बों का आर्डर बकाया होने की सम्भावना है, जबकि उद्योग को पर्याप्त रूप से व्यस्त करने के लिए 1968-69 में चौपहियों के हिसाब से 16,000 माल डिब्बों का आर्डर दिया गया है यद्यपि रेलों की चौपहियों के हिसाब से अपने लिए 10,000 माल डिब्बों की आवश्यकता होने का अनुमान है ।

### आंध्र प्रदेश में सरकारी उपक्रम

185. श्री नारायण रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कुल कितने सरकारी उपक्रम तथा औद्योगिक संस्थान है और वे कहां-कहां पर हैं; और

(ख) आंध्र प्रदेश में बिडलाओं के प्रबन्धाधीन कितने औद्योगिक उपक्रम हैं और कौन-कौन से उपक्रम हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**Jabalpur, Panna and Rewa Railway Line**

186. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no attention has been paid towards the proposal to construct a railway line between Jabalpur, Panna and Rewa via Damoh which was sanctioned nearly 20 years ago;

(b) whether it is a fact that industries cannot be established in the Bundhelkhand area as Railway lines are very inadequate in this area; and

(c) if so, whether Government propose to consider the construction of Jabalpur-Panna-Rewa Railway line and if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :** (a) to (c) Construction of the proposed line was never sanctioned in the past. The Railways are not aware whether this region is in any way handicapped in the development of industries for want of rail transport. Due to paucity of funds, only inescapable links urgently required on development, strategic or operational considerations are being considered for construction in the Fourth Plan. The suggested line, therefore, does not merit consideration at present.

**Industries in Bundhelkhand Area (U. P.)**

187. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to set up any industry in the Bundhelkhand area of U. P. to enable the development of that area; and

(b) if so, the name of the industry and the time by which it would be established ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) and (b) : The information is being collected and it will be placed on the Table of the House.

**Cement Factory in M. P.**

188. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the time by which the proposal to establish a cement factory in District Damoh (Madhya Pradesh) would be implemented;

(b) whether it is a fact that rich mineral deposits exist in Saugar and Damoh Districts, the exploitation of which could bring in crores of rupees to Government; and

(c) whether it is also a fact that the Applied Geological Centre that exists in Saugar University, is not being properly utilised to the fullest extent for exploiting the rich mineral desposits?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) In November, 1964, a letter of intent had been issued to Birla Jute Manufac-

turing Co. Ltd. valid for a period of six months (later extended up to 31.12.65·) for setting up a cement factory at Patharia, District Damoh with an annual capacity of 200,000 tonnes. Cement industry has since been exampted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and it is no longer necessary for anyone to obtain a licence for setting up cement facteries or to seek extension of validity of old letters of intent, No. progress has been reported by Birla Jute Manufacturing Company Limited.

(b) Government is not aware of rich mineral deposits in these Districts.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

### इंजीनियरी के माल का उत्पादन

189. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में उत्पादन बढ़ गया है और इंजीनियरी माल के उद्योगों में उत्पादन कम हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इनके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां । यह सच है कि 1967 में इंजिनियरी तथा गैर इंजीनियरी दोनों उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है परन्तु इंजिनियरी के भारी सामान के उत्पादन में कमी हुई है जिसमें रेल के डिब्बे, स्टील कास्टिंग, मशीनी औजार आदि सम्मिलित हैं । साथ ही चीनी मिल की मशीनरी, बायलर, छिद्रण-उपकरण, बिजली की मोटरें, ट्रांसफारमर्स जैसी इंजिनियरी उद्योगों का उत्पादन ज्यों का त्यों बना रहा ।

(ख) सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा विकास कार्यक्रम में कमी की गई जिससे क्रयादेश कम दिये गये और इंजिनियरी उद्योगों के उत्पादन में कमी आने का मुख्य कारण रहा ।

### उड़ीसा में खादी केन्द्र

190. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में खादी केन्द्र बन्द हो जाने के कारण खादी उद्योग में लगे हुए 20,000 बुनकर तथा जुलाहे बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन खादी केन्द्रों को फिर से चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है !

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) उड़ीसा में खादी केन्द्रों के बन्द होने की सूचना न तो केन्द्रीय सरकार और न ही खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने दी है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार उड़ीसा में खादी केन्द्र बन्द नहीं हुए हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्यों में स्थित खादी केन्द्र राज्य बोर्डों द्वारा चलाये जाते हैं और राज्यों के खादी केन्द्रों के कार्यों पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का, सिवाय उसके द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के, कोई प्रशासनिक नियन्त्रण नहीं है ।

फिर भी, उड़ीसा की सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

### उपभोक्ता वस्तु निगम

192. (श्री मि० सू० मूर्ति) : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता वस्तु निगम की स्थापना करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी कारों की बिक्री

193. **श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री चं० चु० देसाई :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूतावासों तथा विदेशी एजेंसियों ने इस बात की अनेक शिकायतें की हैं कि राज्य व्यापार निगम उन विदेशी कारों की बिक्री पर, जिन्हें उसने मूल्यह्रास काटकर लागत बीमा भाड़ा लागत पर अर्जित किया है, बहुत मुनाफा ले रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार दूतावासों को इन कारों को सीधे खरीदारों को बेचने की अनुमति देने का है, यदि वे इन कारों को बेचते समय सीमा-शुल्क का भुगतान कर दें ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

### म्यूर कपड़ा मिल, कानपुर

194. **श्री जे० मुहम्मद इमाम :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारत सरकार ने म्यूर कपड़ा मिल, कानपुर को (प्रतिवर्ष) कुल कितना ऋण दिया ;

(ख) क्या यह सच है कि यह कम्पनी पिछले पांच वर्षों से लगातार घाटा दिखा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इन मिलों को ऋण दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) और (ग) सरकार ने इस मिल को कोई ऋण नहीं दिया है । परन्तु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत इस मिल के लिये नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को

उत्पादन तथा रोजगार के हित में इसे, पुनः चालू करने तथा चलाने में समर्थ बनाने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा मिल को दिये गये 80 लाख रुपये के ऋण के लिये, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर संयुक्त रूप से 50 : 50 के आधार पर गारंटी दी है।

(ख) जी, नहीं।

## विदेशी सहयोग

195. श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री काशी नाथ पाण्डे :
श्री जुगल मण्डल :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दिसम्बर आगामी वर्ष के लिये विदेशी पूंजी विनियोजन तथा विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में नई नीति घोषित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की घोषणा करने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में 2 जनवरी, 1968 के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है : और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद ) : (क) और (ख) विदेशी पूंजी विनियोजन सम्बन्धी नितियों की घोषणा नीति संकल्प के रूप में की जायेगी। तत्सम्बन्धी व्यौरे पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) 2 जनवरी 1969 के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित रिपोर्ट पर सरकार ने ध्यान दिया है। फिलहाल उस पर सरकार की कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वह रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी ने प्रमाणित नहीं की।

## इंजीनियरी उद्योगों द्वारा निर्यात

196. श्री नन्दकुमार सोमानी : श्री मुहम्मद इमाम :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1968 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इंजीनियरी उद्योग 10 करोड़ रुपये के निर्यात के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, यदि सरकार निर्यातको प्रोत्साहन देने को अपनी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करे ;

(ख) यदि हाँ, तो इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद से इस बारे में कोई प्रतिवेदन मिला है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हाँ समाचार में

उल्लिखित 10 करोड़ के आंकड़ो में सम्भवतः छपाई की त्रुटि है । इंजीनियरी उद्योग ने 10 करोड़ का निर्यात स्तर बहुत पहले पूरा कर लिया था। इस समय इंजीनियरी माल का वार्षिक निर्यात पहले ही लगभग 30 करोड़ का है ।

(ख) और (ग) : सरकार इंजीनियरी परिषद् और उद्योगपतियों से निरन्तर सम्पर्क रखती है और इंजीनियरी माल के निर्यात सम्वर्द्धन हेतु समुचित उपाय करती रहती है । परिषद् से कोई विशेष निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है ।

### कोलया खानों से कोयले का अधिग्रहण

197. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कोयले की नियमित सप्लाई करने की दृष्टि से सरकार ने कोयला खानो से कोयले के स्टॉक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस प्रस्ताव के प्रति देश के कोयला खान मालिकों ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई है ; और

(घ) क्या इस बात के लिए विधि मन्त्रालय की सलाह ली गई है कि कोयला खान नियन्त्रण आदेश तथा अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत स्टॉक अधिग्रहीत करने के लिये सरकार को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री प्र० चं० सेठी ) :

(क) नहीं, महोदय ।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न हीं नहीं उठते ।

### जापान को लोह अयस्क का निर्यात

198. श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जापान को 1972 से प्रारम्भ होकर 20 वर्षों के लिये प्रतिवर्ष 25 मिलियन टन लौह अयस्क सप्लाई करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और उसकी शर्तें क्या हैं ;

(ग) चालू वर्ष में कितने लौह अयस्क की सप्लाई की जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम को विभिन्न देशों से प्राप्त शर्तों की तुलना में जापान की शर्तें वित्तीय रूप में अधिक अच्छी हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख ) : जी, हां । अक्तूबर–नवम्बर में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधि मण्डल के टोकियो के दौरे की अवधि में जापान की इस्पात मिलों को सविस्तार अव-

गत करा दिया गया था कि 1968–71 के प्रत्येक वर्ष में विभिन्न प्रकार के भारतीय लौह अयस्कों की सम्भाव्य उपलब्धि की कुल स्थिति कैसी रहेगी और कि 1972 से आगे प्रत्येक वर्ष लगभग 310 लाख टन तक माल उपलब्ध होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त इसके अन्तर्गत उनकी मात्रा तथा वर्गवार सुपुर्दगी कार्यक्रमों के लिये पक्के प्रस्ताव दिए गये थे जिनका कुल योग 1972 से आगे 180 लाख टन होता है जो सूक्ष्मक और छर्रों सहित गोआ के प्रत्याशित 70 लाख टन के अलावा है। इस प्रकार कुल योग 1987 तक प्रति वर्ष 250 लाख टन होता है। इस्पात मिलों ने इस प्रस्ताव को नोट कर लिया है और आगामी महीनों में उसके साथ एक-एक करके विभिन्न चरणों में बातचीत होने की आशा है।

(ग) 31-3-1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में कुल लगभग 153 लाख टन लौह अयस्क निर्यात किये जाने की आशा है जिसमें से 123 लाख टन जापान को निर्यात किया जायेगा।

(घ) न तो हमारी ओर से किया गया प्रस्ताव और न खरीदारों की प्रतिक्रिया वास्तविक मूल्यों के तय होने के स्तर पर पहुँच पाई है और इसलिये इस समय यह प्रश्न नहीं उठता।

### इस्पात चादरों की कमी

199. श्री स० क० तापड़िया : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात चादरों, एक्सलों और व्हील सेटों की कमी है जिनकी माल डिब्बे बनाने वाले इंजीनियरिंग एककों को आवश्यता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस्पात संयंत्रों से इनकी सप्लाई बढ़ाने अथवा कुछ किस्म का इस्पात आयात करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) माल-डिब्बों की सप्लाई विदेशों के आर्डरों को पूरा करने में, इस कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री ( श्री प्र० चं० सेठी ) : (क) से (ग) निर्यात क्रयादेशों को पूरा करने के लिये प्रतिरक्षा को छोड़ कर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जहाँ स्वदेशी उत्पादन से क्रयादेशों को पूरा करना सम्भव नहीं होता है, वहाँ पर निर्यात हेतु माल डिब्बों के निर्माण के लिए इस्पात को आयात करने की अनुमति दे दी जाती है। निर्यात क्रयादेशों को पूरा करने पर कच्चे माल की कमी का कोई असर नहीं पड़ेगा।

### रेलवे गैंगमैनों और सुपरवाइजरों के लिये प्रोत्साहन योजना

200. श्री स० क० तापड़िया : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे गैंगमैनों और सुपरवाइजरों के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार करने में सलाह देने के लिये सरकार द्वारा बुलाये गये ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) इस विषय पर पहिले किये गये अध्ययनों की क्या रूपरेखा है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने अनुरक्षण के काम में संगठन और कार्य-पद्धति से सम्बन्धित कुछ परिवर्तन करने के सुझाव दिये हैं और इन पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) कुछ प्रतिनिधि क्षेत्रों में अनुरक्षण के जो काम वास्तव में किये गये उनके सम्बन्ध में समय और कार्य-पद्धति अध्ययन किये गये ।

**कोयला क्षेत्रों में रज्जुपथ**

201. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालू की ढुलाई के लिए कोयला क्षेत्रों से रज्जुपथ बनाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक उपकरणों, स्थापना तथा प्रशासन पर कितना धन व्यय हुआ है ;

(ग) क्या यह सच है कि जांमबाद कजोरा रज्जुपथ अपनी क्षमता से बहुत कम कार्य कर रहा है तथा कोयला खानों की मांग पूरी नहीं हो रही है जिसके परिणामस्वरूप कोयला खानों के उत्पादन में हानि हो रही है तथा सुदूर नदी थल से बालू की सप्लाई की व्यवस्था करने पर अतिरिक्त व्यय होता है ; और

(घ) अधिष्ठापित क्षमता का और अधिक उपयोग करने तथा योजना में सम्मिलित अन्य रज्जुपथों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)

(क) कोयला बोर्ड की तीन रज्जुपथ पद्धतियां हैं जो पूरी की जानी हैं। इनमें से झरिया के लिए 'डी' रज्जुपथ पूर्ण हो चुका है और दो पारियों में काम कर रहा है । झरिया का दूसरा रज्जुपथ, जिसका नाम 'एफ' है, नवम्बर 1968 में पूरा होने की आशा है । रानीगंज में जांमबाद–कजोरा नामक रज्जुपथ पद्धति में से जिसमें तीन रज्जुपथ हैं, एक रज्जुपथ मार्च 1967 से एक पारी में काम कर रहा है । इस पद्धति के दूसरे दो रज्जुपथ मार्च 1968 के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है ।

(ख) 31–12–67 तक रज्जुपथ के उपकरण तथा उनकी स्थापना पर निम्नलिखित व्यय हुआ है :—

| | |
|---|---|
| उपकरण तथा स्थापना | 1677.122 लाख रुपये |
| प्रशासन पर, जिसमें वेतन, भत्तियां, चालन परिव्यय और संधारण शामिल हैं– | 29.10 लाख रुपये |

(ग) जामबाद–कजोरा रज्जुपथ की एक ही स्थापना एक पारी पर काम कर रही है। दूसरी दो स्थापनाओं का अभी निर्माण किया जा रहा है । इसलिए इस अवस्था पर हानि होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जामबाद–कजोरा तथा 'एफ' रज्जुपथ पद्धति की स्थापनाओं को शीघ्र पूरा करने के उपाय किये गए हैं। रज्जुपथ जो चालू हो चुका है, उसमें इस वर्ष दूसरी तथा तीसरी पारी आरम्भ होने की आशा है। 'डी' रज्जुपथ क्षेत्र पहले से ही दो पारी पर काम कर रहा है और तीसरी पारी आरम्भ करने की योजना बनाई जा रही है।

**माल-डिब्बों का निर्यात**

202. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के सहयोग से रेलवे के माल-डिब्बों के निर्यात को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की कमाई होने की सम्भावना है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि माल-डिब्बों का निर्यात करने के लिये इस क्षमता का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप देश में अपेक्षित माल-डिब्बों की कमी न होने पाये ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) से (ग) सहयोग के लिये इस प्रकार का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है परन्तु राज्य व्यापार निगम ने अपनी ओर से तथा माल-डिब्बों के निर्माताओं के साथ मिलकर भी माल-डिब्बों के निर्यात को बढ़ाने के लिये प्रत्येक उपाय किया है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप हंगरी, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईदेश और बर्मा से 41.40 करोड़ रुपये के (लगभग) क्रयादेश प्राप्त कर लिये गये हैं।

(घ) माल-डिब्बा निर्माण उद्योग और रेलवे कारखानों की निर्माण क्षमता इस समय की स्वदेशी मांग की अपेक्षा अधिक है और इसलिये इस क्षमता के कुछ अंश का निर्यात करने से स्वदेशी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**रेलवे के माल-डिब्बों के लिये अतिरिक्त मांग**

203. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 की तुलना में 1970-71 तक रेलवे के माल-डिब्बों के लिये कितनी अतिरिक्त मांग हो जाने का अनुमान है ;

(ख) 1965-66 और 1966-67 के दौरान कितने माल-डिब्बे बनाये गये ;

(ग) अगले तीन वर्षों में शेष माल-डिब्बे बनाने की क्या योजना है ; और

(घ) इन्जीनियरी उद्योग की सहायता करने की दृष्टि से माल-डिब्बों के निर्माण के लिये अग्रिम आर्डर देने के बारे में वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) 1970-71 तक रेलवे के माल-डिब्बों की मांग के सम्बन्ध में कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया गया है। इसलिये इसका अनुमान अनि-

वार्यतः नयी चौथी पंचवर्षीय योजना, जो अभी बतायी नहीं गयी है, में होने वाले प्रत्याशित यातायात पर निर्भर है।

| (ख) | प्राइवेट निर्माता | रेलवे कारखाने | जोड़ (चौपहियों के हिसाब से) |
|---|---|---|---|
| 1965-66 | 26,559 | 6,946 | 33,505 |
| 1966-67 | 16,501 | 4,706 | 21,207 |

(ग) अगली पंचवर्षीय योजना के तैयार होने तक, वार्षिक आधार पर योजना बनायी जा रही है। 1967-68 के लिये निम्नलिखित उत्पादन को योजना बनायी गयी है।

| | प्राइवेट निर्माता | रेलवे कारखाने | जोड़ |
|---|---|---|---|
| 1967-68 | 21,124 | 4,500 | 25,624 |

(घ) प्रत्याशित पिछले चले आ रहे बकाया आर्डरों को ध्यान में रखते हुये, 16,000 चौपहिये माल-डिब्बों के नये अग्रिम आर्डर देने का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें से 12,300 डिब्बों के आर्डर स्वीकार किये जा चुके हैं। माल-डिब्बा निर्माताओं से शेष मालडिब्बों से सम्बन्धित प्रस्तावों की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

### अलाभप्रद रेलवे लाइनों का बन्द किया जाना

204. श्री चं० चु० देसाई : श्री देवराव पाटिल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाभप्रद रेलवे लाइनों को बन्द करने का उनके मंत्रालय का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने से पहले राज्य सरकारों से पूछा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) यह मालूम करने के लिये कि क्या लोक-हित को हानि पहुंचाये बिना अलाभप्रद शाखा लाइनें बन्द की जा सकती हैं, एक जांच करायी जा रही है। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) कुछ रेलवे लाइनें घाटे या बहुत कम लाभ पर चलती रही हैं। यह मालूम करने के लिये कि लोक-हित को हानि पहुचाये बिना उनमें से कौन-सी लाइनें बन्द की जा सकती हैं, इन लाइनों के संचालन की जांच की जा रही है। इनमें से कुछ की जांच पूरी हो चुकी है। उनमें से 14 लाइनों के मामले में यह मालूम हुआ कि बिना कठिनाई या उस क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था को हानि पहुंचाये बिना, सड़क परिवहन रेल परिवहन का स्थान ले सकता है। राज्य सरकारों से इस बात की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है कि फिलहाल जो यातायात रेल द्वारा ढोया

जाता है, उसे सम्हालने के लिये सड़क परिवहन में आवश्यक परिवर्धन की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

इन चौदह लाइनों की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 33/68]

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा ढलेदार इस्पात की बिक्री

205. श्री चं० चु० देसाई : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कुछ छूट पर कुछ व्यापारियों के साथ किये गये 7000 टन ढलेदार इस्पात के सौदे के बारे में 13 जनवरी, 1968 के 'इकानमिक टाइम्स' में छपी खबर की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सौदे की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सोदे पर सरकार को कुल कितना नुक्सान होने की सम्भावना है तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने किन कारणों से यह सौदा किया ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा ढलेदार इस्पात के सम्बन्ध में ऐसा कोई सौदा नही किया गया था। शायद यह प्रश्न रूरकेला में जमा श्रेणी-बाह्य प्लेटों के निपटान के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किये गये प्रबन्धों से सम्बन्ध में है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा यह निर्णय किया गया था कि 31 मार्च, 1968 से पहले भेजे जाने वाले माल में आरम्भ में प्रति टन 100 रु० की छूट की पेशकश की जाये और यह छूट उन स्टाकिस्टों / ग्राहकों को दी जाये जो पहले प्रचलित मूल्यों पर श्रेणी-बाह्य प्लेटें लेते रहे हैं। तदनुसार, 200 से अधिक ग्राहकों को परिपत्र जारी किये गये थे। यह भी प्रस्ताव था कि इन स्टाकिस्टों / ग्राहकों की मांग को पूरा करने के पश्चात अन्य व्यापारियों / ग्राहकों को शेष मात्रा की पेशकश की जाये और तदनुसार अब परिपत्र जारी किये जा रहे हैं।

(ग) हानि का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि अन्य बहुत-सी बातों पर भी विचार करना होता है जैसे कि अवरुद्ध पूंजी पर ब्याज की हानि में बचत आदि। उन सब बातों पर विचार करने के पश्चात हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने ऐसी पेशकश देने का निर्णय किया था।

रेल दुर्घटनायें

206. श्री सी० मुत्तुस्वामी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इससे रेलवे को कुल कितनी हानि हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1-10-1967 से 31-12-1967 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों पर 265 गाड़ी दुर्घटनायें हुई, अर्थात् गाड़ियों की टक्कर की

19 गाड़ियों की पटरी से उतर जाने की 209, समपार पर गाड़ियों की सड़क-यातायात से टकरा जाने की 24 और गाड़ियों में आग लग जाने की 13।

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण रेल सम्पत्ति को लगभग 31,75,572 रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

**Public Sector Industries in M. P.**

207. **Shri G. C. DIXIT** : Will the Minister of **Industrial Development and Company affairs** be pleased to state :

(a) the amount provided to Madhya Pradesh for establishing industries in the public sector during the four Plans periods ; and

(b) its percentage to the total amount sanctioned for establishing such industries in all the States, State-wise during the above period ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** :

(a) and (b) ; The investments made in Madhya Pradesh during each of the plan periods for setting up Public Sector Industries and its percentage to the total amount sanctioned for all the States is given below :—

| Plan | Investments Rs. in crores. | Percentage to the Total Amount Sanctioned for All States |
|---|---|---|
| I | Nil | Nil |
| II | 237.15 | 31.90 |
| III | 232.66 | 19.47 |
| IV | As the 4th Plan is still under finalisations, no firm figures can be given. | |

**Shed on Platforms on Itarsi Station**

208. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no shed has been provided on the new Platform No. 5 constructed on the Itarsi railway station so far ;

(b) whether it is also a fact that there is no proper seating arrangement on that platform for the passengers ;

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether Government propose to take any steps to remove these difficulties ; and

(d) if so, the details thereof ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) Yes.

(b) No. Six benches have been provided on this new island platform.

(c) and (d) The work of providing a cover over new island platform measuring 300' X 51'5" is in progress. Foundations for columns have been cast. Erection of steel work is in progress.

**Abolition of Watering Stations at Burhanpur Station**

209. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that passengers have to experience great inconvenience, particularly at night, due to abolition of watering station at Burhanpur station of Madhya Pradesh as a result of which a number of bogies remain outside the platforms ;

(b) if so, the action taken by Government to overcome this difficulty ; and

(c) the time by which this difficulty is proposed to be removed ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** :

(a) to (c) Watering arrangements at Burhanpur station have not been abolished but the water column at Itarsi end has been shifted farther due to extension of Dn. and Up platforms to accommodate longer trains. While existing platforms are high level, the extended portion of the Up and Dn. platform are rail level. Certain amount of inconvenience is caused to passengers of some trains while entraining or detraining from bogies which are stationed on the extended part of these platforms. It is proposed to raise the level of the extended portion of platforms also and the work is expected fo be started by April '68 and completed as early as possible.

### Export of 'Kosa' Cloth

210. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is fact that 'Kosa' cloth is manufactured in large quantities in Chhatisgarh area of Madhya Pradesh and is exported in large quantities ;

(b) if so, the total quantity of this cloth exported during the period from 1965 to 1967 ; and

(c) the steps taken by Government to step up the manufacture of 'Kosa' cloth ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi)** :

(a) Yes, Sir.

(b) Separate figures of export of kosa cloth produced in the Chhatisgarh area are not available. The total quantity of exports of tasar (kosa) silk fabrics during 1965, 1966 and 1967 was 5,48,000 ; 3,24,000 and 3,71,000 squres metres respectively.

(c) The following are some of the steps taken to step up production of kosa cloth :—

(i) Intensive efforts for increasing production of tasar raw silk in the States of Bihar, Madhya Pradesh and Orissa.

(ii) Establishment of a research station at Ranchi exclusively for undertaing research activities connected with production of tasar silk.

(iii) Introduction of a price support scheme in December 1966 for assuring a fair return to the silkworm rearers as also to ensure larger supplies of tasar cocoons to the producers of tasar silk fabrics.

### रेलवे में चोरी के मामले

211. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 तथा 1967–68 में अब तक रेलवे में क्षेत्रवार चोरी की कितनी-कितनी घटनाएँ हुईं; और

(ख) कितने मामलों में मुकदमे चलाये गये और सजाएं दी गईं तथा रेलवे को कितनी क्षति हुई ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**:

(क) और (ख) 1966–67 और 1967–68 में उठाईगीरी के जितने मामले हुए उनकी सही संख्या मालूम नहीं है । फिर भी, 1966–67 में उठाईगीरी के कारण किये गये दावों की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में रेलों को जितनी रकम की हानि हुई उसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

| रेलवे | क्षतिपूर्ति के दावे के रूप में भुगतान की गयी रकम |
|---|---|
| मध्य | 36,80,869 |
| पूर्व | 44,76,296 |
| उत्तर | 31,86,295 |
| पूर्वोत्तर | 19,32,271 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 18,96,705 |
| दक्षिण | 27,80,287 |
| दक्षिण मध्य | 4,86,361 |
| दक्षिण-पूर्व | 26.94,375 |
| पश्चिम | 26,41,649 |

**रेलवे प्रतिकर के दावे**

212. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल के खो जाने के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1967 से 31 जनवरी, 1968 की अवधि में मुआवजे के कितने दावे प्राप्त हुए और ये दावे कितनी राशि के हैं ; और

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि में ऐसे मामलों की संख्या क्या थी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) : सूचना मंगायी जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**चलती गाड़ियों में लूट, हत्या और छूरा घोंपने की घटनाएं**

213. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जोनों पर, जोनवार, 1967 में तथा जनवरी, 1968 तक चलती गाड़ियों में लूट, हत्या और छुरा घोंपने की कितनी घटनायें हुईं ;

(ख) क्या अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यात्रियों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

| रेलवे | 1967 में और 31·1·68 तक मामलों की संख्या | | | पकड़े गये अपराधियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | डकैती/लूट | हत्या | छुरा भोंकना | |
| मध्य | 3 | — | 4 | 4 |
| पश्चिम | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| दक्षिण पूर्व | 10 | 4 | — | 31 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| दक्षिण मध्य | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| पूर्वोत्तर | 2 | 2 | 1 | 5 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 2 | 2 | 1 | 3 |
| पूर्व | 11 | — | — | 15 |
| दक्षिण | 1 | 2 | — | — |
| उत्तर | 4 | 1 | 2 | 2 |

(ग) रेल यात्रियों की संरक्षा और रेलगाड़ियों तथा रेल परिसरों में व्यक्तियों पर हमले की वारदातों की रोक-थाम और उनकी खोज-बीन करने की जिम्मेदारी सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य सरकारों पर है। अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए हमेशा सरकारी रेलवे पुलिस को पूरा सहयोग दिया जाता है और जब कभी कोई गम्भीर अपराध होता है अथवा किसी विशेष क्षेत्र या गाड़ी में अपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो निवारक उपाय बरतने के लिए उसकी ओर सरकारी रेलवे पुलिस का तुरन्त ध्यान दिलाया जाता है।

### जापान से कोकिंग कोयला

214. श्री म० सुदर्शनम : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को कोकिंग कोयले की सप्लाई के लिये जापान के साथ दीर्घकालीन समझौता करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) माननीय सदस्य सम्भवत यह जानना चाहते हैं कि क्या भारत से जापान को कोकिंग कोयले के निर्यात का कोई प्रस्ताव है। दीर्घकालीन समझौता करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### होस्पेट गोआ और मिराज-गोआ रेलवे लाइनें

215. श्री मोहसिन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होस्पेट-गोआ और मिराज-गोआ रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिये सर्वेक्षण किया गया है तथा प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में और क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा) :

(क) जी हां।

(ख) आमान परिवर्तन से होने वाली यातायात सम्बन्धी सम्भावनाओं की जो जांच की गयी थी उससे पता चला है कि इन खण्डों के आमान परिवर्तन की तात्कालिक

आवश्यकता नहीं है क्योंकि निकट भविष्य में होने वाले सारे यातायात को सम्हालने के लिए मीटर लाइन समर्थ है ।

**पूना-मिराज रेलवे लाइन**

216. श्री मोहसिन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना-मिराज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) दिसम्बर 1967 के अन्त तक कुल मिलाकर 49 प्रतिशत प्रगति हुई ।

(ख) काम पूरा करने की निर्धारित तिथि अक्तूबर, 1969 है ।

**मैसर्स हिन्द गैल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड**

217. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्तियों ने स्वयं को नेशनल ट्रेडिंग एजेंसी, जो कि मैसर्स हिन्द गैल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के क्लीयरिंग एजेन्ट है, के प्रतिनिधि बता कर कलकत्ता बन्दरगाह से धोकेबाजी से 2 लाख रुपये के मूल्य की स्टेनलेस स्टील की चादरें ले ली थीं ; और

(ख) क्या बन्दरगाह अधिकारियों से गलत व्यक्तियों को माल देने के लिए कोई स्पष्टीकरण माँगा गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

**Allotment of Cars to M. Ps.**

218. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Members of Parliament were authorised to purchase one Fiat car during a period of 4 years from 1962 to 1967 ;

(b) the period for which this time-limit of 4 years was reduced ; and

(c) the number of Members of Parliament who obtained permits for the purchase of second car during that period ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed):**

(a) and (b) : Normally a new Fiat car was not being allotted to M. Ps. before the expiry of 4 years from the date of purchase of the earlier car, during the period between May 1963 and April, 1966. This time limit was, however, reduced in May, 1966. In view of the heavy pressure of demand for Fiat cars after the constitution of the Fourth Lok Sabha, it was decided to revert to the four year rule in March 1967.

(c) 120.

**Electrification of Bombay-Bhusawal Railway Line**

219. **Shri S. D. Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the time by which the electrification of the Bombay-Bhusawal railway line on the Central Railway is likely to be completed;

(b) the estimated cost of the electrification and the amount spent so far;

(c) whether it is a fact that with the completion of electrification upto Manmad, electric train services would be introduced from Bombay to Manmad; and

(d) when a beginning in this regard is expected to be made?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** :

(a) The Bombay-Igatpuri section is already electrified on 1500 V.D.C. system. The Igatpuri-Bhusawal section is expected to be electrified on 25 kV A.C. in stages by july,68, subject to the power supply being made available by the Maharashtra State Electricity Board.

(b) The estimated cost of the electrification is Rs. 11.83 crores and the amount so far spent is Rs. 8.61 crores.

(c) and (d) Electric trains on D. C. electrified section between Bombay and Igatpuri are already running. Igatpuri-Bhusawal Section which is being electrified on 25 kV AC system is expected to be energised progressively from March, 68. Initially only goods trains are proposed to be run between Igatpuri-Nandgaon which is expected to be energised by March, 68. The question of introducing electric trains services generally on Igatpur-Bhusawal section will be considered after energisation of the entire section upto Bhusawal is completed and the availability of the electric power required is assured.

**Ticketless Travel**

220. **Shri Baswant** : **Shri Hukam Chand Kachwai** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of ticketless travellers apprehended on the Indian Railways from the Ist April to 31st December, 1967;

(b) the lines on which the largest number of people travel without tickets;

(c) whether it a fact that the Central Checking Squad of the Railway Board found two Magistrates travelling in the train without tickets in December, 1967; and

(d) if so, whether this has been intimated to the High Court concerned and the place where this incident took place?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** :

(a) 64,83,218

(b) The largest number of ticketless passengers detected during the period from 1st April to 31st December, 1967 was on the Eastern Railway. South Central and Western Railways were second and third.

(c) No.

(d) Does not arise.

**कारें बनाने के लिये इस्पात का आयात**

221. **श्री नीति राज सिंह चौधरी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बनने वाली अम्बैसेडर तथा अन्य कारों का ढांचा बनाने के प्रयोग आने वाले इस्पात का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कार में कितने मूल्य का इस्पात लगता है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो कार-निर्माता अपेक्षित इस्पात कहां से लेते हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :**

(क) अधिकांशतः आयातित

| | | |
|---|---|---|
| (ख) | एम्बैसेडर कार | 2,000 रु० |
| | फियट | 1,500 रु० |
| | स्टैन्डर्ड हैरल्ड कार | 800 रु० |

(ग) रूरकेला इस्पात संयंत्र से इस समय कारों के निर्माण के लिये इस्पात का केवल एक थोड़ा सा भाग ही प्राप्त किया जा रहा है ।

**रूमानिया के साथ व्यापार समझौता**

222. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया के साथ हाल में कोई व्यापार समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) और (ख) : जी, नहीं ।

किन्तु इस विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि ३० दिसम्बर, 1967 को दिये गये पत्र-विनिमय के द्वारा, भारत सरकार एवं रूमानिया समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच बुखारेस्ट में 30-11-1962 को हस्ताक्षर किये गये व्यापार एवं भुगतान करार की वैधता को 31 दिसम्बर, 1968 तक और आगे बढ़ा दिया गया है ।

**Direct Rail Link Between Narkatiaganj and Gorakhpur**

223. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the direct rail link between Narkatiaganj and Gorakhpur junctions has been disrupted;

(b) if so, causes thereof; and

(c) the action Government propose to take to restore the link?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :**

(a) and (b) The direct rail link between Gorakhpur and Narkatiaganj via Bagaha and Chitaunighat, was disrupted in 1924, when the bridge over the Gandak river between Bagaha and Chitaunighat was washed away due to heavy floods in the river.

(c) As the river has been changing its course quite often and has an unstable regime in these reaches, it may not be a feasible proposition to restore this bridge and the direct rail link in the near future. This proposal can be considered only after the river has established a stable regime in these reaches, and also if the proposal is justified on traffic and financial considerations at that time.

**Button Factories**

224. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the places in the country where seep button factories as those located in Mehsi, Champaran district are situated; and

(b) whether Government propose to appoint some Committee to study the problems in regard to the development of this small scale industry?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)**:

(a) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) There is no proposal with the Government.

**Rig Factory in Bihar**

226. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for the setting up of a factory to manufacture rigs in Bihar in view of scarcity of foodgrains and the importance of irrigation ;

(b) if so, the action being taken in this regard ;

(c) whether Government have taken into consideration the prospects of setting up a rig factory in Bihar in the private sector ; and

(d) if so, the details thereof ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** :

(a) and (b) : It is not proposed to set up any new factory in Bihar for the manufacture of well drilling rigs. Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi have however recently taken up the manufacture of such rigs.

(c) and (d) Do not arise.

**माधोपुर और अंगोला क्षेत्रों में रेलवे लाइन पर ऊपरी पुल**

227. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुजफ्फरपुर नगर जो, तिरहुत कमिशनरी का एक प्रमुख नगर है, के माधोपुर और अंगोला क्षेत्रों में रेलवे लाइन पर एक ऊपरी पुल के न होने से जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस ऊपरी पुल का निर्माण अब तक किन कारणों से नहीं हो सका है ; और

(ख) क्या सरकार का अब एक ऊपरी पुल बनाने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

**रेलवे मन्त्री (श्री चे० मू० पुनाचा) :**

(क) जी, नहीं । मुजफ्फरपुर क्षेत्र में रेलवे लाइन पर सड़क यातायात को आर पार जाने में सुविधा के लिए तीन समपार मौजूद हैं ।

(ख) और (ग) मुजफ्फरपुर में समपार नं० 1 (रीवाघाट) के बदले ऊपरी सड़कपुल बनाने का प्रस्ताव पहले से है । लेकिन यह योजना आगे नहीं बढ़ पायी क्योंकि राज्य सरकार ने पहुँच मार्गों का अंतिम रूप से मार्ग-निर्धारण नहीं किया है । जहाँ तक कि रेल प्रशासन का सम्बन्ध हैं, राज्य सरकार द्वारा पहुँच मार्गों के अंतिम मार्ग-निर्धारण के तुरन्त बाद पुल संरचना का काम शुरू कर दिया जायेगा ।

## पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में दुर्घटनायें

228. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर वर्ष 1965, 1966 और 1967 की अवधि में कितनी दुर्घटनाएँ हुई ?

**रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 1965, 1966 और 1967 में गाड़ियों की टक्कर, गाड़ियों का पटरी से उतर जाना, समपारों पर गाड़ियों का सड़क-यातायात से टकरा जाना और गाड़ियों में आग लगने की कोटि में क्रमशः 185, 171 और 165 गाड़ी दुर्घटनाएँ हुई ।

## लोहे तथा इस्पात की दुर्लभ वस्तुओं पर नियंत्रण का हटाया जाना

229. **श्री वामानी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे और इस्पात की कुछ दुर्लभ वस्तुओं पर नियंत्रण हटाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चे० सेठी) :**

(क) और (ख) 1 मई, 1967 से लोहे तथा इस्पात की सभी श्रेणियों के मूल्य तथा वितरण पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है। सभी श्रेणियों के मूल्य तथा वितरण के निश्चयन की जिम्मेदारी संयुक्त संयंत्र समिति को सौंप दी गई है । फिर भी, संयुक्त संयंत्र समिति के भविष्य का प्रश्न तथा वितरण के लिये वर्तमान प्रक्रिया में पुनरीक्षण करने की संभावना विचारधीन है ।

अरकोनम रेलवे वर्कशाप

230. **श्री सम्बन्धन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरकोनम रेलवे वर्कशाप के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है।

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) अरकोनम में इंजनियरिंग कारखाने में कर्मचारियों की संख्या कम करने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि इस के परिणाम-स्वरूप कर्मचारी फ़ालतू हो जाते हैं। इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।

बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस गाड़ी

231. **श्री देवराज पाटिल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता द्वारा की गई मांग को देखते हुए क्या सरकार का नागपुर होते हुए एक बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री श्री (चे० मु० पुनाचा)

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Cement Factories in Maharashtra**

232. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Industrial Development and Company affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision to establish cement factories in Chanakha, Vami and Pandhnkuvda in District Yeotmal in Maharashtra State ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether sufficient raw material which can last for hundred years is available there ; and

(d) if so, the reasons for the delay in starting cement factories there ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** :

(a) Government has not approved any proposal for the setting up of a cement factory in District Yeotmal in the State of Maharashtra ;

(b) As the cement industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, it is no longer necessary for anyone to obtain permission from the Central Government for the setting up of a cement factory.

(c) Govenment has no information regarding the extent of availability of raw material in this area.

(d) Does not arise.

**Looting of Passengers in Bhatni-Varanasi 71 Up Train.**

233. **Shri Vishva Nath Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two passengers travelling in a Second Class compartment of Bhatni-Varanasi 71 Up train near the northern outer signal of Pipridih Station (North Eastern Railway) were looted and were deprived of everything in their possession in January, 1968 ; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :**

(a) Yes.

(b) Immediate investigation was taken up by the Station Officer, Government Railway Police, Mau Jn. and the gang of criminals has been located. One culprit has so far been arrested and further arrests are expected shortly. Government Railway Police, Mau Jn. has registered a case on Crime No. 3 under Section 395 I. P. C. and investigation is in progress.

**बीजापुर और कालावद रेलवे स्टेशनों के बीच बिना चौकीदार के फाटक पर ट्रक को टक्कर**

234. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

( क ) क्या यह सच है कि 15 जनवरी, 1968 को बीजापुर तथा मेरीटा कलवाडा रेलवे स्टेशनों ( पश्चिम रेलवे ) के बीच बिना चौकीदार के एक फाटक पर एक गाड़ी से एक ट्रक से टकरा जाने के कारण बहुत से व्यक्तियों को, जो उस ट्रक में यात्रा कर रहे थे, गम्भीर चोटें आई थीं;

( ख ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे;

( ग ) कितने व्यक्तियों को चोटें आई; और

( घ ) उसके परिणाम स्वरूप रेलवे सम्पति की कुल कितनी क्षति हुई ?

**रेलवे मंत्री ( श्री चे० मु० पुनाचा ) :**

( क ) यह दुर्घटना पश्चिम रेलवे के विजापुर—अम्बलियासन मीटर आमान शाखा लाइन खंड पर विजापुर और गेरीताकोलवडा के बीच बिना चौकीदार वाले समपार नं० 47-सी पर हुई।

( ख ) जाँच समिति के निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना इसलिये हुई कि ट्रक का ड्राइवर सामने से आती हुई गाड़ी से पहले समपार को पार करना चाहता था।

( ग ) इस दुर्घटना में 14 व्यक्ति घायल हुए जिसमें से 5 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयीं। गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 21.1.68 को अस्पताल में बाद में मर गया और अन्य व्यक्तियों के सन्तोषपूर्ण ढंग से अच्छे होने की सूचना मिली है।

( घ ) रेलवे सम्पत्ति को लगभग 700 रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

**हावड़ा-बरोनी यात्री गाड़ी में डाका**

235. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जनवरी, 1968 को पूर्व रेलवे के जमालपुर और काजोरा रेलवे स्टेशनों के बीच चलती हुई हावड़ा–बरौनी यात्री गाड़ी के पहले दर्जे के डिब्बे में डाका डाला गया; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):**

(क) जी हाँ, लेकिन यह घटना 7. 1. 68. को पूर्व रेलवे के जमालपुर—किऊल खंड में अभयपुर और कजरा स्टेशनों के बीच हुइ थी।

(ख) 7. 1. 68. को लगभग 23–30 बजे जब 329 अप हावड़ा–बरौनी सवारी गाड़ी किऊल स्टेशन पर पहुंची तो बिहार के एक सरकारी कर्मचारी, श्री माथ सिंह ने सरकारी रेलवे पुलिस, किऊल के अफिसर कामांडिग को रिपोर्ट की कि जब वह उक्त गाड़ी के पहले दर्जे के एक डिब्बे में सफर कर रहे थे तो जमालपुर से गाड़ी के रवाना होने पर दो अज्ञात व्यक्ति उनके डिब्बे में घुस आये। दशरथपुर पहुँचने पर अर्थात् अगले ही स्टेशन पर बाहर से किसी ने "राजबंशी, राजबंशी" कह कर आवाज दी और जमालपुर स्टेशन पर जो दो व्यक्ति डिब्बे में घुसे थे उनमें से एक ने दरवाजा खोल दिया और तीन और अज्ञात् व्यक्ति डिब्बे में आ गये। सरकारी कर्मचारी ने इस पर आपत्ति की तो बदमाशों ने उत्तर दिया कि अगली बार गाड़ी रुकने पर वे उतर जायेंगे। अगले हाल्ट अर्थात् घरोरा पर उनमें से दो उतर गये, लेकिन तीन फिर भी डिब्बे में रहे। जब गाड़ी अभयपुर स्टेशन से चली तो उन्होंने सरकारी कर्मचारी को चाकू दिखाकर कहा कि नकदी उनके हवाले कर दें। कर्मचारी और उसके साथी के विरोध करने पर बदमाशों ने दोनों पर हमला किया और उन्हें चाकू से घायल कर दिया। दोनों यात्रियों ने डिब्बे के शौचालय में घुस कर जान बचायी। जब गाड़ी कजरा स्टेशन पर रुकी तो दोनों बदमाश चुरायी गयी वस्तुओं के साथ चम्पत हो गये। इन वस्तुओं में 75 रुपये मूल्य के अन्य सामान के अलावा चमड़े का एक सूटकेस भी था जिसमें 330 रुपये थे। सरकारी रेलवे पुलिस, जमालपुर ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394 के अधीन एक मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच हो रही है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दोनों घायल यात्रियों को इलाज के लिये अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है।

**ऊन उद्योग में मन्दी**

236. **श्री प्र० न० सोलंकी : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19, जनवरी, 1968 के इकनोमिक टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि ऊन उद्योग में मन्दी उसी तरह बनी हुई है और यदि सरकार उसे दूर करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं करती तो इस वर्ष स्थिति और भी अधिक बिगड़ जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस दिशा में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : सरकार उद्योग के बारे में निराशा के दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत नहीं है और उसने चालू मौसम की प्रथम छमाही में उतनी ही विदेशी मुद्रा का नियतन किया है जितना गत मौसम में किया था जो गत वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक था ।

### औद्योगिक विकास

237. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1968 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उनके मंत्रालय ने कुछ उद्योगों के मालिक द्वारा संदिग्ध तरीकों से बेचवाल बाजार को पुनर्जीवित करने के कथित प्रयास को गम्भीर रूप से लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

### रूरकेला तथा दुर्गापुर स्थित कारखाने

238. श्री लोबो प्रभु : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखाने अपनी क्षमता की 30 प्रतिशत क्षमता से कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो कब से ;

(ख) इन कारखानों में इसके परिणामस्वरूप इस्पात की उत्पादन लागत कितनी बढ़ी है ;

(ग) मांग की तुलना में देश में इस्पात का उत्पादन कितना अधिक है ; और

(घ) इस्पात के निर्यात के लिये कितनी राज-सहायता दी जाती है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अपनी 30 प्रतिशत क्षमता पर कार्य कर

रहे हैं। अप्रैल-दिसम्बर, 1967 की अवधि के दौरान रूरकेला इस्पात संयंत्र में बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन संयंत्र की निर्धारित क्षमता के लगभग 84 प्रतिशत पर चला कर प्राप्त किया गया और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मामले में लगभग 65 प्रतिशत पर इस्पात का उत्पादन कई एक बातों पर निर्भर करता है और पूरी क्षमता का उपयोग न किया जाना उनमें से केवल एक है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कुछ वस्तुओं की मांग घट गई है जिसका मुख्य कारण मंदी है। ज्यों ही देश में सामान्य औद्योगिक कार्य में वृद्धि होगी, मांग उत्पादन तक पहुंच जायेगी।

(घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

उगाण्डा में चीनी की मिल

239. **श्री के० हाल्दर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगाण्डा में चीनी की एक बड़ी मिल स्थापित करने के लिये सब देशों से आये हुए टेन्डरों में से भारत का टेन्डर मंजूर हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मिल सरकारी क्षेत्र में लगाया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ; और

(ग) इसकी शर्तें क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :**

(क) और (ख) : एक भारतीय फर्म ने उगाण्डा में एक चीनी की मिल का आधुनिकीकरण करने के लिये चीनी मिल की मशीनें भेजने का टेन्डर प्राप्त किया है।

(ग) संविदा गैर-सरकारी पार्टियों के बीच हुआ है।

मंदी

240. **श्री गु० सि० ढिल्लों :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय परियोजना सलाहकार परिषद् ने दिसम्बर, 1967 में हुई अपनी बैठक में भारतीय वस्तुओं पर अधिक निर्भरता द्वारा मन्दी का सामना करने के लिये कुछ सिफारिशें की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न विभागों ने उन्हें अपनाने तथा उन पर अमल करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :**

(क) और (ख) शायद निर्देश 10 नवम्बर, 1967 को केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद की हुई 19वीं बैठक की ओर है। उसमें की गई विभिन्न सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

### निर्यात नीति संकल्प

241. श्री मंडल : क्या वाणिज्य मन्त्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5604 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित निर्यात संकल्प के ब्यौरे को इस बीच अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो नई नीति की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) और (ख) प्रस्तावित निर्यात नीति संकल्प के ब्यौरे अभी तैयार नहीं हुए हैं ।

(ग) पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की 24-1-1968 की प्रथम बैठक में यह निर्णय किया गया कि निर्यात नीति संकल्प में शामिल करने के लिये प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक उप-समिति गठित की जाये । इस उपसमिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात संकल्प को अंतिम रूप दिया जायेगा ।

### आसनसोल उपखण्ड की कोयला खानों में खनन कार्य

242. श्री देवेन सेन : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल उपखण्ड में कोयला खानों में खनन कार्य के प्रभाव के कारण वहां के गांवों में भूमि धस रही है, इमारतों में दरारें पड़ रही हैं तथा तालाब और कुएं सूख रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूमि तथा इमारतों के मालिकों को सरकार अथवा कोयला खान मालिकों से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उन लोगों को सहायता देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) भूतल हानि के कुछ मामले खान सुरक्षा के महानिदेशक के सामने 1966 और 1967 में आये थे। इन सब मामलों की जांच की गई थी और उन्हें सामान्य खनन कार्यों के कारण पाया गया था। बाढ़ लगाने के वैधानिक नियमों के उपबन्धों का अधिकतर पालन किया गया था।

(ख) और (ग) ये मामले राज्य सरकार निपटाती है ।

### रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्क

243. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्कों द्वारा नियम के अनुसार कार्य न करने के कारण रेलवे को दावों की भारी रकम देनी पड़ती है और खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की बर्बादी होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे माल भेजने के लिए यात्री गाड़ी का भाड़ा लेती है किन्तु माल को मालगाड़ियों द्वारा पार्सल डिब्बों में भेजती है जिसका भाड़ा कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) यह सच है कि परेषणों को बुक करने वाले कर्मचारी कभी-कभी उन सभी कामों को रोकने में चूक जाते हैं जो उनसे अपेक्षित है या जिनकी उनसे आशा की जाती है और इसके कारण परेषण को कुछ नुकसान पहुँच सकता है जिसके लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी करनी पड़ जाती है, लेकिन ऐसी घटनाएँ बहुधा नहीं होतीं ।

(ख) और (ग) ऐसा नहीं है । यदि यात्री गाड़ी से बुक किया गया परेषण, मालगाड़ी से भेजा जाता है तो इसे केवल किसी व्यक्ति की चूक कहा जा सकता है जिस पर रेल प्रशासन द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

### अजमेर में पार्सल कार्यालय

244. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजमेर में पश्चिम रेलवे के पार्सल कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या कार्य करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है और यह मामला वर्ष 1963 से विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी न होने से कार्यभार अधिक होने के कारण होने वाली अपरिहार्य त्रुटियों के लिए इन कर्मचारियों को दण्ड भी दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो कार्यभार के अनुसार इन कर्यचारियों को लाभ देने के लिए रेलवे को कितना समय लगेगा ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :**

(क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

### रेलवे का सतर्कता विभाग

245. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में एक पृथक् सतर्कता विभाग कार्य करता है ;

(ख) यदि हां, तो यह सतर्कता विभाग रेलवे से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में कहां तक सफल रहा है ; और

(ग) रेलवे में इन सतर्कता विभागों पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय होता है ?

रलव मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) रेलवे के चौकसी संगठन में रेलवे बोर्ड कार्यालय का चौकसी निदेशालय और नौ क्षेत्रीय रेलों में से हर एक की चौकसी शाखा शामिल है।

(ख) यह हिसाब लगाना सम्भव नहीं है कि रेलों से भ्रष्टाचार मिटाने में चौकसी स्कन्ध कहां तक सफल हुआ है।

(ग) 31-3-67 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे के चौकसी संगठन पर कुल 36,00,532 रुपये 94 पैसे खर्च हुए।

## तुंगभद्रा इस्पात कारखाना

246. श्री अगाडी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने कुल कितनी पूंजी लगाई है;

(ख) क्या इस कारखाने के विस्तार की योजना का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1961 से अब तक इस कारखाने में कितने मूल्य का वार्षिक उत्पादन हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) 1·01 करोड़ रु०

(ख) कम्पनी के निर्माण कार्य को फैलाने और उसमें नई मदों का निर्माण आरम्भ करने का प्रश्न विचाराधीन है। इस विषय पर विस्तार से विचार करने और सिफारिश करने के लिये निदेशक बोर्ड ने एक समिति नियुक्त की है। समिति की सिफारिशों की प्रतिक्षा है।

(ग) 1961 से हुए वार्षिक उत्पादन का मूल्य निम्न है :—

| वर्ष | मूल्य (लाख रु० में) |
|---|---|
| 1961—62 | 35.71 |
| 1962—63 | 43.32 |
| 1963—64 | 51.96 |
| 1964—65 | 53.68 |
| 1965—66 | 69.40 |
| 1966—67 | 50.48 |

## अनधिकृत रूप से जंजीरों का खींचा जाना

247. श्री जगेश्वर यादव : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों में रेल गाड़ियों में अनधिकृत रूप से जंजीर खींचने की घटनाएँ बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) इसकी रोक-थाम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी, हां ।

(ख) 30 सितम्बर, 1966 और 1967 को समाप्त होने वाले वर्षों में अनधिकृत रूप से जंजीर खींचने की क्रमशः 1,33,068 और 1,73,666 घटनाएं हुई जबकि 30 सितम्बर, 1965 को समाप्त होने वाले वर्ष में इस तरह की 90,209 घटनाएँ हुई थीं ।

(ग) खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि के मुख्य कारण हैं—गाड़ियों में भीड़, कानून और व्यवस्था की स्थिति में बिगाड़ और बिना टिकट यात्रा ।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 34/68]

**Dining Room at Nira Station**

248. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the public has put forth a demand that a dining room be opened at Nira station (S. C. Railway) ; and

(b) if so, the time by which the same would be opened ?

**The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** :

(a) Yes.

(b) Catering facilities provided in the existing stall at Nira station are considered sufficient to meet the requirements of the passengers at present. Poona-Miraj section, on which Nira station is situated, is being converted into Broad Gauge and the work is expected to be completed by the middle of 1969. The need for the provision of a Refreshment Room at Nira station will be examined in due course after taking into consideration the timings of Broad Gauge trains to be run on that section.

**Manufacture of Whisky and Brandy**

250. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Indian Standards Institution has submitted some formulae for manufacturing whisky and brandy which would result in less cost and by which whisky and brandy would not be harmful for health, as per news published in Blitz of the 20th January, 1968, and

(b) if so, the details of these formulae and the steps being taken to implement them ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** :

(a) No, Sir.

**(b) Does not arise.**

**Timber Industry**

251. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Timber Industry in India is quite backward as compared to other countries; and

(b) if so, the measures adopted by Government to make Timber Industry function on modern lines?

**The Minister of Industrial Development and Company affairs (Shri F. A. Ahmed)**:

(a) and (b) Timber based industries in India have made considerable progress since 1947. The country was importing considerable quantities of plywood and fibreboard (insulation board and hardboard) prior to 1947. We are now more or lests self-sufficient in these products. In addition production of fibreboatd has also recently been developed. Steps are now being taken to assist the industry in developing export markets.

Government have also taken steps to improve the timber resources of the country. Measures have been taken recently to establish Logging Training Centres and undertaking of Pre-investment Survey of Forest Resources in the country with assistance from U. N. Special Fund and F. A. O.

**Development of Utensil Industry in Moradabad**

252. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have set up any show room (Handicraft Design Gallery) to encourage and develop utensil industry at Moradabad city;

(b) if so, the amount of monthly expenditure borne by Government under each head;

(c) the extent to which the object has been attained; and

(d) whether it is a fact that the working hours of the showroom are from 4 p. m to 8 p. m. and its employees talk in English only instead of in the regional language as a result of which common craftsmen do not go there?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi)**:

(a) The Central Government have not set up any showroom (Handicraft Design Gallery) to encourage and develop utensil industry at Moradabad city. Information from the Government of Uttar Pradesh is being collected, if such a Centre has been opened by that Government.

(b) to (d) In the event of a show room or Handicraft Design Gallery having been opened by the Government of Uttar Pradesb, the information regarding (b), (c) and (d) will be laid on the Table of the House.

**Indian Sales Centres in Foreign Countries**

253. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up Sales Centres for Indian goods in foreign countries in collaboration with foreign traders;

(b) if so, the names of the places where the Sales Centres are proposed to be set up in the beginning; and

(c) the number of Sales Centres set up abroad so far and also the progress made by them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Commerce ( Shri Mohd. Shafi Qureshi ) :**

(a) No, Sir,

(b) and (c) Do not arise.

### 'लिलूहा शाप स्पेशल' नामक गाड़ी

254. **श्री देवेन सेन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने जनवरी, 1968 में 'लिलूहा शाप स्पेशल' के नाम की विशेष गाड़ी में आसनसोल से हावड़ा तक यात्रा की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यात्रा की वास्तविक तारीख से बहुत पहले विभिन्न दूरस्थ स्थानों से इकट्ठे किये गये डिब्बे इस गाड़ी में लगाये गये थे ; और

(ग) इस रेल गाड़ी पर कुल कितना खर्च आया ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) :**

(क) और (ख) जी, हां। पूर्व रेलवे पर रेलवे कारखाना, लिलुआ को आवधिक ओवरहाल के लिए भेजे जाने वाले सवारी डिब्बों को आसनसोल, दानापुर आदि विभिन्न स्थानों में एकत्रित करने के बाद उन्हें समय-समय पर एक पूरी गाड़ी के रूप में लिलुआ भेजा जाता है। रेल मन्त्री का निरीक्षण सवारी डिब्बा इस 'लिलुआ कारखाना स्पेशल' में जोड़ा गया था जो 5.1.1968 को चलायी गयी थी।

(ग) रेल मन्त्री की इस यात्रा के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया क्योंकि कारखाना स्पेशल सामान्य रूप से चलायी गयी थी ।

### Dalmia Group of Cement Factories

255. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 547 on the 8th December, 1967 and state :

(a) the dates on which the Dalmia Group Cement factories were established in Orissa, Madras and Haryana ;

(b) the amount of capital invested in each of these factories ; and

(c) the total quantity of cement produced by each of these factories ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :**

(a) The cement factories were established on the following dates :—

| | Orissa Cement Ltd., Rajgangpur (Orissa) | Dalmia Cement (Bharat) Ltd., Dalmiapuram (Madras) | Dalmia Dadri Cement Ltd., Charkhi Dadri (Haryana) |
|---|---|---|---|
| Ist Plant | 1951 | 1939 | 1939 |
| IInd Plant | 1957 | 1949 | 1958 |
| IIIrd Plant | — | 1959 | — |

(b) The amount of capital invested in each of these factories is as follows :—

| Name of factory | Paid up Capital | | Net worth | | Total Net Assets (less loss carried forward, if any) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1965 | 1966 | 1965 | 1966 | 1965 | 1966 |
| | (Figures in thousands of Rupees) | | | | | |
| Orissa Cement Limited. | 265,00 | 265,00 | 437,49 | 483,80 | 634,53 | 671,90 |
| Dalmia Cement (Bharat) Ltd. | 252,57 | 252,57 | 452,14 | 526,55 | 902,39 | 881,98 |
| Dalmia Dadri Cement Ltd. | 24,07 | - | 94,91 | - | 195,12 | - |

(c) The imformation in being collected and will be laid on the Table of the House.

### अव्यवस्थित कपड़ा मिलें

256. श्री रा० बरुआ : क्या वाणिज्य मन्त्री 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1887 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अव्यवस्थित कपड़ा मिलों के कार्यों की जांच करने के लिये इस बीच समिति बना दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने अब तक कितनी प्रगति की है ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में कुछ कुप्रबन्धित अथवा बन्द मिलों को अपने हाथ में लेने का अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख) जी, नहीं। प्रस्तावित वस्त्र निगम, जिसे स्थापित किया जाना है, को वस्त्र उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कहा जायेगा।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार कुप्रबन्धित अथवा बन्द मिलों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने हाथ में लेती रही है। ऐसी मिलों के भविष्य पर सूती वस्त्र कम्पनी (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन अथवा पुनर्निर्माण) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों के अनुसार विचार किया जायेगा।

### Sale of Ambassador Cars allotted to Andhra Pradesh during Hyderabad Congress Session.

256-A. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quota of Ambassador cars for Andhra Pradesh was utilised during the Congress session in Hyderabad ;

(b) whether these very cars would be sold to the customers as new cars ;

(c) whether it was done with the consent of the Hindustan Motors and whether it was in the knowledge of the Central/State Government ; and

(d) If so, the action being taken by Government to safeguard the interests of the customers ?

**The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed)** :

(a) to (d) : The Central Government as well as Messrs. Hindustan Motors have no information on the subject. The State Government have been requested to furnish whatever information they have in the matter and their reply is awaited. The information received from the State Government will be laid on the table of the House.

## श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बारे में

### Re : DEATH OF SHRI DEENDAYAL UPADHYAYA

**श्री म० ला० सोन्धी (नई दिल्ली)** : श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बारे में आकाशवाणी भ्रामक समाचार दे रहा है और इसे एक दुर्घटना बता रहा है। इस सम्बन्ध में जांच कराई जानी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री अथवा प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया जाना चाहिये।

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**गणराज्य दिवस पर गोहाटी में व्यापक उपद्रवों तथा अराजकता, जिसके कारण करोड़ों रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई, के समाचार के बारे में**

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर)** : श्रीमान, मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"31 जनवरी, 1968 को उनका वह वक्तव्य जिसमें उन्होंने गणराज्य दिवस पर गोहाटी में व्यापक उपद्रवों तथा अराजकता पर, जिसके कारण करोड़ों रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई, गहरा दुख व्यक्त किया था।"

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : 24 जनवरी को आसाम के पुनर्गठन के मामले पर विरोध प्रकट करने के लिये अखिल भारतीय आसाम छात्र संघ के आह्वान पर गोहाटी में पूर्ण हड़ताल हुई थी। छात्रों ने सफल हड़ताल पर लोगों को बधाई देने के लिये 25 जनवरी को छात्रों की एक सभा बुलाई और 26 जनवरी को गणराज्य दिवस समारोह का बहिष्कार करने का निश्चय किया। 26 जनवरी को प्रातःकाल छात्र बहुत बड़ी संख्या में परेड मैदान को जाने वाली सड़क पर इकट्ठे हो गये। उन्होंने जनता को परेड में

शामिल होने से रोका। परेड समाप्त होने पर जमा हुए अनेक विद्यार्थी तथा अन्य लोग नगर की ओर तथा बड़े बाजारों में चले गये। कई स्थानों पर उन्होंने राष्ट्रीय पताका नीचे गिरा दी तथा लूटमार की ओर आग लगाई। कई दुकानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, पैट्रोल पम्पों और मोटर गाड़ियों को आग लगा दी गई। जिला अधिकारियों ने सेना से सहायता करने की प्रार्थना की क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया।

मध्याह्न पश्चात् भी अग्निकाण्ड के मामले होते रहे। असैनिक और सैनिक अधिकारियों तथा शोधशालाओं के पास उपलब्ध सभी दमकलों का उपयोग किया गया परन्तु जल सम्भरण तथा विद्युत् पर प्रभाव पड़ने के कारण काम में बाधा पड़ी। यह सेवाएँ शाम को ही चालू की जा सकीं, गोहाटी नगर में सायंकाल तक स्थिति पर काबू पा लिया गया।

27 जनवरी को भी गोहाटी में और उसके बाहरी क्षेत्रों में अग्निकाण्ड तथा लूटपाट की घटनायें हुईं। गोहाटी से लगभग 10 मील दूर विजयनगर में कई दुकानों तथा गोदामों को लूटा गया। गुण्डों ने आसाम मेल को सान्तीपुर में रोक कर उस पर पथराव किया। सेना ने घटना स्थल पर पहुंचने के पश्चात् तथा गुण्डों के तितर-बितर हो जाने के पश्चात् ही गाड़ी ने गोहाटी की ओर प्रस्थान किया। मुख्य मन्त्री 27 जनवरी को गोहाटी गये तथा उन्होंने विधि और अवस्था को बनाये रखने के लिये किये गये प्रबन्धों की देखभाल की।

केन्द्रीय गृह-कार्य मन्त्री 31 जनवरी को गोहाटी गये। उन्होंने मुख्य मन्त्री के साथ अपनी बातचीत में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा राज्य में गैर-आसामी लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य सरकार ने एक जांच आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है। अपराधों की जांच पड़ताल के लिये विशेष दल बनाये गये हैं। जांच पूरी हो जाने के बाद मामलों का परीक्षण शीघ्र करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार उपद्रवों से पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिये पग उठा रही है। उसमें उद्योग तथा व्यापार पुनः चालू करने के लिये ऋण देने की व्यवस्था भी शामिल है।

गोहाटी की घटनायें संकीर्ण प्रादेशिक विचारों का एक अति चिन्ताजनक प्रदर्शन था क्योंकि आक्रमण मुख्यतः गैर आसामी लोगों के घरों तथा सम्पत्ति पर था। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करने के लिये तैयार है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: मन्त्री महोदय ने तथ्यों को बहुत घटा कर बताया है। आसाम में पाकिस्तानी नियमित रूप से घुसपैठ कर रहे हैं। लगभग एक वर्ष पूर्व वहाँ लचित सेना के नाम से एक नया संगठन बना है। वह यह नारे लगाते हैं कि आसाम केवल आसामियों के लिये है। उन्होंने इस उद्देश्य के इश्तिहार भी छपवाये हैं।

आसाम सरकार इस आंदोलन में एक दल बन कर रह गई है। राज्य सरकार चाहती थी कि ऐसे प्रदर्शन सफल हों ताकि केन्द्र को इससे शिक्षा प्राप्त हो। $3\frac{1}{2}$ घंटे के दंगों तथा उपद्रवों में राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, न ही किसी को गिरफ्तार किया गया।

गोहाटी में गैर आसामियों की करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हुई है। उन्हें इस हानि के लिये प्रतिकर दिया जाना चाहिये । राज्य तथा केन्द्रीय सरकारें उनको संरक्षण देने में असफल रही हैं ।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के इस मामले में बिल्कुल असफल हो जाने के कारण केन्द्रीय सरकार का उसके प्रति रवैया कैसा है और क्या सरकार इस समूचे मामले की संसद के सामने जांच करने लिए तैयार है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सभी जानते हैं कि आसाम के पुनर्गठन के प्रश्न पर वहां कुछ उत्तेजना की भावनायें हैं। सम्भव है कि इन घटनाओं द्वारा इस बात का लाभ उठाया गया हो कि वहां लचित सेना नामक संस्था प्रादेशिकवाद का सर उठा रही है।

इसके कारणों का पता लगाने के लिये जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं यह पहले ही कह चुका हूँ कि स्थानीय प्रशासन पूर्णतया असफल रहा है । यह हमारे लिये शर्म की बात है। सरकार इसके लिये जिम्मेवार किसी व्यक्ति को संरक्षण नही देना चाहती, हमें सबसे बड़ी चिन्ता भारत की अखण्डता को सुरक्षित करने की है। सम्बन्धित अधिकारियों का तबादला पहले ही किया जा चुका है ।

हमें संसदीय अथवा किसी अन्य प्रकार की जांच की बात नहीं करनी चाहिये क्योंकि हमें आसामियों तथा गैर-आसामियों के बीच सम्बध पुनः स्थापित करने हैं, ऐसे मामलों में प्रतिकर नहीं दिया जाता है बल्कि केवल सहायता तथा पुनर्वास के लिये कर्य किाया जाता है।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : क्या मैं जान सकता हूँ कि जोरहाट में जो घटनायें हुई हैं, वह देश के उस भाग में आतंक की स्थिति पैदा करने के प्रयत्नों का एक भाग है । यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में सरकार को जानकारी है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें इस बारे में कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं और हमने समय-समय पर उन पर चर्चा करने का प्रयत्न किया है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : आसाम के कुछ नेताओं ने कहा है कि इसके पीछे चीन तथा पाकिस्तान का हाथ है । क्या यह बात सिद्ध हुई है अथवा आसाम के नेता अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिये ऐसा कह रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह स्वाभाविक ही है कि पाकिस्तान तथा चीन ऐसे मामलों में रुचि दिखायें । परन्तु हमें इस पर इतना बल नहीं देना चाहिये कि हम आन्तरिक तत्वों को भूल जायें। मैं यह नहीं कह सकता कि यह घटनायें किसी व्यक्ति के वक्तव्यों का परिणाम थीं।

**Shri Rabi Ray** (Puri) : The intelligence department of the State Governments and Central Government had submitted separate reports regarding the happenings on 26th January. I would like so know why no action was taken for the protection of the property and life of non-Assamese before 26th January on the basis of those reports ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने इस विषय पर भी आसाम सरकार के कुछ स्थानीय अधि-

कारियों के साथ बातचीत की थी। उनके पास जो सूचना थी, उसके आधार पर उनका अनुमान था कि 24 तथा 25 जनवरी को परेड के समय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के संगठित प्रयत्न किये जायेंगे। उन्होंने इस स्थिति से बचने के लिये सभी प्रबन्ध किये और वे ऐसा करने में सफल हुए।

विद्यार्थी परेड ग्राउन्ड में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिये जमा हो गये थे। उन्हें ऐसा न करने से रोक दिया गया परन्तु बाद की घटनाओं के बारे में भारत सरकार को कोई पूर्व जानकारी नहीं थी।

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Ujjain) : About seventeen lakh persons have infiltrated into Assam from Pakistan and Shri Fakhruddin Ali Ahmad is pleading for them the rights of citizenship. Lachit Sena was founded under his leadership. I would like to know whether the Commission of Enquiry will also go into the question of the hand of Minister of Assam in those happenings.

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं सबसे पहले श्री फखरुद्दीन अली अहमद के विरुद्ध आरोपों का खण्डन करता हूँ। यह आरोप बिलकुल निराधार है।

घुसपैठ का प्रश्न एक भिन्न प्रश्न है। इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसे साम्प्रदायिक रंग देना ठीक नहीं हैं।

यदि जांच के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के बारे में, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, कोई सन्देह उत्पन्न होगा तो हम कार्यवाही करेंगे ;

**श्री नाथ पाई उठे—**

श्री बलराज मधोक उठे—

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कई स्थगन प्रस्ताव तथा आधे घंटे की चर्चा की सूचनायें मिली हैं। यह सब तीन मास तक रहेगा और बारी-बारी सभी बातों पर चर्चा की जा सकती है।

**अध्यक्ष महोदय** : दोनों ओर से अन्तर्बाधायें डाली जाती हैं। परन्तु ध्यान दिलाने वाली सूचना के मामले में किसी अन्य सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अन्तर्बाधा और प्रश्न पूछा जाना दो भिन्न-भिन्न बातें हैं।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : I want to say that there is convention according to which an adjournment motion can be moved even prior to the discussion on President's address in case of budget sessson provided a particular situation demands. In this connection you should go into the merits of the issue likely to be raised in the House instead of rejecting the adjournment motions straight away.

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूँ। गत वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा स्थगित करके हमने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की थी। मैं केवल यह

कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है ।

**श्री नाथपाई (राजापुर)** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न बिल्कुल सही था। श्री चव्हाण ने एक वक्तव्य दिया था कि आसाम में प्रशासन बिल्कुल ठप्प हो गया है । मैं यह पूछना चाहता था कि क्या यह श्री चव्हाण का विचार है या आसाम के राज्यपाल ने इस आशय का प्रतिवेदन भेजा है । यदि वहां प्रशासन ठप्प हो गया है तो राज्य सरकार को अपदस्थ करके राष्ट्रपति का शासन लागू कर देना चाहिये । ऐसी अवस्था में यह प्रश्न उठता है कि भारत सरकार ने राज्यपाल को क्या सलाह दी थी और राज्यपाल के प्रतिवेदन में क्या लिखा था ? इस प्रकार की स्थिति में यदि केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो वह दोषी है। यह व्यवस्था का प्रश्न उचित है ।

**श्री पें० वेंमटासुब्बया (नन्दयाल)** : पिछली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जब कुछ माननीय सदस्य सभा से उठ कर चले गये थे तो श्री जयपाल सिंह ने इस मामले को सभा में उठाया था । उनके इस आचरण के कारण सभा में उनकी निर्भत्सना की गयी थी। मेरा आप से अनुरोध है कि अक वह ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करें जिन्होंने राष्ट्रपति की अवज्ञा की थीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस सम्बन्ध में व्यौरे का पता लगा कर इस मामले पर विचार करूंगा । अभी मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता ।

**श्री रंगा** : आसाम में अब जो स्थिति है, उसके लिये सरकार की निन्दा की जानी चाहिये और इसीलिये यह स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। इस मामले काराष्ट्रीय महत्व है इसलिये मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि इसपर विशेष रूप से चर्चा करने की अनुमति दी जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

---

## सभापटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### पंजाब स्थानीय अधिकार (सहायता प्राप्त स्कूल) हरयाणा संशोधन अधिनियम, 1967

**शिक्षा-मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** मैं डा० त्रिगुण सेन की ओर से हरयाणा राज्य विधान मण्डल ( शक्तियों का प्रत्यायोजन ) अधिनियम, 1967, की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजाब स्थानीय प्राधिकार ( सहायता-प्राप्त स्कूल ) हरयाणा संशोधन अधिनियम, 1967 ( राष्ट्रपति का 1967 का अधिनियम संख्या 6 ) की एक प्रति

जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूँ । [ पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2/68 ]

**साइकलों का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम ,1967 आदि**

**वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण ) नियम, 1964 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :—

(एक) साइकिलों का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण ) नियम, 1967 जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4357 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) इस्पात ट्रकों का निर्यात (निरीक्षण ) नियम, 1967 जो दिनांक 14 दिसम्बर 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4455 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) बरफी जाली (एक्सपेंडिड मेटल ) इस्पात शीटों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1967 जो दिनांक 19 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4575 में प्रकाशित हुए थे । [ पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3/68]

**माहे (निष्कासन कार्यवाहियों का रोकना )**
**विनियम (संशोधन) अध्यादेश, 1967, आदि**

**संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री ( डा० रामसुभग सिंह )** मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) माहे (निष्कासन कार्यवाहियों का रोकना ) विनियम (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का संख्या 9) जो राष्ट्रपति द्वारा 30 दिसम्बर, 1967 को प्रख्यापित किया गया था ।

(दो) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1968 ( 1968 का संख्या 1 ) जो राष्ट्रपति द्वारा 3 फरवरी, 1968 को प्रमाणित किया गया था ।

(तीन) जम्मू तथा काशमीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अध्यादेश, 1968 (1968 का संख्या 2 ) जो राष्ट्रपति द्वारा 9 फरवरी, 1968 को प्रख्यापित किया गया था ।[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2-68]

**नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185

के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति दोबारा सभा-पटल पर रखता हूँ :—

*(एक) नौसेना समारोह सेवा की शर्तें तथा विविध ( पांचवा संशोधन ) विनियम, 1967 जो दिनांक 16 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 25-ई में प्रकाशित हुए थे ।

**(दो) नौसेना समारोह सेवा की शर्तें तथा विविध (छठा संशोधन) विनियम, 1967 जो दिनांक 25 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 362 में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1756-67 और एल० टी० 1974-67]

**दिल्ली विकास प्राधिकार के वर्ष 1965-66 आदि के प्रमाणित लेखे.**

**निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री इकबाल सिंह )** : श्री जगन्नाथ राव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ ।

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार के वर्ष 1965-66 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) मन्त्रियों के वेतन तथा भत्तों का अधिनियम, 1952, की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत, मन्त्रियों के निवास-स्थान (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० 1801 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 5-68]

**पंजाब मोटर स्पिरिट (बिक्री कर करारोपण )**
**हरयाणा संशोधन अधिनियम 1967 आदि**

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—हरयाणा राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) पंजाब मोटर स्पिरिट (बिक्री कर करारोपण ) हरयाणा संशोधन अधिनियम 1967 (राष्ट्रपति का 1967 का अधिनियम संख्या 12) जो, दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) पंजाब सामान्य विक्रय कर ( हरयाणा संशोधन और वैधीकरण ) अधिनियम, 1967 ( राष्ट्रपति का 1967 का अधिनियम संख्या 14 ), जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । [पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6-68]

(8) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी।

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (24वां संशोधन) नियम, 1967, जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1880 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (25वां संशोधन) नियम, 1967, जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1895 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7–68]

(9) औषधियुक्त तथा शृंगार प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 95 की एक प्रति, जो दिनांक 12 जनवरी 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा औषधियुक्त तथा शृंगार प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) नियम, 1967 का दादरा तथा नगरहवेली संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारण किया गया। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8—68]

(10) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 280 जेड ई के अन्तर्गत कर प्रत्यय पत्र (अतिरिक्त निष्कासन पर उत्पादन शुल्क) संशोधन योजना, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 80 में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 9–68]

(11) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1900, जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 1922, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 1923, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 1924 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 1925 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) जी० एस० आर० 1935 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) जी० एस० आर० 1936 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी० एस० आर० 1937 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) जी० एस० आर० 1938 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दस) एस० ओ० 4664 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 22 जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) जी० एस० आर० 23 जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तेरह) जी० एस० आर० 24 जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चौदह) जी० एस० आर० 25 जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पन्द्रह) विकृतिकृत स्पिरिट (अभिनिश्चयन तथा निर्धारण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 83 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) जी० एस० आर० 180 जो दिनांक 25 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 10-68]

(12) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की जारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 73वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचवा संख्या जी० एस० आर० 1896 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 75वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1897 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 76वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1898 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 77वां संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1899 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) पहला संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 18 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 19 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 20 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) चौथा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 21 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) पांचवा संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 13 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 81 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) छठा संशोधन नितम, 1968, जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 138 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 7वा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 139 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 8वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 174 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 9वाँ संशोधन नियम 1968 जो दिनांक 27 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 175 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 11–68]

(13) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (चौथा संशोधन) योजना, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र ; में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4613 में प्रकाशित हुई थी।

(14) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (चौथा संशोधन) योजना 1967 की एक प्रति जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4614 में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 11—68]

**कोयला बोर्ड का वर्ष 1966–67 का वार्षिक प्रतिवेदन**

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक)** : श्री प्रकाश चन्द्र सेठी की ओर से कोयला बोर्ड, कलकत्ता के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-

पटल पर रखता हूँ ( हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण )। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 12–68]

**Revoking the Proclamation of Emergency**

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** :—I beg to lay on the Table a copy of the Proclamation issued by the President on the 10th January, 1968 under sub-clause (a) of claues (2) of article 352 of the Constitution and published in Notification No. G.S.R. 93 in Gazette of India dated the 10th January, 1968 revoking the Proclamation of Emergency issued on the 26th October, 1962 under clause (1) of the said article.

[**Placed in Library. See No. L. T. 13-68**]

**अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 आदि के अधीन अधिसूचनाएं**

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : मैं अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) एस० ओ० 4459 जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० ओ० 4583 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) एस० ओ० 4661 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 14–68]

काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत काफी (छटा संशोधन), नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1888 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 15–68 ]

इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 20 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 116 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 16–68 ]

नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1963 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1967 से 30 सितम्बर, 1967 तक की अवधि के लिए नारियल जटा बोर्ड के क्रिया कलापों तथा नारियल जटा

उद्योग अधिनियम 1963 के प्रवर्तन के बारे में छमाही प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 17/68]

---

## विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

### PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

**सचिव** : मैं पिछले सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित छः विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) हरियाणा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1967

(2) भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1967

(3) विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1967

(4) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1967

(5) मणिपुर विनियोग विधेयक, 1967

(6) हरियाणा विनियोग विधेयक, 1967

मैं पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सूती कपड़ा कम्पनियां (उपक्रमों की प्रबन्ध-व्यवस्था तथा परिसमापन अथवा पुनःस्थापन) विधेयक, 1967

(2) अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1967

(3) विधिविरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1967

(4) राज्य सभा (संशोधन) विधेयक, 1967

---

## सदस्य द्वारा त्यागपत्र

### RESIGNATION OF A MEMBER

**(श्री बिं० प्र० मंडल)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को सूचित करता हूं कि बिहार के माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्य, श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल ने लोक सभा में अपने स्थान से 29 जनवरी, 1968 को त्यागपत्र दे दिया है।

---

## केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक
## संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY BILL

REPORT OF JOINT COMMITTEE AND EVIDENCE BEFORE JOINT COMMITTEE

**श्री नि० चं० चटर्जी :** मैं कतिपय उपक्रमों के बेहतर संरक्षण तथा सुरक्षा के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नामक एक बल के गठन तथा विनियमन के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

---

## संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय के समय में वृद्धि करने के बारे में प्रस्ताव

**श्री र० के० खाडिलकर :** मैं यह प्रस्ताव करता हूँ "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पेश करने के लिए नियत समय को और आगे बढ़ाकर अगले सत्र के पहले दिन तक कर दिया जाये।"

**Shri Madhu Limaye :** (Monghyr) This Bill was discussed in detail in the House and after that it was referred to the Select Committee. Committee should have submitted its report uptil now. I want to know the reasons for delay in submitting the Report.

**श्री रंगा :**—विधेयक पर की गई चर्चा से विदित होता है कि यह सीधा-सीधा विधेयक नहीं है बल्कि यह बहुत विवादस्पद विधेयक है ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है:—"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक संम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पेश करने के लिये नियत समय को और आगे बढ़ाकर अगले सत्र के पहले दिन तक कर दिया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

---

## भारतीय वायुसेना के विमान के लापता हो जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : MISSING OF I. A. F. AIRCRAFT

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):** मुझे सदन को खेद सहित सूचित करना पड़ रहा है, कि

एक आई० ए० एफ० परिवहन विमान, 7 फरवरी 1968, 2 बजकर 54 मिनट बाद दोपहर में, लेह से चण्डीगढ़ लौटते-लौटते गुम है, और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। विमान चण्डीगढ़ से लेह तक सामान्य अन्तरिक्ष की देखभाल के लिए अपनी उड़ान पर था। छै विमान कार्मिकों के एक दल, और 92 यात्रियों सहित, उसने चंडीगढ़ से एक बज कर 56 मिनट बाद दोपहर को उड़ान ली थी। छै विमान कार्मिकों में शामिल थे—वायु सेना के तीन अफसर और 3 अवर श्रेणी ; यात्रियों में शामिल थे, सेवाओं के 4 अफसर और एक असैनिक अफसर। शेष यात्री, सेना के सेविवर्ग थे, अथवा सीमा सड़क विकास बोर्ड के सेविवर्ग। घटना में अन्तर्ग्रस्त सभी व्यक्तियों के सम्पूर्ण विस्तार संबंधी, एक सूची समाचार पत्रों को विमुक्त कर दी गई है, और समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है।

जब विमान ने लेह के बीच का लगभग तीन चौथाई फासला तय कर लिया था, लेह हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कप्तान को सूचित किया, कि लेह का नौवहन विमान के उतरने के लिए अनुकूल न था। इसलिए कप्तान ने चंडीगढ़ लौटने का निर्णय किया। कुछ समय बाद, कप्तान ने स्थल नियन्त्रण को सूचित किया, कि वह चंडीगढ़ से लगभग 75 मील दूर था। उसके पश्चात् विमान के साथ कोई सम्पर्क न रहा। विमान के पास लगभग ढाई घंटों के लिए ईंधन शेष था। जब उसे उतरने में विलम्ब हुआ, आवश्यक तलाश और बचाव की संक्रियाएं शुरू कर दी गई। इस उद्देश्य के लिए शीघ्र ही, एक आई० ए० एफ० विमान को नियुक्त कर दिया गया, परन्तु खराब मौसम के कारण उसे अड्डे पर लौट आना पड़ा। 8 और 9 फरवरी 1968 को आई० ए० एफ० विमान ने पुनः तलाश करने का प्रयास किया, परन्तु खराब मौसम के कारण तलाश न हो सकी। 10 फरवरी को पुनः तलाश भी, मन्द दृश्यता और खराब मौसम के कारण, निष्फल गई। 11 फरवरी को और 12 को एक बजे बाद दोपहर तक, अन्तरिक्ष से तलाश जारी रही, परन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक गुम विमान का कोई पता नहीं चल सका। क्षेत्र के सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के अधिकरणों को सतर्क कर दिया गया है। जभी मौसम ने इजाजत दी अन्तरिक्ष तथा स्थल द्वारा, दोनों प्रकार से, जोरों पर तलाश की जायगी।

गुम विमान में जो भी सवार थे, उनके निकट संबंधियों को सूचित कर दिया गया है। वायु सेना के नियमों के अनुसार, वायुसेना के एक वरिष्ठ अफसर की अध्यक्षता में, एक कोर्ट आफ इनक्वायरी आदिष्ट कर दी गई है। कारण और अन्य विस्तार, तभी पता चल सकेंगे, जब कोर्ट आफ इन्क्वायरी की कार्यवाही प्राप्त हुई।

गुप्त हुए सेविवर्ग के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के प्रश्न पर, नियमों के अनुसार, विचार किया जाएगा।

---

## मध्याह्न भोजन के समय के बारे में

### Re : LUNCH HOUR

**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब दोपहर भोजन के लिये उठेगी और उसके पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत होगी।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हो गई।

**The Lok Sabha Then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock**

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० फिर समवेत हुई

**The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock**

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

**Mr. Deputy Speaker in the Chair**

**Shri K. N. Tiwari** (Bettiah) : Generally there is no quorum for five to ten minutes after assembling of the House after Lunch. It is, therefore, wastage of the time of the House. I, therefore, suggest that the system of this one hour lunch should be finished.

**Shri A. S. Saigal** (Bilaspur): I suggest that this matter should be referred to the Business Advisory Committee. This system of lunch should be finished and the House should sit from 12 to 6 P. M.

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की आज चार बजे बैठक हो रही है। मेरा सुझाव है कि जिन सदस्यों को मध्याह्न भोजन तथा सभा में गणपूर्ति के सम्बन्ध में कुछ कहना है तो वे सभा की बैठक में उपस्थित हो सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं। इस समिति द्वारा उन सब पर विचार किया जायेगा।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चेन्ना रेड्डी) : इस सम्बन्ध में एक वैकल्पिक सुझाव यह है कि सभा के 2 बजे से 8 बजे तक बैठने के सम्बन्ध में विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका सुझाव समिति को दे दूंगा।

---

# बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक

## BIHAR AND UTTAR PRADESH (ALTERNATION OF BOUNDARIES) BILL

**State Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** I brought this Bill in the House during the last Session. This Bill has been brought with the intention that the boundaries between Uttar Pradesh and Bihar may be adjusted appropriately.

The boundaries of Ballia District in Uttar Pradesh and Saran District of Bihar were determinted in the year 1867. There had been riots and murders for not determining these boundaries. The matter was first brought before the Central Government in the year 1948. After that this matter was referred to the Chief Ministers of both the States. They suggested that the Prime Minister should look into the matter and an arbitrator should be appointed in this regard. Mr. Chandu Lal Trivedi was appointed the arbitrator in the year 1964 by late Shri Jawahar Lal Nehru and he Submitted his report to late Shri Lal Bahadur Shastri and it was accepted by him in all respects. After that a Bill was prepared and was sent to the Legislature Assemblies of both the States. They have been asked to discuss it and after the discussion a copy of the debate may be sent for discussion in Parliament.

Bihar and Uttar Pradesh Assemblies have discussed this Bill in detail. They have for-

warded the detail of the discussion with their remarks, which has been kept in the Library for the use of the members.

This Bill has Come as a result of agreement between the two States. Its aim is to establish permanent boundaries between some districts of Uttar Pradesh and Bihar. I think there will be no differences with regard to the Bill.

It is but natural that both the parties could not be satisfied in such type of cases.

Section 3 and 4 of this Bill are very important. If there will be any difficulty we can solve it at the time of discussion.

**Shri Vishwa Nath Panday** (Salampur) : I support the Bill presented by the hon. Minister. In my opinion nobody will hesitate to accept the decision of the arbitrator.

District Ballia of Uttar Pradesh will suffer a lot as a result of amendment made by the Government at pages 21 and 22 of the report. I want that it should be accepted according to the decision of the arbitrator and the amendment should be withdrawn.

**Shri Chadrika Prashad** (Ballia) : I am grateful to the hon. Minister for bringing this Bill before the House. I am of the view that this agreement should be adopted as it was agreed to. Mr. Trivedi presented this report after taking into consideration of both the States and before presenting this report he had a thorough examination of it in all respect. I oppose to Amendment No. 8 and 9. I am of the view that there should not be any amendments in the award presented by Shri Trivedi and accepted by late Shri Nehru and Shastri.

**Shri Bishwanath Roy** : The aim of bringing this Bill is to end the boundary disputes between U. P. and Bihar and a permanent boundary may be determined between the two states. The Legislative Assemblies of both the States have agreed to a resolution unanimously. Mr. Trivedi was appointed to arbitrate.

The award presented by Shri Trivedi was accepted without any amendments by late Shri Nehru and Shastri. It should be implemented as it was presented.

**Shri K. N. Tiwari** (Bettiah) :—I support this Bill. The courses of these rivers used to change. As a result of it some land of U. P. used to pass to Bihar and vice-versa. This dispute can only be solved with the help of arbitraters. Steps should be taken so that these disputes may not arise in future. It should not remain in the form of Bill only, but practical action should be taken in this regard.

**Shri Lakhan Lal Kapoor** (Kishanganj) :—I praise the sentiments behind this Bill. It is necessary that there must be some permanent boundary between Uttar Pradesh and Bihar. A survey was made in this regard in the year 1883. It was decided at that time that Uttar Pradesh may utilise the part of land of Bihar gone to its side as a result of change in the course of the river. Similarly, Bihar may utilise the land of Uttar Pradesh as a result of change in the course of the river. I support the Bill presented to settle these disputes.

**Shri A. S. Saigal** (Bilaspur) : I think that with the help of this Bill some permanent settlement should be made, between the two States. At the time of Britisher some boundaries were determined. We are prepared to accept decision of the Commission. Taking all these things into consideration I fully support this Bill.

**Shri Sheo Narain** (Basti) :—It is not a problem between U. P. and Bihar Pradesh but it is a problem of the country as a whole. Similar disputes are also arising in the State of Maharastra. It is, therefore, necessary that the Government should make some permanent solution of this problem. I want to know why the Government is making some amendments in the agreement made between the two States. Government should accept it as it is. Government should delay in deciding these boundary disputes.

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस विधेयक को लाने के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। इस विषय पर एक लम्बे समय से विवाद चल रहा था। बिहार तथा उत्तर प्रदेश हमारे देश के प्रमुख राज्य हैं। मेरे विचार में इस प्रकार का विधेयक तो लाया ही नहीं जाना चाहिये था और सम्बन्धित राज्यों को परस्पर बातचीत द्वारा ही निर्णय कर लेना चाहिये था और इस मामले को संसद में नहीं लाया जाना चाहिये था। राज्यों के बीच की सीमा नदियां हो सकती हैं परन्तु नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती हैं। बिहार के शाहाबाद और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के लोगों में इस सम्बन्ध में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिये था। मंत्री महोदय को उन्हें सहमत कर लेना चाहिये था। इस विवाद को पहले ही सुलझा लिया जाना चाहिये था।

सरकार नक्शों पर 9 लाख रुपये व्यय करने जा रही है। यह बहुत अधिक धनराशि है। लोगों को पटना तथा इलाहाबाद न्यायालयों में याचिका आदि दायर करने की अनुमति होनी चाहिये। मैं इस विधेयक के लाये जाने पर प्रसन्न नहीं हूँ। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि लोगों को किसी प्रकार की अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

**Shri Chandrajeet Yadav** (Azamgarh) : I welcome this Bill and congratuate the hon. Minister for having brought this Bill. This controversy was going on for the last 15 years between the people of two States and the Governments of these States. The Chief Minster of the States have met many a time but they were unable to arrive at an amiceable settlement. After all the Central Government intervened and it appointed Shri C. M. Trivedi as arbitrator. He put in hard labour and met the representatives of both states. His decision has been accepted by both the parties. He deserves all appreciation for this. Now certain amendments have been tabled. Some small villages are sought to be transferred from U. P. to Bihar. This solution between U. P. and Bihar should serve as a model for solving other similar disputes beetween different States of India.

**Shri Ranjit Singh** (Khalilabad) : This dispute should have been settled long back but for the uncompromising and non-coopprative attitude of the then Chief Ministers. Now this award should serve as a model for solving similar disputes between States of the country. The boundries between States should not change with the changing course of rivers. There should be fixed boundries. The small islands should not form the boundry. Actually the basis should the longtitude and altitude of a certain place should be basis. The accuracy of demarcation line should be on scientific basis.

I suggest that a permanent commission should be set up to consider this type of questions. The Government of India should not be bothered in all the matters like this. After a few years, when there is no problem, this commission can be wound up. The rivers shuld not be the basis of boundries between States, because they change their course very frequently. There should be fixed boundries between various States of the country. We do not oppose this Bill, because it is a non-controversial Bill.

**Shri Rabi Ray** (Puri) : It is good that the dispute between Bihar and U. P. has been settled. I want to draw the attention of Government to similar disputs between other States. There is a border dispute between Maharashtra and Mysore. There is a dispute between Orissa and Andhra Pradesh. A permanent commission should be appointed to

decide similar disputes. This commission should be a high powered commission. Government should consult other political parties before arriving at a decision on Mahajan Commission Report. I support this Bill.

**Shri Jogeshwer Yadav** (Banda) : Sir, I support this Bill. It will sittle dispute between the States of U. P. and Bihar. The Central Government should provide assistance for the development of the areas in question. There is no party politics attached in this matter.

**Shri V. C. Shukla** : I thank all those hon. Members who have participated in discussion on this Bill.

Government have not changed the award and have accepted it. The amendments that have been moved, seek only minor changes. They do not make any significent change. Government would welcome the mutual agreements between States. A provision has been made in this Bill under section 26 whereby the laws of original state would apply to areas transferred to the other State. This has been done to avoid any difficulty to farmers.

I do not think a permanent Commission will be of any use.

It will greatly help in solving the problem. In such type of dispute we should try to settle the matter by mutual agreement and should try to avoid the appointment of some permanent Commission. I hope that the House will pass this Bill unanimously.

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है ;

"कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब इस विधेयक पर खंडवार चर्चा की जायेगी। खंड 2 के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है

'खंड 2 विधेयक का अंग बने'

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया**

**खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया**

**The Motion was adopted**

**Clause 2 was added to the Bill**

**Clause 3 was added to the Bill**

**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड 4 में सरकार द्वारा कुछ मौखिक संशोधन किये गये हैं। वे संशोधन हैं 3, 4 और 5.

**संशोधन : इस प्रकार हैं**

**संशोधन** 3. पृष्ठ 4, पंक्ति 32—

I The States "राज्यों के स्थान पर"

I THE STATES "राज्यों" रखा जाये

**संशोधन** 4. पृष्ठ 5, की पंक्ति 1—

"1967" के स्थान पर '1968' रखा जाये

**संशोधन** 5. पृष्ठ 5, पंक्ति 14—

"1967" के स्थान पर '1968' रखा जाये

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**The Motion was adopted.**

**खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया**

**Clause 4, as amended, was added to the Bill**

**उपाध्क्ष महोदय** : खंड 5 से 36 तक कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है कि खंड 5 से 36 तक विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**The Motion was adopted.**

**खंड 5 से 36 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 5 to 36 were added to the Bill**

अनुसूची

**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार द्वारा 6, 7, 8 और 9 मौखिक संशोधन किये गये ।

**संशोधन यह हैं**

**संशोधन** 6. पृष्ठ 18 पंक्ति 16 और 17

'Shall run straight' "सीधे दौड़ेगी" के स्थान पर

"Shall run in straight lines" "सीधे पंक्तियों में दौड़ेगी" रखा जाये

**संशोधन** 7. पृष्ठ 19, पक्ति 9,

"Turk Balli" 'टर्क बेली' के स्थान पर

"Turk Ballia" 'टर्क बेलियाँ' रखा जाये ।

**संशोधन** 8. पृष्ठ 21, पंक्ति 9 और 10

"Diara Naubarar" 'दायरा नायोबारअर के बाद '–' हटा लेना चाहिये'

संशोधन 9. पृष्ठ 22, पंक्ति 4,
'Darauli' "दारोली" के पश्चात ' , ' जोड़ा जाना चाहिये
उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है
"कि अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**The Motion was adopted.**

अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ी गई
**The schedule, as amended, was added to the Bill**

खंड 1

उपाध्यक्ष महोदय :—सरकारी संशोधन संख्या 2 है।
संशोधन इस प्रकार है
संशोधन संख्या 2 पृष्ठ 6 पंक्ति 6
"1967" के स्थान पर '1968' रखा जाये

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

उपाध्यक्ष महोदय :—प्रश्न यह है
"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**The Motion was adopted.**

खंड 1 संशोधन रूप में विधेयक में जोड़ा गया
**Clause 1, as amended, was added to the Bill**

अधिनियम सूत्र

निम्नलिखित संशोधन किये गये
संशोधन 1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1
'Eighteen' 'अठारह' के स्थान पर
'Nineteenth' 'उन्नीस' रखा जाये

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है
"अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**The Motion was adopted**

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया
विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया
**The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill**
**The Title was added to the Bill**

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

---

## विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक

DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION AMENDMENT BILL)

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

जैसा कि वक्तव्य से स्पष्ट है इस विधेयक द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को देने वाले मुआवजे में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है । विधेयक द्वारा की गई कार्यवाही को उचित ठहराया गया है । इस विधेयक का सम्बन्ध उन व्यक्तियों से है जिनकी सम्पत्ति पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों के लिये रेहन रख दी गई थी । पश्चिमी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में दिये जाने वाले मुआवजे निर्धारित करते समय, उन सम्पत्तियों पर दिये गये बन्धक खर्च के अनुसार कटौती की गई थी । अधिनियम में इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ठ उपबन्ध नहीं रखा गया है । पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले के कारण इस भूल को सुधारना आवश्यक हो गया है ।

उन मामलों में जिनमें बन्धककर्त्ता और बन्धकी दोनों ही विस्थापित व्यक्तियों के रूप में भारत आ गये हैं उनकी सम्पत्तियों पर बंधक खर्च की कटौती करने के बारे में एक उपबन्ध अधिनियम में पहले ही है जहां बन्धककर्त्ता को दी जाने वाली भूमि कृषि भूमि है वहां वह घटाये जाने वाले ऋण की रकम को नकदी में अदा करके अपने पास रख सकता है या उसे कटौती की राशि के बराबर मूल्य की सम्पत्ति छोड़नी होगी ।

यह अनुमान लगाया गया है कि यदि प्रस्तावित विधान का आश्रय लिया गया तो सरकार के पास लगभग 1 करोड़ रुपये के दावे आ जायेंगे । इसके अतिरिक्त पुराने मामले जिन पर विचार किया जा चुका है, पर फिर से विचार करना पड़ेगा । अतः यह आवश्यक हो गया है कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 में संशोधन किया जाये और

इसमें विस्थापित व्यक्तियों को देने वाले मुआवजे में से बन्धक खर्च की कटौती करने की व्यवस्था की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 में आगे संशोधनि करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

श्री गु० सि० ढिल्लो : (तरनतारन) यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि यह संशोधन संसद् में प्रस्तुत किया गया है। कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत आने वाले बहुत से मामलों के सम्बन्ध में आपत्ति की गई थी और इस विधान द्वारा उसे कानूनी रुप मिल जायेगा। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि उन मुसलमानों की स्थिति क्या होगी जिन्होंने अपनी सम्पत्ति इस देश में गैर-मुस्लिम व्यक्तियों के पास बन्धक रूप में रख दी थी। हमने गैर-मुस्लिमों द्वारा मुस्लिमों के पास बन्धक रुप में रखी गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में मामलों पर विचार किया है। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच समझौता किया जाना चाहिये, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर विचार किया जाये।

**Shri Shri Chand Goel** ( Chandigarh ) : After the partition of India, the question of rehabilitation and compensation has become very important. This Bill is very necessary for that purpose Taking this into consideration, I support this Bill. The Government should give more assistance to Punjab taking into consideration its past history of sacrifices. Industries have not been re-stablished there so far. I want that assistance in rehabilitating the brave people of Punjab. who had made great sacrifices particularly in the area of Khemkaran, Should be given liberally.

**Shri Deorao Patil** ( Yeotmal ) : I want to put some amendments regarding this Bill.

उपाध्यक्ष महोदय: अब बहुत विलम्ब हो चुका है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं।

**Shri Deorao Patil** : Under this law three months' limit has been fixed for paying compensation. If it is not possible the land of the equal amount may be given. I suggest that the displaced persons should be given a hearing.

It is the responsiblity of the Government to rehabilitate the people. It has not been so far successful in it. I want that the rehabilitation cases should be settled inmediately.

श्री धीरेश्वर कलिता : (गोहाटी) मैं इस संशोधन विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकता। माननीय मंत्री ने बताया कि शरणार्थियों से लगभग 40 लाख रुपये की वसूली करनी होगी। शरणार्थियों से वसूल करने वाली यह बड़ी राशि है। वे एक बार पहले ही शिकार बन चुके हैं और मैं यह न्यायोचित नहीं समझता कि उनसे लगान के रूप में धन वसूल किया जाये।

पश्चिमी बंगाल से आये शरणार्थियों को बसाने की समस्या बड़ी जटिल है। शरणार्थियों को बसाने के लिये 49,000 आभ्यावेदन पत्र लम्बित हैं। लगभग 40,000 विस्थापित व्यक्ति, जो कैम्पों में रह रहे हैं, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है

क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने कैम्पों को बन्द कर दिया है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण 27,000 विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है।

आसाम राज्य में 40,000 विस्थापित व्यक्तियों को अभी तक बसाया नहीं गया है। आसाम सरकार कह रही है कि वह 12,000 से अधिक शरणार्थियों को बसाने में असमर्थ है परन्तु भारत सरकार इन शरणार्थियों को वहाँ बराबर भेज रही है। इन परिस्थितियों में सरकार का शरणार्थियों के प्रति रवैया सहायक नहीं है। मुझे आशा है सरकार शरणार्थियों को उचित सहायता देने और बसाने के सम्बन्ध में विचार करेगी।

सरकार को भारत और पाकिस्तान के बीच फैले भय को दूर करना चाहिये।

**Shri Baswant** (Bhiwandi) : The Bill of displaced persons (Compensation and Rehablitation) has been brought as a result of the judgment of the Punjab High Court. With the help of this Bill provision has been made to deduct mortgage money from the compensation money to be paid to those displaced persons who have mortgaged their properties in Pakistan. There should be investigations regarding this mortgaged amount paid by them.

Fifteen thousand families have been rehabitilated in Ullahasnagar Camp, but the matter regarding alloting their shops have not been settled. Attention should be paid to this matter.

**Shri Bhola Nath** (Alwar) : I have also submitted one amendment in this Bill. After even twenty years the problem of rehabilitating the refugees is still there. Neither the refugees nor the Meva are pleased with the present arrangement.

The big houses of Mevas have been allotted to others and they have not been paid any compensation. I request that this problem should be re-considered.

**Shri Mohammad Ismail** (Barrackpore) : This Bill has been brought due to some legal implications which Government could not enforce. In my opinion at present Government should not raise the question of realising these arrears from the refugees, because in this case, the Department is at fault. There are still about 40 lakh displaced persons to be settled in West Bengal. It is the duty of the Government to rehabilitate them, The Camps established there have been disbanded.

The biggest problem for West Bengal is that of displaced persons. The Government should pay special attention to this matter. A sub-committee has been set up to go into the question of rehabilitation of those persons, but the recommendations previously made in this connection have not been implemented. No employment opportunities are provided for the displaced persons.

A training centre for the displaced prsonsos was set up at Ichhapur but the trainees are not being provided with jobs.

A halting Station at Nawapura should be provided. The Railways should give the land, which is lying useless, to the Municipality for construction of a market. Proper attention should be paid to the problems of displaced persons.

**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** (काचार) : यह विधेयक केवल पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये ही क्यों है ? पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

शायद सरकार को इस बात की जानकारी है कि काचार जिले में बहुत से विस्थापित व्यक्ति भटक रहे हैं। उनमें से अधिकांश प्रवासी अब भी कैम्पों में पड़े हैं तथा उन्हें पुनः बसाने के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई हैं। बहुत समय पूर्व यह सुझाव दिया गया था कि काचार के विस्थापित व्यक्तियों को रेलवे पटरी के दोनों ओर बसाया जाना चाहिये ताकि नागाओं की आक्रामिक कार्यवाहियां रोकी जा सकें परन्तु इस बारे में कुछ भी नही किया गया है।

कचार जिले में कुछ विस्थापित व्यक्ति छोटी-मोटी खेती करके वहाँ बस गये हैं, परन्तु उन्हें बसाने के लिये अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है हालांकि उन्होंने आसाम सरकार से कहा भी है। केन्द्रीय सरकर को आसाम सरकार से इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये अनुरोध करना चाहिये ताकि उन्हें वहां पर बसाया जा सके।

**Shri Rabi Ray** (Puri) : All the displaced persons are Indian irrespective of the fact whether they have come from East Bengal or West Pakistan. The Government should have great sypmathy with the displaced persons and steps should be taken to resettle them expeditiously. A large number of displaced persons have not got compensation. The state of displaced women is still worse as they cannot go from one office to the other for the settlement of their claims. I would like to quote the instance of a displaced woman from Puri, Shrimati Rani Devi. She has been pursuing this matter for the last so many years but her case has, not been settled so far. The Government should expedite the case and should see that the problems of displaced persons are solved smypathetically and expeditiously. With these words I support the Bill.

**Shri Randhir Singh** ( Rohtak ) : The displaced persons will be further uprooted as a consequence of this Bill. The grievances of the displaced persons will increase further. They have not been given adequate compensation for their property left in Pakistan. If the Goverment wants to realise from them the amount which was paid to them as compensation for their property left in West Pakistan, it will be an injustice to the displaced persons. This amount cannot be realised after 10 or 15 years and the provisions of Limitation Act would apply.

It was the moral obligation of the Government to rehabilitate them. I would request the Government not to uproot those who are already displaced. This Bill will have a large scale impact on the people in my State and also in Punjab. The displaced persons cannot produce the documents and therefore they will be put to greater hardship. The Government should withdraw this Bill in order to save them from this hardship.

**Suri A. S. Saigal** ( Bilaspur ) : We should see how far the recommendations made bg Gadgil Assurances Committee have been implemented.

The Government has not done for the refugees what she was required to do. The Rehabilitation department has totally failed in its duty towards the displaced persons. The assurances given to them have never been fulfilled. This Bill will aggravate their problems. They have faced enormous hardships at the time of partition. The Government should being forth a comprehensive Bill to obviate their difficulties.

**Shri Lakhan Lal Kapoor** (Kishan Ganj) : I vehemently oppose this Bill which has been brought before the House. This Bill will aggrevate the difficulties of displaced persons who have already suffered great hardships.

No proper arrangements for re-settlement of refugees from East Pakistan have been made. It will, therefore, not be proper to realise any amount for them. They do not have the means of livelihood and that is why some of them have to indulge in illegal activities. It is obligatory for the Government to rehabilitate them properly. The Government should introduce a comprehensive Bill in order to obivate their difficulties.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि काचार में रेलवे पटरी के दोनों ओर की भूमि पुनर्वास के कार्यों के लिये अलाट की जाये।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच समझौते किये जायें। हम ताशकंद समझौते का पालन कर रहे हैं परन्तु पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है।

इस विधेयक का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। इसके द्वारा केवल उसी बात को वैध बताया जा रहा है जो कि पहले ही की जा चुकी है। मेरा सुझाव है कि तीन मास की अवधि बढ़ा कर एक वर्ष या छः मास कर दी जाये ताकि किसी को कोई परेशानी न हो।

दो स्थायी समितियां बनाई जानी चाहिये। एक पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये, तथा दूसरी पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये। विस्थापित व्यक्तियों के लिये जो कुछ कार्यवाही की जा रही है, उन समितियों को उसकी समीक्षा करते रहना चाहिये।

हमें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये तथा पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की उचित शिकायतों की ओर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिये। इसके साथ ही भारत-पाकिस्तान झगड़े से पीड़ित लोगों को व्यर्थ ही बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिये। उन्हें भी अपना अधिकार मिलना चाहिये और उन्हें ठीक प्रकार से बसाया जाना चाहिये।

**Shri Abdul Ghani Dar** (Gurgaon) : Lakhs of Indians are being repartriated to India from Africa, Burma and Ceylon. The Government are not aware of the condition in which Indians from Burma are being repartriated. Those Indians are living in those countries since a long time and they have contributed towards the development of those countries. In spite of that they are being asked to quit those countries and they are not being given any compensation. We should, therefore, discuss this question from a broader angle.

This Bill should be withdrawn as it will cause harassment to displaced persons. Most of them are poor and they cannot give this amount. The Government may recover the amount from refugees who are financially sound.

[ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy Speaker in the Chair** ]

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री दा० रा० चव्हाण )** : कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि सरकार ने पिछले 15 अथवा 16 वर्षों में पुनर्वास की समस्या के बारे में कुछ नहीं किया है। यह बात गलत है। हमने पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर 500 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय की है। कुछ विस्थापित व्यक्ति दंडाकारण्य में बसाये गये हैं। वहाँ पर लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से दो मध्यवर्ती सिंचाई परियोजनायें शुरू की गई हैं और उनके पूरा हो जाने के बाद दंडकारण्य में बसाये गये लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हो जायेगा।

ग्रासाम में लगभग 19,000 विस्थापित 'रिवार हैं। उनमें से लगभग 12,000 परिवारों को पुनर्वास की सुविधायें दी जायेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है। पुनर्वास सम्बन्धी संयुक्त बोर्ड ने, जिसमें पंजाब तथा पेटलू के प्रतिनिधि शामिल थे, एक निर्णय किया था और उसी निर्णय के अनुसार कार्यपालिका निर्देश जारी किये गये थे कि उन व्यक्तियों को ही दिये जाने वाले प्रतिकर में कटौती की जाये जिन्होंने अपनी सम्पत्ति पाकिस्तान के निवासियों के पास गिरवी रखी थी। लेख्य याचिका के अन्तर्गत उन कार्यालय निर्देशों पर पंजाब उच्च न्यायालय में आपत्ति की गई थी और पंजाब उच्च न्यायलय ने निर्णय किया था कि जब तक विधि में स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती तब तक कार्यपालिका निर्देशों के अधीन कटौती नहीं की जा सकती। परन्तु जो कुछ पहले किया जा चुका है, उसे वैध बनाना ही होगा। इस विधेयक का उद्देश्य हीं यही है।

मैंने स्वयं छम्ब जौड़ियां, खेमकरण तथा अन्य क्षेत्रों का दौरा किया है। यह बात बिल्कुल गलत है कि खेमकरण तथा छम्ब जौड़ियां में कुछ नहीं किया गया है। वहां केवल छोटी-मोटी समस्यायें रह गई है। अधिकांश काम हो चुका है और लोगों को पुनः बसाया जा चुका है।

श्री बसवन्त ने उल्हासनगर का मामला उठाया है। पिछले 15–16 वर्ष से वहां कुछ समस्यायें चल रही हैं और पुनर्वास विभाग उन सभी समस्यायों को हल करने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। इसलिये, मैं सभा से इस विधेयक की स्वीकृति की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**The Motion was adopted.**

उपाध्यक्ष महोदय: अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा। खण्ड 2 के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**The Motion was adopted.**

खंड 2 विधेयक जोड़ दिया गया।

**Clause 2 was added to the Bill.**

खंड 1

संशोधन किया गया:

संशोधन संख्या 2

पृष्ठ 1, पंक्ति 4

"1967" के स्थान पर "1968" रखा जाये

(श्री द० बा० बलहाल)

**उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :**

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause I, as amended, was added to the Bill.**

**अधिनियम सूत्र**

**संशोधन किया गया**

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"अठारहवां" के स्थान पर "उन्नीसवां" रखा जाये"

(श्री ए० रा० चह्वाण)

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

**The enacting formula, as amended, was added to the Bill.**

**विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**The Title was added to the Bill.**

**श्री व० रा० चह्वाण** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted.**

---

## कीटनाशी विधेयक

## INSECTICIDES BILL

**स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि मानव प्राणियों या पशुओं को होने वाले खतरे का निवारण करने की दृष्टि से कीटनाशी पदार्थों के आयात, निर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण और उपयोग का विनियमन

करने वाले तथा सत्संक्त विषयों सम्बन्धी विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये" ।

यह विधेयक केरल तथा मद्रास खाद्य विषाक्तता मामलों सम्बन्धी जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के फलस्वरूप रखा गया है और उसका मुख्य उद्देश्य आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना है । इस विधेयक का मुख्य उपबन्ध कीटनाशी औषधियों के पंजीकरण के सम्बन्ध में है । पंजीकरण समिति को यह कार्य सौंपा गया है कि वे विष की मात्रा को ध्यान में रखकर कीटनाशी औषधियों की छानबीन और पंजीकरण करें । इस विधेयक के विनियमन करने वाले अन्य उपबन्ध पंजीकरण के उपबन्ध से ही निकलते है ।

कीटनाशी औषधियों का निर्माण करने के लिये या बेचने के लिये लाइसेंस जारी किये जायेंगे । लाइसेंस योजना का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुसार बनाने के कार्य को विनियमित करने के लिये किया जायेगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि कीटनाशी औषधियों को अच्छी प्रकार लपेटा जाये ताकि उन्हें ले जाने में अधिक खतरा न हो और इसके साथ-साथ इन औषधियों को बनाने वाले मजदूरों को भी किसी प्रकार का खतरा न हो । इसी प्रकार व्यापारियों को उन्हें ठीक ढंग से रखना होगा और उनकी बिक्री तथा वितरण का हिसाब-किताब भी रखना होगा ।

संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विधेयक और उसकी पेचीदगियों की अच्छी तरह छानबीन की है । विभिन्न संस्थाओं से उन्होंने तकनीकी राय ली है । इस समिति ने भिन्न-भिन्न विचारों के बीच एक सुन्दर संतुलन स्थापित किया है और इस विधेयक में परिवर्तन लाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं जिनसे विधेयक का यह मूल्य उद्देश्य पूरा हो जाता है कि कीटनाशक औषधियों के प्रयोग से मानव जाति के जीवन को कोई खतरा न होना चाहिये और वे पशुओं के लिये भी लाभप्रद होनी चाहिये । संयुक्त प्रवर समिति ने कहा है कि यह कानून जम्मू और काश्मीर सहित समस्त भारत में लागू होना चाहिये । इस प्रकार संयुक्त प्रवर समिति ने बहुत से अन्य सुझाव दिये हैं जो बहुत उत्कृष्ट हैं । इन मूल्यवान सिफारिशों और सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये मैं संयुक्त प्रवर समिति का आभारी हूँ । भविष्य में निःसन्देह विभिन्न प्रकार की कीटनाशी औषधियों का प्रयोग इस देश में अधिक मात्रा में होगा । कीटनाशी औषधियों के पंजीकरण, निर्माण और वितरण की अवस्थाओं पर उनका अधिक ध्यान रखा जायेगा ।

इन उपबन्धों को लागू करने के बारे में हमारा विचार यह है कि इन औषधियों के प्रयोग के बारे में, इन्हें लाने ले जाने के समय सतर्कता बरतने के बारे में तथा विभिन्न प्रकार के खतरे के सम्बन्ध में बताने के लिये कीटनाशी औषधियों के निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाये । यह कार्यक्रम राज्य सरकारों को सौंप दिया जायेगा जो इसे लागू करेंगी । इस विधेयक पर राज्य सभा में भी चर्चा की गयी थी । इस चर्चा के दौरान व्यक्त किये गये विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश इस विधेयक में कर लिया गया है ।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित और राज्य सभा द्वारा पारित रूप से इस विधेयक पर विचार किया जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि मानव प्राणियों या पशुओं को होने वाले खतरे का निवारण करने की दृष्टि से कीटनाशी पदार्थों के आयात, निर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण और उपयोग का विनियमन करने वाले तथा तत्संसक्त विषयों सम्बन्धी विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये" ।

**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : जब से सघन खेती का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है किसानों ने अधिक उपज वाली किस्मों की खेती करना आरम्भ किया है, कीटनाशी औषधियों का महत्व बढ़ गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कीटनाशक औषधियों के लापरवाही से प्रयोग किये जाने के कारण कई मौतें हुई हैं।

हम यह चाहते हैं कि सभी सम्भव खतरों से सुरक्षा की जानी चाहिये । परन्तु सरकार केवल कीटनाशी औषधियों के प्रयोग से मानव जीवन को होने वाले खतरे या मौतों से चिन्तित है । ये बातें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परन्तु इन औषधियों के प्रयोग से शरीर को कुछ ऐसी हानि पहुंचती है जो दिखलायी नहीं पड़ सकती । दिल्ली में डी० डी० टी० कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को इस प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचती है । इसे भी रोका जाना चाहिये ।

जंगल के पशुओं को इन औषधियों से क्षति पहुंचेगी । प्रत्येक सभ्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इन पशुओं की रक्षा करे । यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम धीरे-धीरे प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देंगे जिसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे । इन कीटनाशी औषधियों को जंगल में छिड़क दिया जाता है और जब कोई वन्य जन्तु पानी पीता है तो उसे पीते ही वह मर जाता है इस प्रकार मूक पशु काफी बड़ी संख्या में मारे जाते हैं । सरकार को इन पशुओं की रक्षा करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये ।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूँ कि खण्ड 4 में इस बात का उपबन्ध है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रतिनिधियों को केन्द्रीय कीटनाशी औषधि बोर्ड में सम्मिलित किया जायेगा परन्तु उसमें भारतीय वन्य जन्तु बोर्ड का कोई उल्लेख नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि भारतीय वन्य जन्तु बोर्ड के एक प्रतिनिधि को भी इस बोर्ड में सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

कीटनाशी औषधियों का भण्डार बनाने, उन्हें लपेटने और उन पर नाम आदि लिखने का उचित प्रबन्ध होना चाहिये । आजकल ये औषधियां कागज के लिफ़ाफों में बेची जाती हैं जिससे लोगों के जीवन को खतरा बना रहता है। इन औषधियों को ठीक प्रकार से बन्द करना चाहिये । विशेषकर किसानों को ठीक ढंग से हिदायतें देनी चाहिये कि इनमें विष है और इनका प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिये । इस प्रयोजन के लिये प्रादेशिक भाषाओं में भी हिदायतें दी जानी चाहिये । खेतिहरों को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी जानी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

**श्री न० कु० संघी** (जोधपुर) : इस सम्बन्ध में मैं यह अनुरोध करता हूँ कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये । वास्तव में यह विधेयक बहुत देर से लाया गया है । इस विधेयक के सम्बन्ध में विभिन्न समितियों तथा विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं।

वास्तव में हमारा देश मूलतः कृषि-प्रधान है और अनाज की कमी की समस्या हमारी बहुत-सी महत्वपूर्ण समस्यायों में से एक है । हमारे देश में अनाज की 6 प्रतिशत की कमी है और 20 प्रतिशत अनाज कीड़े खराब कर देते हैं । यदि कीटनाशक औषधियों के प्रयोग से हम 6 प्रतिशत अनाज बचा सकते हैं तो हम शीघ्र ही आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

आज हम अनाज के उत्पादन के लिये विभिन्न प्रकार के बीजों का प्रयोग कर रहे हैं । इसलिये यदि हम कीटनाशक औषधियों का प्रयोग नहीं करते तो हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते । अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में कीटनाशक औषधियों का प्रयोग बहुत कम होता रहा है ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस विधेयक में इस बात का उल्लेख है कि कीटनाशी औषधियों में विष की मात्रा लिखी जायेगी । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि औषधि अधिनियम के अन्तर्गत भी बहुत सी हानिकारक और विषैली औषधियों के लेबलों पर औषधि के विषैलेपन का उल्लेख नहीं किया जाता । यदि कीटनाशी विधेयक में विषैलेपन का उल्लेख किया जाता है तो कीटनाशी औषधियों के निर्माताओं, प्रयोग और वितरण करने वालों के लिये कानूनी कठिनाई पैदा हो जायगी । मेरे विचार में यदि इस विधेयक से इस शब्द को निकाल दिया जाये तो अच्छा होगा। फिर प्रत्येक देश में विषैलेपन के आंकड़े भिन्न-भिन्न होते हैं ।

इस विधेयक में 'प्रयोग' शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है । यदि हम "प्रयोग" शब्द की परिभाषा नहीं करते तो इस विधेयक को क्रियान्वित करने में या किसी न्यायालय में इस पर आपत्ति किये जाने पर बड़ी कठिनाई होगी।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक के उपबन्धों का उल्लंघन करने तथा गलत कीटनाशी औषधियां बनाने के लिये दी गयी सजा के विरुद्ध उस केन्द्रीय समिति में अपील की जा सकती है जो अभी बनायी जा रही है । मेरे निजी विचार में सभी अपीलों के लिये दो तरीके अपनाने चाहिये । इस कार्य के लिये एक नियंत्रण बोर्ड होना चाहिये और कोई निर्णय लिये जाने से पूर्व ऐसे मामलों की सुनवाई केन्द्रीय समिति को करनी चाहिये ।

मैंने पहले ही संशोधन प्रस्तुत कर दिये थे । यदि हम इन संशोधनों को स्वीकार कर लेते हैं तो कीटनाशी औषधियाँ बनाने वाले उद्योग की प्रगति होगी और इससे देश में अनाज के उत्पादन में वृद्धि होगी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** :--आपके संशोधन समय पर नहीं पहुँचे और इसलिये उन पर विचार नहीं होगा ।

# कार्य मंत्रणा समिति

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

### तेरहवां प्रतिवेदन

**संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

**Shri Brij Bhushan Lal** (Bareilly) : Sir, this Bill has been brought to regulate the import, manufacture, sale. transport and use of insecticides with a view to prevent risk to human beings or vertebrate animals and for matters connected therewith.

I want to know from the hon. Minister if there has come any instance to the notice of Government where a human being has lost life due to insecticides. Our effort should be directed to increase the food output. It is heartening to know that high yielding varieties are becoming popular in our country and food production is increasing. Now the need of the hour is that farmers should provided necessary inputs. I do not know how insecticides are doing harm to human beings. I think Government has some vested interest in this matter. They want to keep the imports of insectcides in their own hand and make profit out of that business.

Our Government should make every effort to increase the production of insecticides in our country and its imports should be stopped. Our farmers have to undergo great difficulty to get insecticides. Government should take steps in this regard and simplify the procedures of issue of insecticides to the farmers. The procedure laid down in this Bill is very long and cumbersome. It will cause many hardships. It will encourage corruption. I request the hon. Minister to withdraw this Bill and if that is not done. I give some remedial suggestions.

The Section 20 (1) should be deleted. The Inspectors must have technical knowledge. A provision should be made that if a person is found guilty of infringement of rules he should be fined and sentenced to imprisonment. The sentence of imprisonment must be there. This will act as deterrent. For first offence you can lay down fine. On second offence of man, his registration and licence should be cancelled.

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) : I support this Bill and congratulate hon. Minister for this.

About one-fifth of the crops of our farmers are destroyed by pests. These pests are of different types. I have returned from my area only a day before. I was told there that considerable areas of crops have been damaged by various types of pests. It is a very serious matter. Government should see that the purpose of this Bill is well served. Food Corporation of India should take up this matter. Farmers should be provided insecticides on easy terms and in ample quantity. It should be ensured that inseticides are not adulterated. Those found guilty of some offences should be severely treated.

A provision has been made in the Bill for punishment of those, who contravene the provisions of this law. I feel a very mild punishment has been provided for. A more harsh punishment should be provided for the offenders.

The village level workers should train the villagers in regard to handling of insecticids This aspect should be given due attention. Innocent villagers should be made aware of the

hazards of insecticides. This Bill is of great importance for village folk. I welcome it and support it.

**Shri Meharajs Singh Bharati** (Meerut) : We are trying to follow the practices being followed in Western countries. We should take into consideration the condition prevailing in our own country. We have altogether different conditions in our country.

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah) : There is no quorum in the House.

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, फरवरी 14, 1968/माघ 25, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the 14th February, 1968/Magha 25, 1889 (Saka).**

---

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanand Marg, Allahabad.